>

Title: Discussion regarding situation arising out of floods in various parts of the Country.

MR. CHAIRMAN: We may now take up item No. 13, namely, the discussion under rule 193 regarding the flood situation in the country.

Hon. Members, I have to inform you that Prof. Vijay Kumar Malhotra whose name has been listed for initiating the discussion under rule 193 today has requested the hon. Speaker to allow Shri Ananth Kumar to initiate the discussion in his place. The hon. Speaker has also acceded to his request and has allowed Shri Ananth Kumar to initiate the discussion.

Now, Shri Ananth Kumar may initiate the discussion.

SHRI ANANTH KUMAR (BANGALORE SOUTH): Sir, I rise with great anguish to speak about the havoc caused by the worst ever floods in our country.

To portray the gravity of floods in our country, recently, the United Nations has come out with a statement. The UN described it as "The flood situation in India and Bangladesh is the worst in living memory." The sheer size and scale of floods and the massive number of people affected pose an unprecedented challenge to the delivery of desparately needed humanitarian assistance, says the UN statement.

We also know the causes of floods. Unfortunately, this year, the summer rainfall in the western and northern parts of India was 25 per cent more than usual. According to the Central Water Commission, of the 71 large reservoirs monitored by the Central Water Commission, 41 have gone above 20 per cent of the total storage capacity. Major rivers like the Ganga, Indus and Godavari have more water than the average of the last ten years as o[MSOffice36]n 21st June.

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : माननीय सभापति जी, मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी और सदन को देना चाहता हूं। हम लोग इसी विषय पर बहस भी कर रहे हैं। अभी अभी जानकारी मिली है कि बिहार के बेतिया में बड़े पैमाने पर बाढ़ पीड़ित लोगों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया जिसमें 100 लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं। यह स्थिति मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूँ। उसमें दस आदमी मरणासन्न स्थिति में हैं जिनमें महिलाएं भी हैं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : अभी इस विषय पर डिसकशन चल रहा है। आप चर्चा के दौरान अपनी बात रखिये।

श्री राम कृपाल यादव : मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई है। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप कृपया बैठिये।

श्री राम कृपाल यादव : राहत मांगने वालों को राहत नहीं देकर उन पर लाठीचार्ज किया जाए, इससे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या होगी? ...(व्यवधान) यह सरकार है?

सभापति महोदय : आपने माननीय मंत्री जी के नोटिस में बात ला दी है।

â€¦(व्यवधान)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन (भागलपुर): ये लाठीचार्ज की जानकारी दे रहे हैं जो बिहार में 15 साल शासन में रहे हैं। ...(व्यवधान)

श्री राम कृपाल यादव : वहां गोलियां चली हैं। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप स्थान ग्रहण करें। अब कोई बात रिकार्ड पर नहीं जाएगी।

*(Interruptions) â€¦ **

सभापति महोदय : गणेश प्रसाद जी, आप स्थान ग्रहण करें। रिकार्ड पर कुछ नहीं जा रहा है।

â€¦(व्यवधान)

सभापति महोदय : अनंत कुमार जी की बात के अलावा और कोई बात रिकार्ड पर नहीं जाएगी।

*(Interruptions) â€¦**

* Not recorded

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण) : सभापति जी, बिहार के मुख्य मंत्री नीतीश कुमार जी राहत कार्यों में सन्नद्ध हैं और सरकार राहत कार्यों में लगी हुई है। मैं सदन के सभी सदस्यों से इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसी परिस्थिति में जब वहां बाढ़ आई हुई है और राहत कार्य चल रहे हैं, उसमें हमें राजनीति को नहीं लाना चाहिए।

Sir, the whole country is reeling under severe flood situation. It has affected Bihar, Uttar Pradesh, West Bengal, Orissa, Maharashtra, Gujarat, Andhra Pradesh, Kerala, Karnataka, Assam and North-East. More than 22 States are affected; 192 districts have been affected; and more than 27,472 villages have been totally washed away. Nearly 22 lakh hectares of cropped land have been destroyed;. more than 1,483 persons have lost their lives; more than one lakh live stock has been lost; more than 330 lakh people have been affected; and more than 6.40 lakh houses have been damaged. All these things have happened.

This is the brief picture of the entire country. The same thing has happened in the State of Karnataka also. For the first time, because of this severe flood situation in Karnataka, there is a huge loss of Rs. 4,200 crore. Many districts across the State, like Bijapur, Bhagalkot, Dharward, Karwar, Haveri, Belgaum, Davangere, Shimoga, Uttar Karnataka, Dakshin Karnataka, Coorg and Bellary have been affected. Many districts have been severely affected.

Our State has already submitted its memorandum for the relief. The hon. Home Minister is present here. It pains me to see from the official Press Release of the Government of India which says that out of the Calamity Relief Fund of Rs. 4,258 crore for the year 2007-08, Rs. 1,292 crore have been provided for the affected areas. We know in the Union Budget, every year "x" amount is provided for the Calamity Relief fund.[H37]

In that, one-fourth portion is given by the State Governments and three-fourth portion is given by the Union Government. But I have been informed by the Chief Minister, Deputy Chief Minister and Revenue Minister of the Karnataka Government that though they have given the memorandum to the hon. Prime Minister and to the hon. Minister of Home Affairs, till date not a single paisa has been released to the State of Karnataka. It is a very seriously step-motherly attitude towards the State of Karnataka. I do not know why this step-motherly attitude is being shown to the State. I also want to know from the hon. Minister of Home Affairs, who is present here, and when he gives his reply -- we do not want to know how much is provided and how much is budgeted -- how much amount of money is released to different State Governments. I think that is the most important thing.

Sir, I want to quote the hon. Chief Minister of Karnataka. In a Press Conference he has said:

> "The Centre has always been non-cooperative to the State of Karnataka. Whenever help is sought, said Kumaraswamy, the Centre should bring a proper relief policy."

This is an anguish of the people of Karnataka. We have asked a relief package of more than Rs. 4,000 crore. I earnestly hope that the hon. Minister of Home Affairs and the Union Government will come to the rescue of all the 20 States including Karnataka immediately through the Calamity Relief Fund.

Sir if the assessment of the Union Government is that this is the biggest tragedy in the living memory of the country in flood situation, then why only Rs. 1,284 crore has been released? Why has not the entire money been released? Why is there no extraordinary grant or packages for the different States – States like Bihar, Uttar Pradesh, Assam and North-East, Orissa, Maharashtra, Karnataka, Gujarat and Kerala where floods have created havoc? I always feel that in such a grim situation of national calamity, there should not be any partisan attitude, there should not be any lip sympathy and there should not be any playing of the politics. ...(*Interruptions*)

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI SHIVRAJ V. PATIL): Sir, we have prepared a note and it has been circulated it to all the hon. Members. It shows as to what is the damage caused in each of the State, to what amount of money each of the State is entitled to, what assistance has been given and what assistance can be given to them. Now if you say that we are treating Karnataka in a step-motherly manner, probably this is nothing but politics. I have put this document in the hands of the hon. Members and it speaks about each of the State. ...(*Interruptions*)

PROF. RASA SINGH RAWAT (AJMER): Sir, we did not get it.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: You just go and collect it from the Publication Counter. ...(*Interruptions*)

SHRI ANANTH KUMAR : Sir, I am only placing the anguish of the people of Karnataka which has been expressed by the Chief Minister of Karnataka in an official Press Conference.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: That you can say, but you do not say that we are giving step-motherly treatment.

SHRI ANANTH KUMAR : I also know that these amounts are budgeted and entitled. We also know that this has been recommended by various Finance Commissions – starting from 10^{th} Finance Commission to the 12^{th} Finance Commission. This is a mandatory sum. What we are asking is this. We want more than the ordinary grant .We want a package. If "X" State is getting a package, if "Y" State is getting a package, there should not be any step-motherly treatment to the State of Karnataka. The State of Karnataka had already given one Memorandum in July itself. Now, again, they are coming with another Memorandum for more than Rs.4200 crore of relief. Therefore, we are requesting for an extraordinary assistance because, for the first time, more than 237 people died in the State of Karnataka because of the flood situation.

Shri Shivraj Patil, the hon. Home Minister, visited Guwahati and Patna. Shrimati Sonia ji also accompanied him. The Assam Government's spokesman said in Guwahati: "Assam's floods have ravaged 26 of the 27 districts since June. The Congress leader also visited Eastern Assam. The UPA Chief has assured the Chief Minister of all possible assistance." The Assam Government's spokesman said this. We have no reservation if the UPA Chairperson goes to different parts of the country. I do not understand one thing. Later, in Patna, Sonia ji and Patil ji held an hour-long discussion on the flood situation with the senior Government officials at Raj Bhavan. It was in Patna. Though Sonia ji stayed clear of the media, she interacted with the political workers inside the Raj Bhavan. We have no objection to that. The question is that the hon. Prime Minister has been elected from the State of Assam. He represents the State of Assam. He is the Chief Executive of the country. I want to ask the hon. Home Minister one thing. We expected that the hon. Prime Minister would visit many important States where flood has ravaged such States.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL : He did visit Karnataka.

SHRI ANANTH KUMAR : We expected him that he should come to Karnataka.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: He did go to Karnataka.

SHRI ANANTH KUMAR : He has not come to Karnataka. ...(*Interruptions*) He has not come for seeing the floods.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: The level of the debate should not be lowered down ...(*Interruptions*) Last year, I did go to Karnataka....(*Interruptions*)

SHRI ANANTH KUMAR : There is no lowering of the debate. I have not yielded to you....(*Interruptions*)

SHRI SHIVRAJ V. PATIL : Last year, I did go to Karnataka. I could not go to Assam....(*Interruptions*) What is this? I traveled with the Ministers and others in Karnataka but I could not go to Assam. You do not expect the Ministers and the Prime Minister to visit each and every place....(*Interruptions*)

SHRI ANANTH KUMAR : My only earnest request to the hon. Home Minister is this. The U.N. states that this is the worst-ever flood in India in the living memory. When it is the case, then I expect the hon. Prime Minister of the country to visit Assam, the North-East, Karnataka, Gujarat, Kerala and Orissa which are most affected. I do not know why he has not visited. ...(*Interruptions*)

The hon. Home Minister Shri Shivraj Patil ji can definitely accompany the Prime Minister but he is accompanying the Congress President! We have no objection to that. Therefore, if somebody is lowering this tragedy, it is they. They are playing politics with this. ...(*Interruptions*)

I charge the UPA Government with callousness in handling the flood situation in the country. I will come out with scientific details. The experts have said that foresight and better forecasts are needed. They are responsible with the governance. Last year, we had brought forward the Disaster Management Act also. They have come out with many organizational structures for that. I think they are answerable to Parliament and, through Parliament, to the entire people of the country about how those systems are functioning.

The Meteorological Department's long-term predictions did not warn farmers of the recent deluge and the damage it would

do to their crops.[R38]

I will quote further, Sir, this year's regional forecasts do not reflect the trend of the monsoon. IMD has said that North-West India would receive rains amounting to 90% of its long period average, i.e., the LPA, North-east India 98% of its LPA, Central India 96% of its LPA and South Peninsula 94% of its LPA. This indicates an even distribution of rainfall as seen in the map. There are large parts of the country that have had nearly 200% of what was expected. The Meteorological Department had expected 90%, 95% or 98%, Sir, whereas the rains are to the extent of 200%. Therefore, I want to know, Sir, what is the problem and where are we going wrong? Why are we failing to forecast and forewarn the country regarding the rains, unprecedented rains and floods?

I want to bring out an incident. I want to bring out a report from the home State of the hon. Home Minister, Sir. Recently, on 10th July, 2007, the Comptroller and Auditor General's Audit Report for Maharashtra was tabled on the Table of the State Legislature on 18th April. It has scrutinised the post-flood disaster relief expenditure in the year 2005-06. Why are our flood relief programmes failing? I think it will be an eye-opener. The Performance Audit of the expenditure on preparedness for flood and relief rehabilitation to the flood victims indicated that the level of preparedness of floods was not adequate. This is CAG Report on the State of Maharashtra. Relief assistance was not extended without proper identification of affected persons. Financial management was deficient and monitoring on relief and rehabilitation activities was unsatisfactory. Sir, the CAG Report continues. I want to bring it to the knowledge of this august House. No lessons were learnt from flood disaster of 2005. The VHF system in Nanded and Sangli districts and 3 talukas of Kolhapur district were shown non-functional. During the subsequent floods disaster of 2006 although the model action plan prepared by the Union Government in 1981 that had laid down the importance of cleaning of drainage passing through residential areas regularly well before the onset of monsoon, the CAG's Audit scrutiny found that in none of the 10 Maharasthra districts where audit review was carried out; instructions were not issued for drainage cleaning to the administrative departments, to the district authorities and the local bodies. Even after the flood disaster in July-August, 2005, long term plans aimed at desiltation of rivers, improvement of drainage systems were not in place in any of the districts. In the case of Mumbai, on the recommendations of the Government's fact finding Madhavrao Chitley Committee, desiltation and widening of Mumbai's Mithi River was carried out. But, I quote – it is very important – but even here the CAG could not ascertain the claim of the Mumbai Metropolitan Region Development Authority of having excavated 12.96 lakh cubic metres of silt, debris, rocks from the river.

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): सभापति जी, अभी माननीय सदस्य श्री राम कृपाल यादव जी ने बेतिया में लाठी चलने की चर्चा उठाई। अभी हम बेतिया के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बात करके आ रहे हैं। आज बेतिया में कोई लाठी नहीं चली है। बेतिया इलाका बाढ़ से पूर्ण प्रभावित नहीं है, बल्कि जिन लोगों की बरसात से फसल बर्बाद हुई है, वे लोग कल आये हुए थे। उन लोगों ने कल पुलिस पर ईट-पत्थर चलाये थे, जिससे दो पुलिसकर्मी जख्मी हो गये और एक भी पब्लिक का आदमी घायल नहीं हुआ। गलत तरीके का आरोप सदन में किसी सदस्य को नहीं लगाना चाहिए, जिम्मेदारीपूर्वक बात करनी चाहिए, इतनी गैरजिम्मेदारीपूर्वक बात नहीं करनी चाहिए।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : अब आप स्थान ग्रहण करिये।

SHRI ANANTH KUMAR : Sir, I would like to bring another incident to the notice of this august House about non-coordination between the Centre and the States due to which floods are occurring repeatedly. I want to quote what the Water Resources Minister of the Government of Assam said. Shri Bharat Chandra Narah, the Water Resources Minister of the Government of Assam said:

> "Though the North Eastern Electric Power Corporation (NEEPCO) has denied media reports that it had released water from its Ranga Nadhi Project in the neighbouring States, the Assam Government was not satisfied. We suspect NEEPCO has released water from Ranga Nadhi. Otherwise, how would large tracts in Lakhimpur and Dhemaji get inundated all of a sudden and that too without heavy rains?"

Sir, I am bringing all these issues to the notice of the hon. Home Minister because I feel the entire House is with him in controlling the flood situation in the country and also to provide relief and rehabilitation to the people in flood ravaged areas. The Government of India had constituted a Task Force on Flood Management, Erosion and Control in August, 2004 when the UPA came into power. The reason why I wanted the hon. Prime Minister to visit Assam was that he represents the State of Assam in Parliament. This Task Force was asked to look into recurring floods in Assam and some other neighbouring States and it was headed by the Chairman, Central Water Commission. The Task Force submitted its Report on 12th December, 2004. This means, it submitted its Report within 6 months of its constitution. The Task Force had recommended a number of flood management works amounting to a total of Rs. 4,982.10 crore which included works amounting to Rs. 310.14 crore under immediate works and works amounting to Rs. 2,030.15 crore as short-term works and works amounting to Rs. 2,635.81 crore as short-term works category-II to be implemented in 6 months, 2 years and 7

years respectively. The State Governments were, however, required to prepare Detailed Project Reports of all the schemes and process them for approval as per the guidelines of the Planning Commission and get the techno-economic clearance by apprising the agencies for taking them up for implementation. My question is this. What has happened to the implementation of the recommendations of the Task Force? If these recommendations had been implemented for the State of Assam and the entire North East, would the floods have ravaged Assam now?

Sir, even the hon. Chief Minister of Bihar has said that if the flood in Bihar has to be controlled, it cannot be controlled only by the efforts of the Government of Bihar, but there has to be a meeting between the Governments of India, Nepal, Bhutan and Bangladesh and he has requested the Prime Minister to do the needful in this regard because only with this international cooperation floods in Eastern Uttar Pradesh and Bihar can be controlled. We expected that there would be a meeting at the level of the Prime Minister because this is the third consecutive year of flood in Bihar.

Sir, the hon. Home Minister said that he has circulated a report to hon. Members of Parliament about the action taken to control flood. I also want to draw his attention to the Annual Report of the Ministry of Home Affairs for the year 2006-07. Under the heading 'Natural Calamities in 2006', in paragraph 8.22 it is stated:

> "In the overall scenario, 22 States and 1 Union Territory were affected in variant degrees by various natural calamities like heavy rains, flash floods, floods, land slides, cloud bursts and cyclonic storms as per the preliminary reports received from the States, 47.74 lakh hectares of cropped area and about 8.82 lakh houses have been affected besides loss of lives of 2,643 persons and 1,15,783 cattle. The flood situation in the States of Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Jammu and Kashmir, Gujarat, Himachal Pradesh, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Orissa and Rajasthan was very severe."[R39][R40]

[r41]This is last year. I can read the same statistics like this for the earlier year also. Therefore, what we are urging and demanding is that there has to be an institutional mechanism because even the international experts also say this. For example, Prof. Collin Thorn, Head of the Physical Geography, England's Nottingham University says: "You cannot attribute particular events to climate change. But on the other hand, the conditions that promote serious flooding will become much more frequent -- we are going to witness every year more and more floods, much more frequent -- than they are now. So, the probability is that we will have more extreme events."

There is another international expert, Prof. Grahm Chapman of Lancaster University, who has said: "You have to have the society that learns to live with them. With floods, the first thing to learn is that you cannot stop them, you have to live with them." When this is the case, we expect that the Union Government, the Government of India, under the leadership of Dr. Manmohan Singh, under the Stewardship of Shri Shivraj Patil, as the Home Minister, will come out with more serious steps to tackle this flood situation.

Sir, in 2006-07 Report, the hon. Home Minister has given: "The Government have enacted the Disaster Management Act on 26 December 2005." Fair enough. But in that, in addition, the Act contains provisions for constitution of National Disaster Response Fund and National Disaster Mitigation Fund and similar funds at the State and District levels. The Act also provides for the specific role to local bodies, including Panchayati Raj Institutions as well as Urban Local Bodies in disaster management.

My straight question to the hon. Home Minister is whether we have a National Disaster Management Fund instituted. Have they instituted the National Disaster Mitigation Fund? I am asking this because the very Act has been brought up by saying that the existing two funds, the Calamity Relief Fund and National Calamity Contingency Fund are not at all sufficient. Therefore, we are coming out with these new measures and the Act has been passed in 2005. Now, what has been done? What are the precautionary measures taken? These are the basic questions.

I also want to bring out one important thing that day in and day out, we are requesting, through this hon. House, the hon. Home Minister that there should be a revision of CRF guidelines. Now, what has happened is that when there is flood and for one hectare, for the loss ofâ€¦

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: We have revised it. We have increased it by 35 per cent and we have mentioned this in this book. It is only two months back.

SHRI ANANTH KUMAR : Sir, this 35 per cent is a pittance because per hectare the earlier guideline was Rs.1,000.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: We have already done that. We have mentioned that also.

SHRI ANANTH KUMAR : What we are demanding is that per acre, and not per hectare, Rs.4,000 should be given...

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: That is a different issue...(*Interruptions*)

SHRI ANANTH KUMAR : Rupees 4,000 should be given for death, for grievous injury, for loss of houses, for loss of crop, for everything.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: It is given in the last page. You will find it if you look at the last page. Every five years, the Finance Commission gives a report and after that we revise the norms. Accordingly, after the Twelfth Finance Commission's report, norms have been revised and in what fashion the norms have been revised is given in the last page in this booklet.[r42]

If you just go through it, you will find it. Last time I know that you were insisting on that. You have also contributed in getting this revised.

SHRI ANANTH KUMAR : Thank you, Sir.

Sir, my request to the hon. Home Minister is this. He knows the entire thing very well. These CRF Guidelines had formed a GoM also. You were the Chairman; the hon. Finance Minister and the hon. Agriculture Minister were also part of the GoM for the review of the CRF Guidelines. But the question is this. What were we demanding? We were demanding three things in the Parliament. Firstly, we were demanding compensation for the crops loss in dry farming, compensation for crop loss in the irrigated lands and compensation for crop loss in the horticulture land. But mere 35 per cent increase, Rs. 1000 for 2.4 acre, per hectare, is of no use. It is a pittance.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL : That is a different issue.

SHRI ANANTH KUMAR : Therefore, we want proper revision of the CRF Guidelines. That is what we are demanding.

MR. CHAIRMAN : Mr. Ananth Kumar, how much time will you take now?

श्री अनंत कुमार : सभापति महोदय, मैं दो-तीन मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

Before concluding, my demand to the Union Government is that the hon. Prime Minister should visit various States which are severely ravaged by the floods like Karnataka, his own State of Assam in North East, Gujarat, Orissa, Maharashtra and Bihar. The hon. Prime Minister should visit all these States to get a on-hand feel of the flood ravages.

Secondly, we are not satisfied with the review of the CRF Guidelines of increasing a mere 35 per cent of the age-old gratis. It has to be scientific. Therefore the basic minimum we demand is Rs. 4000 per acre of crop losses.

Thirdly, whatever are the recommendations of the task-force, they have to be implemented in a time-bound manner. We do not have the status paper whether they have implemented or not implemented.

Fourthly, I do not know why this UPA Government has kept the inter-linking of river water in cold-storage. I want to go back to that Task Force's report. In that Task Force's Report, it has been very clearly said:

> "Construction of storage dams, as proposed will considerably reduce the severity of floods and the resultant damages. The flood peaks are estimated to reduce by about 30 per cent in the Ganga and Brahmaputra Basins.
>
> In view of large variations in rainfall over space and time, the country experiences frequent floods in some parts and severe droughts in some others. Floods are a recurring feature particularly in Brahmaputra and Ganga rivers which carry 60 per cent of the water resource of our country. Flood damages which were of the order of Rs. 52 crore in 1953 went up to Rs. 5,846 crore in 1998 with an annual average of Rs. 1,343 crore affecting Assam, Bihar, West Bengal, Uttar Pradesh – Sir, nowadays it has come to the down south and West also –besides causing untold human sufferings. On the other hand, large areas in Rajasthan, Gujarat, Andhra Pradesh, Karnataka and Tamil Nadu face recurring droughts."

Therefore, the Task Force chaired by my dear friend Shri Suresh Prabhu has come out with a grand plan which was planned by Sir M. Visvesvaraya to Dr. Ambedkar to K.L. Rao to Rajiv Gandhi that inter-linking of river waters in the country has to be completed and implemented. That is the only permanent solution for the flood control situation in the countr[r43]y.

Therefore, we urge upon the Union Government that there should not be any politics, there should not be any partisan attitude, and there should not be any lip sympathy and crocodile tears because they have always said: कांग्रेस का हाथ, आम आदमी के साथ, लेकिन आज आम आदमी, किसान तो बाढ़ में बह गया है और आप ऊपर से, एरियल सर्वे करते हुए हाथ दिखा रहे हैं। They need to get up and also understand the seriousness of the flood situation that is prevailing in the country. This is the most cruelest floods that the country has witnessed in its living memory, according to the United Nations. Therefore, they should tighten the governance and give relief to all the flood-affected States immediately in a time-bound fashion.

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : माननीय सभापति महोदय, मेरे पूर्व वक्ता ने बताया है कि यह बाढ़ यूनाइटेड नेशन्स की ओपिनियन में इतिहास की सबसे भयानक बाढ़ है, जिसे आज देश देख रहा है। इस राज्य में जो बाढ़ का प्रकोप देखा गया, वह अभी भी खत्म नहीं हुआ है। यह बहुत ही भयानक बाढ़ है। मैं खुद बिहार में दरभंगा, मधुबनी, Muzaffarpur आदि कुछ जगहों को देखकर आया हूं। बिहार में 19 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं और इससे बिहार को बहुत नुकसान हुआ है। वहां इससे निपटने में बहुत सी कमियां भी देखने को मिलीं जैसे कि लोगों के पास रिलीफ ठीक से नहीं पहुंची। वहां पर्याप्त नाव नहीं है। मैं 200 किलोमीटर तक गया लेकिन मुझे एक भी नाव नजर नहीं आई। पहले सात-आठ दिनों में कोई रिलीफ नहीं पहुंची, बाद में धीरे-धीरे रिलीफ पहुंचनी शुरू हुई। अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि बाढ़ आएगी, यह मालूम है। जब मालूम है तब भी पहले से तैयारी नहीं की गयी। 4300 किलोमीटर के एम्बैंकमेंट में 393 जगहों के बारे में रिपोर्ट आई थी कि वहां रिपेयर करना है, लेकिन वह काम अभी भी बहुत जगहों पर शुरू नहीं हुआ है। पहले इसे मई माह में शुरू करने के लिए तय किया गया था, लेकिन वह शुरू नहीं हुआ। यह मालूम है कि बाढ़ आने वाली है, लेकिन उससे बचाव के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। इसी तरह उत्तर प्रदेश में 22 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। पश्चिम बंगाल में 13 जिलों में, केरल में 14 जिलों में, आंध्र प्रदेश में 14 जिलों में, असम में 27 जिलों में, उड़ीसा में 9 जिलों में, गुजरात में 22 जिलों में, राजस्थान के 11 जिलों में और कर्नाटक व महाराष्ट्र में बाढ़ आई है। यह बहुत भयानक है, इससे करोड़ों लोग प्रभावित हुए हैं। लगभग साढ़े तीन से चार करोड़ लोग इस बाढ़ से पीड़ित हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में, यह कोई सिखाने की बात नहीं है। आजादी के इन 60 वर्षों में कोई ऐसा वर्ष नहीं है, जब देश में बाढ़ नहीं आई हो। बिहार में तो यह अक्सर होता है क्योंकि वहां नेपाल से पानी आता है। ऐसा ही बंगाल में और ईस्टर्न रीजन में भी होता रहता है। आजकल तो राजस्थान, जिसे रेगिस्तान कहा जाता है, में भी बाढ़ आने लगी है। गोरखपुर अभी भी खतरनाक स्थिति में है।...(व्यवधान)

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' (बेगूसराय) : चाइना में भी बाढ़ आ गयी है।

श्री हन्नान मोल्लाह : चाइना ही नहीं, बल्कि पूरे एशिया में बाढ़ आई है। लंदन और जर्मनी में भी बाढ़ आई है। यह कोई पोलिटिकल स्कोरिंग की बात नहीं है। ऐसी परिस्थिति को संभालने के लिए देखना होगा कि किस तरह से एक होकर इसका मुकाबला किया जाए।[R44]

मैं पिछले 60 साल का एवरेज देख रहा था कि औसतन हर साल कितना खर्च होता है। मैं बताना चाहता हूं कि हर साल 1360 करोड़ रुपए औसतन खर्च होते हैं, 1560 लोगों की मौत होती है और एक लाख कैटल्स की मौत होती है। यह काफी बड़ा नुकसान है। हम हर साल बाढ़ के बाद रिलीफ और पुनर्वास का काम करते हैं। वास्तविकता यह है कि आज रिलीफ एक उद्योग बन गया है। इससे पीड़ितों की अपेक्षा दूसरे लोगों को ज्यादा फायदा होता है। इसलिए इस परिस्थिति का कैसे मुकाबला किया जाए, यह देखना जरूरी है।

हाल में आई बाढ़ के कारण काफी जगहों पर कटाव हो गया है। बिहार के बहुत से जिवों में कटाव हुआ है और नार्थ-ईस्टर्न रीजन में कटाव हुआ है। वहां बेगूसराय में नेशनल हाइवे टूट गया है। इसके अलावा इरोज़न भी काफी नदियों में हो रहा है, जिसके कारण एम्बैंकमेंट में कटाव हो रहा है। गंगा का अनुभव हमें काफी है। हमारे पश्चिम बंगाल प्रदेश में मुर्शिदाबाद, मालदा और नादिया में हमने इसे काफी देखा है। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र में भी काफी इरोज़न होता है। इसलिए हमें बड़ी योजना बनाने के बारे में विचार करना चाहिए, जिससे यह रुक सके। इसके लिए हमें सबसे पहले उन कारणों का अध्ययन करना चाहिए, जिससे बाढ़ आती है। ब्रिटिश काल से एम्बैंकमेंट का सिलसिला शुरू हुआ था, जो आज भी चल रहा है। उससे यह होता है कि साइड ऊंची हो जाती है और जमीन का स्तर वही रहता है। अगर कहीं साइड का बांध टूट जाए तो नहर का स्तर जमीन के बराबर हो जाता है और फिर वहां बाढ़ आ जाती है। डीवीसी प्लान में सोचा गया था कि दामोदर के पानी को रोकने के लिए आठ रिजर्वायर बनाए जाएं, जिससे बाढ़ का स्थाई समाधान हो सके और सिंचाई के लिए पानी भी मिल सके, लेकिन वह योजना पूरी नहीं हुई और आठ रिजर्वायर डीवीसी प्लान के तहत जो बनाए जाने थे, उनमें से चार ही बनाए गए हैं। उससे बिहार, बंगाल में स्थाई रूप से बाढ़ आती है। हम हर साल 25 सितम्बर को यह मानकर चलते हैं कि हमारे यहां बाढ़ आएगी। डीवीसी के बाकी चार रिजर्वायर जो बनने थे, आज झारखंड सरकार जगह देने को राजी नहीं है। अगर उस समय ये बन जाते तो शायद ऐसी परिस्थिति पैदा नहीं होती। इसलिए केवल एम्बैंकमेंट बनाने से ही काम नहीं चलेगा, उसमें ज्यादा से ज्यादा रिजर्वायर बनाने का काम भी करना होगा और दीर्घकालीन योजना के अंतर्गत करना होगा, वरना हर साल बाढ़ का जो सिलसिला शुरू होता है, वह चलता रहेगा, यह रिचुअल होगा।

श्री शिवराज वि. पाटील : यह किसने करना है?

श्री हन्नान मोल्लाह : सेंटर को और स्टेट को करना है। यदि जरूरी हो तो लोगों को भी शामिल करना होगा कि आप भी इसमें श्रमदान करें। इसलिए मासिव स्केल पर काम करना होगा। लेकिन हमने देखा है कि हम योजना तो बनाते हैं, लेकिन पूरी नहीं होती।

श्री शिवराज वि. पाटील: सेंटर को करना है या स्टेट को करना है?

श्री हन्नान मोल्लाह : स्टेट, सेंटर और लोकल बॉडीज तीनों को करना है। राज्यों के पास पैसा नहीं है, सेंटर के पास पैसा है इसलिए उसे देना चाहिए। [R45]

16.00 hrs.

दूसरी बात यह है कि ड्रेनेज सिस्टम सब जगह खराब है। ड्रेनेज सिस्टम सिल्टिंग होने के कारण खराब हो रहा है। बंगाल में जब बाढ़ का सवाल आता है तो मिदनापुर, चौबीस परगना, हावड़ा और मुर्शिदाबाद में ड्रेनेज सिस्टम को मजबूत करने के लिए हमारी सरकार ने भी कुछ प्रोजैक्ट दिये हैं जिनको पूरा करना पड़ेगा, जैसे मुम्बई को बचाने के लिए स्पैसिफिक ड्रेनेज प्रोग्राम लिया गया है, कलकत्ता में भी हर साल पानी भर रहा है। वहां का भी ड्रेनेज खराब है। शहर के लिए जो ड्रेनेज पैकेज प्रोग्राम है उसे भी आपको देखना पड़ेगा। इसके साथ-साथ जो डीवीसी के बारे में मैंने कहा कि और ज्यादा रिजर्वायर बनाने का सवाल है वह नहीं होगा तो हमारा प्रांत बाढ़ से नहीं बच सकेगा। उस पर भी केन्द्र सरकार को सोचना होगा।

ब्रह्मपुत्र रिवर पर कोई रिजर्वायर नहीं है। हम केवल कमेटी बना रहे हैं। हमने चार कमेटीज बनाई हैं। एक है सेंट्रल फ्लड कंट्रोल बोर्ड 1954; उसके बाद ब्रह्मपुत्र फ्लड कंट्रोल बोर्ड जो, 1979 में बना। उसके बाद ब्रह्मपुत्र बोर्ड, जो 1982 में बना है और अब सोच रहे हैं कि ब्रह्मपुत्र अथॉरिटी 2007 में बनाएंगे। इस तरह से चार बोर्ड बन गये। मगर बोर्ड ने कहां तक कार्य किया है, नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है, कहां पर समस्या है, यह सब जब तक नहीं देखेंगे और नया बोर्ड बनाते जाएंगे तो काम नहीं होगा। दूसरी सरकार आयेगी तो आपको उल्टा बोलेगी और यह सब चलता रहेगा। बोर्ड जो बनाया है उसकी जिम्मेदारी क्या है उसने कितनी योजनाओं को लागू किया है, इन बातों का साफ होना बहुत जरूरी है।

16.03 hrs. (Shri Mohan Singh in the Chair)

हर जगह आज मैसिव इरोजन चल रहा है उसको रोकने के उपाय आपको करने होंगे। गंगा, ब्रह्मपुत्र और बाकी नदियों में इरोजन को दूर करने के लिए कार्य करने पड़ेंगे। इसके अलावा डीफॉरेस्टेशन की बात है। नदियों के किनारे जो पेड़ थे, वे सब काट लिये गये हैं और जब लोग वहां मिट्टी खोदते हैं घास उगाते हैं तो वहां बांध टूटेगा। उसको प्रोटैक्ट करने के लिए कोई उपाय नहीं किये गये हैं। पहले बांध के पास दस-दस किलोमीटर में दो-दो लोग रहते थे और वे घूम-घूम कर देखते थे कि बांध ठीक है या नहीं। वह सिस्टम सब खत्म हो गया है, अब कोई देखने वाला नहीं है। आज बांध में डी-फॉरेस्टेशन हो रहा है लेकिन कोई नहीं सोच रहा है कि कैसे वहां फॉरेस्टेशन किया जाए। हमारी कोई भी योजना प्रैक्टिकेबल नहीं है। हमें लोकल लोगों को साथ लेकर चलना होगा, नहीं तो हम इस परिस्थिति से बच नहीं सकेंगे।

बाकी समस्याओं में कॉन्टिजेंसी प्लान जरुरत है। प्लान तो तीन-चार महीने पहले बनना चाहिए। बाढ़ जब आयेगा तब आयेगा, कॉन्टिजेंसी प्लॉन पहले बनना चाहिए। हम कह रहे हैं कि कॉन्टिजेंसी प्लॉन में जो कमियां हैं उनको भी दूर करना चाहिए और इसे भी आपको देखना चाहिए। टाइम पर हैलीकोप्टर नहीं मिलता है, टाइम पर चीजें नहीं पहुंचती हैं, फूड-ग्रेन्स की ड्रॉपिंग नहीं होती हैं और रैस्क्यू का काम ठीक ढंग से नहीं होता है। पानी जब चला जाएगा तो बीमारियां शुरू हो जाएंगी। उसके लिए क्या डाक्टर्स की टीम तैयार है, क्या-क्या दवाइयां कहां-कहां भेजनी हैं, इसके लिए जब तक कॉन्टिजेंसी प्लॉन नहीं होगा, तो हम लोगों को बीमारियों से बचा नहीं पाएंगे। कॉन्टिजैंसी प्लान के बारे में सरकार की क्या सोच है, इसे यहां बताने की जरूरत है। लौंग टर्म प्लान बनाना पड़ेगा। नदियों की मॉनिटरिंग ठीक ढ़ंग से होनी चाहिए। किस समय उनका क्या रिएक्शन होगा, ये सब पहले से देखते हुए इंतजाम करने पड़ेंगे। फ्लड़ प्रोटैक्शन के जो कार्यक्रम हैं उनका ठीक ढ़ंग से इम्पलीमैंटेशन होना चाहिए। बाढ़ का पानी उतरने के बाद सारे घर गिर जाएंगे। पिछले वर्ष जितने लाख घर गिरे थे, उनसे डबल मकान इस बार गिरने वाले हैं। नए मकान बनाने के लिए अभी से योजना बनानी पड़ेगी। इन्दिरा आवास योजना को मैक्सिमम इम्पलीमेंट करना चाहिए। जितनी राशि अभी दी जाती है. उसे आठ-दस गुना अधिक करना चाहिए। मेरा सुझाव है कि एनआरईजीपी का मैक्सिमम इस्तेमाल करना चाहिए। नई सड़कें बनानी पड़ेंगी क्योंकि वे बाढ़ के कारण टूट गई हैं। सौ दिन का रोजगार देने का जो प्रोग्राम है, उसे भी उन इलाकों में चलाना चाहिए। गरीब लोगों के घर ज्यादा गिर गए हैं। उनके घर बनाए जाएं। अगर वे अपने घर बनाएं तो इस योजना को एनआरईजीपी में शामिल करना चाहिए। इसके लिए रूल्स रिलैक्स करने चाहिए। जिन के घर चले गए हैं, उनको एनआरईजीपी प्रोग्राम में शामिल करिए। इसके तहत उनको पैसा दिया जाए। जिन गरीब लोगों के घर गिर हैं, उनको इससे मदद मिलेगी। इस प्रकार एनआरईजीपी को चेंज करने की जरूरत है। सबसे ज्यादा तकलीफ में महिलाएं, बच्चे और हैंडिकैप्ड लोग हैं। मैं उनको देख कर आया हूं। वे बाहर सड़कों में रह रहे हैं। आज पशुओं को चारा नहीं मिल रहा है। इन्सानों को थोड़ा खाना मिल जाता है लेकिन पशुओं को चारा नहीं मिल रहा है। यह भी एक समस्या है। मैं समझता हूं कि यह स्टेट का काम है। जो लोग इस परेशानी को झेल रहे हैं, उनको देखना जरूरी है। सीआरएफ को भी बढ़ाना आवश्यक है। विभिन्न चीजों के जो पुराने रेट थे, उनमें वृद्धि हो गई है। खाद और बीज के दाम भी बढ़ गए हैं। किसानों की पूरी मदद करने के लिए सीआरएफ की राशि बढ़ायी जाए।

नॉर्थ इंडिया के बाढ़ की जहां तक बात है, उसके बारे में नेपाल से बात करनी चाहिए। बिहार और उत्तर प्रदेश में जो बाढ़ आती है, उसके बारे में नेपाल सरकार से बातचीत करनी चाहिए। उनका सारा पानी हमारे यहां आ जाता है। हम उसे रोक नहीं पाते हैं। जब तक वहां डैम नहीं बनेंगे तब तक इस समस्या का हल नहीं हो सकता है। डैम के बनने से इतनी बिजली बन सकती है कि वह एक-दो राज्यों को नहीं पूरे हिन्दुस्तान को कैटर कर सकती है। उसी बिजली के पैसे से नेपाल अमीर भी हो सकता है - यह कैसे हो सकता है? सरकार को इनीशिएटिव लेकर नेपाल से बात करनी चाहिए। इसका कोई परमानेंट हल निकालना चाहिए। जहां ज्यादा बाढ़ आती है, उसे रोकने का निदान ढूंढ़ा जा सकता है। बाढ़ हर साल आती रहती है और चर्चा भी होती रहेगी मगर यह एक गम्भीर सवाल है जिसका का लौंग टर्म सिस्टम बनाना जरूरी है। स्टेट, सैंटर सब बैठ कर कोई ऐसी योजना तैयार करें जिससे इसका हल निकाला जा सके। इसमें जनता को भी साथ जोड़ना चाहिए जिससे इस समस्या का हल निकाला जा सके। ऐसी कोई योजना तैयार करनी चाहिए।

श्री प्रभुनाथ सिंह : सभापति जी, हम लोग बाढ़ पर चर्चा कर रहे हैं और पीड़ितों के प्रति चिन्ता भी व्यक्त कर रहे हैं। हालांकि यह चर्चा सदन में पहली बार नहीं हो रही है। जब-जब बाढ़ का सीजन आता है तो बाढ़ आना भी तय है। देश के कुछ ऐसे प्रान्त हैं जिस में सभापति जी, आपका भी प्रान्त है। उत्तर प्रदेश और बिहार इससे प्रभावित होते हैं। इससे हमारे बगल के प्रान्त असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा भी प्रभावित होते हैं। लगभग तय है कि यहां बाढ़ आएगी। इसलिए हम लोग चर्चा करते हैं और चर्चा करके राजनीति में भी उलझते हैं। रिलीफ बांटा, नहीं बांटा इसकी भी चर्चा में उलझते हैं लेकिन इस बार की बाढ़ जो बिहार में आई है, वह अप्रत्याशित विभीषिका है। उसका कारण यह है कि खास तौर से उत्तर बिहार में नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में जुलाई से अगस्त प्रथम सप्ताह तक लगातार बीस दिन से ज्यादा बरसात हुई और इसका बहुत प्रभाव पड़ा है। इस संबंध में वरिष्ठ नागरिकों से, 80-85 की उम्र के लोगों से जब चर्चा होती है तब वे कहते हैं कि हमने अपनी जिंदगी में इतनी लगातार बारिश नहीं देखी है। भारत मौसम विभाग कार्यालय, पटना में अवस्थित है, उसने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि विगत सालों की तुलना में इस तरह की बारिश कभी नहीं हुई है। केंद्रीय जल आयोग ने बताया कि नेपाल से सटी हुई नदी खतरे के निशान से दो से तीन मीटर ऊपर पानी बह रही थी, स्वाभाविक है कि इस तरह की परिस्थिति में बाढ़ आनी थी और बाढ़ से तबाही होनी थी। इस बाढ़ ने काफी तबाही मचाई है, इस तबाही में एक ही वर्ग प्रभावित नहीं हुआ है, इसमें

सभी वर्ग के लोग प्रभावित हुए हैं चाहे वह गरीब से गरीब है या सम्पन्न लोग हैं। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा परेशान बिहार सरकार हुई है। बिहार में बाढ़ से प्रभावित जिलों की संख्या 19 ह,् जिसके 187 प्रखंड प्रभावित हुए हैं, 187 प्रखंड में प्रभावित होने वाली पंचायतों की संख्या 1958 है। अगर गांव की संख्या पर जाएं तो यह 7302 है। यह अंदाजा है क्योंकि सही अंदाजा लगाना बाढ़ की अवधि में संभव नहीं है लेकिन यह अंदाजा लगाया जाता है कि करीब सवा करोड़ लोग इस बाढ़ की तबाही के शिकार हुए हैं। इसमें प्रभावित परिवारों की संख्या लगभग 30,00,000 आंकी गई है। यह अनुमानित आंकड़ा है, इसका सही आंकड़ा देना अभी संभव नहीं है। 1,35,000 घर बाढ़ में बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं और अंदाजा है कि 5,00,000 से ज्यादा घर उजड़ चुके हैं। प्रभावित लोगों में अधिकांश लोग गरीब तबके के हैं, जो अपनी झोपड़ी बनाकर निचले इलाकों में रहते थे और जब बाढ़ का प्रकोप आया तो उन्होंने कहीं रेलवे लाईन पर ऊंचा स्थान देकर किसी तरह से रहने की व्यवस्था की जहां रहने के लिए औरतें ने अपनी साड़ी ओढ़ाई या कहीं प्लास्टिक लगाकर अपना जीवन बसर कर रहे हैं। चाहे कोई भी सरकार हो, वह कितनी ही राहत दे दे लेकिन बाढ़ की परिस्थिति से प्रभावित लोगों को आम जिंदगी लौटाना और देना कहीं से संभव नहीं है। बाढ़ की तबाही से किसान काफी परेशानी में हैं। लाखों एकड़ खड़ी फसल धान, ईख और अन्न बर्बाद हो चुकी है। कृषि विभाग के अनुसार 7,00,000 हेक्टेयर में फसल बर्बाद हुई है लेकिन यह भी अनुमानित है। इसका सही आंकड़ा देना अभी की स्थिति में संभव नहीं है। कृषि विभाग के अनुसार बिहार में 943 करोड़ रुपए मूल्य की फसल की क्षति हुई है। इसके अलावा लोगों के घर में रखा हुआ खाद्यान्न, वस्त्, बर्तन एवं अन्य सामान पानी में बह गया है। उनके मवेशियों का भी अता-पता नहीं है, कुछ बह गए हैं, कुछ मर गए हैं और कुछ भाग कर किसी गांव में गए हुए हैं। इस तरह से बहुत तबाही की स्थिति है, इससे कहीं भी इंकार नहीं किया जा सकता है।

बिहार सरकार द्वारा युद्धस्तर पर राहत कार्य चलाया जा रहा है। बिहार सरकार इस गंभीर चुनौति का पूरी संवेदना और प्रतिबद्धता के साथ सामना कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री के सीधे नेतृत्व में दिन-रात सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी लगे हुए हैं ताकि हर प्रभावित परिवार को सहायता मिल सके। इस कार्य में न सिर्फ अधिकारी और पदाधिकारी बल्कि मुख्यमंत्री स्वयं बाढ़ पीड़ित इलाकों में जाकर निरीक्षण कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि बाढ़ पीड़ित लोगों को ज्यादा से ज्यादा सामान मुहैया कराया जाए। वे उनकी दवा, भोजन और अन्य चीजों की देखभाल स्वयं कर रहे हैं। करीब 5500 नाव बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों में चलाई जा रही हैं। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा कम प्रभावित इलाकों से ट्रकों में बड़ी नावों को भरकर अधिक बाढ़ प्रभावित इलाकों में भेजी जा रहा है। दो लाख 36 हजार लोगों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से निकालकर, जो अस्थाई शरणस्थली बनाई गई हैं, वहां उनके रहने की व्यवस्था, कपड़ों की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, उनके ऊपर छाने के लिए प्लास्टिक की व्यवस्था, उन्हें बीमारी से बचाने के लिए दवाई आदि की व्यवस्था वहां अलग से की जा रही है। 441 मैडिकल टीमें मुख्य मंत्री जी ने गठित की हैं और ये टीमें प्रभावित क्षेत्रों में भेजी गई हैं। ये टीमें वहां दिन-रात लगी हुई हैं और लोगों की दवा-दारू और देखभाल की व्यवस्था कर रही हैं। 265 पशु शिविर एवं 1062 सहायता शिविर बाढ़ पीड़ित इलाकों के लोगों की भरपूर मदद कर रहे हैं। खाद्य सामग्री जैसे चूरा, सत्तू, चना, गुड़, नमक, माचिस तथा मोमबत्ती आदि अभी तक 6900 क्विंटल बांटी जा चुकी है। राशन हेतु करीब 1 लाख 34 हजार क्विंटल गेहूं और चावल, 90 हजार पोलिथीन शीट्स एवं सात करोड़ रुपये अभी तक नकद बांटे जा चुके हैं। बिहार सरकार पूर्ण तत्परता के साथ बाढ़ पीड़ितों की सहायता में लगी हुई है। लेकिन मुझे यह कहने में कठिनाई नहीं है कि ये सारी सहायता देने के बाद कोई भी सरकार लोगों को आम जिंदगी नहीं दे पाती है। मुख्य मंत्री के अनुरोध पर छत्तीसगढ़ के मुख्य मंत्री द्वारा करीब 300 टन अन्न और एक लाख पोलिथीन शीट्स भेजने की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें कुछ पहुंचा है, जिसका लोगों के बीच में अभी वितरण किया जा रहा है और कुछ अभी छत्तीसगढ़ से पहुंचा नहीं है। पहुंचने के बाद वह भी उन लोगों के बीच में बांटा जायेगा। 2 अगस्त से लगातार चार हैलिकॉप्टर ऐसी जगहों पर खाद्य सामग्री को गिरा रहे हैं, जहां नाव या अन्य कोई साधन नहीं है, जिनके द्वारा सहायता सामग्री वहां पहुंचाई जा सके। अभी तक 36,340 पैकेट्स बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच में हैलिकॉप्टरों से गिराये जा चुके हैं।

सभापति महोदय, ये सारी व्यवस्था, सारी सुविधा राज्य सरकार की तरफ से मुहैया कराई गई है। लेकिन बावजूद इसके वहां बाढ़ पीड़ित लोग काफी परेशानी और तबाही की स्थिति में है, जिनके साथ संवेदना होना स्वाभाविक है। लेकिन जो बिहार में बाढ़ की स्थिति है, वह सिर्फ बिहार की बाढ़ की स्थिति नहीं है, उसकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की बनती है। इसका कारण यह है कि राज्य सरकार नेपाल से वार्ता नहीं कर सकती। यहां जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में सरकार थी, तब नेपाल से दो-तीन बार वार्ता भी हुई थी, लेकिन उस वार्ता का कोई रिजल्ट नहीं निकल पाया। आज भी जब तक नेपाल से वार्ता नहीं होगी, तब तक वहां बाढ़ का कोई समाधान संभव नहीं है। क्योंकि हर साल वहां बाढ़ आयेगी, रिलीफ बंटेगा, यह एक परम्परा जैसी बन गई है। इसमें कुछ लोग डूबते हैं, कुछ लोग मरते हैं और हम लोग यहां लोक सभा में भाषण देते हैं, जो अखबारों में छपता है। इस परम्परा का हम लोग अनुपालन ही कर रहे हैं।

सभापति महोदय, बिहार सरकार ने राज्य स्तर पर अपना एक प्लान बनाया है, जिसे केन्द्र के पास भेजा है। हम आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहते हैं कि बिहार सरकार ने राज्य की नदियों को आपस में जोड़ने का एक प्लान बनाया है। हम यह नहीं कह सकते कि इन नदियों को आपस में जोड़ देने से हम बाढ़ से बिल्कुल बच जायेंगे, लेकिन जो तबाही अभी बिहार में हो रही है, वह तबाही वहां नहीं होगी। बल्कि बाढ़ का इतना ज्यादा पानी आने के बावजूद बिहार में अभी गया इलाके का कुछ हिस्सा ऐसा है, जहां अभी भी सुखाड़ जैसी स्थिति बनी हुई है। वहां अभी भी काफी गर्मी है। जबकि अभी छपरा की बात हुई है, अभी वहां तीन दिन से लगातार पानी गिर रहा है। राज्य के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग प्रॉब्लम इस बाढ़ के कारण पैदा हुई है। एक तरफ जहां मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर का इलाका बाढ़ से त्राहिमाम कर रहा है, वहीं उत्तर बिहार में बेतिया मुख्यालय से लेकर छपरा, सीवान, गोपालगंज और वैशाली का इलाका जलजमाव से तबाह है। चूंकि वहां पानी की निकासी का कोई साधन नहीं है। जो बड़े-बड़े चंवर हैं, वे पानी से भर चुके हैं। किसानों ने जो फसल बोई थी, वह डूब चुकी है और दोबारा से फसल लगाने की उनकी स्थिति नहीं है। साल भर फसल के अभाव में किसान को भुखमरी के कगार पर पहुंचना पड़ेगा। हम गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहते हैं कि राज्य सरकार केन्द्र सरकार से सहयोग की उम्मीद करती है और इसी क्रम में बिहार के मुख्य मंत्री श्री नीतीश कुमार ने 12.08.2007 को...(व्यवधान)

जल संसाधन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज़) : क्या आप मुझे दो मिनट बोलने का मौका देंगे?

श्री प्रभुनाथ सिंह : आप तीन मिनट लीजिए।[b46]

जल संसाधन मंत्री : महोदय, मैं बड़ी मुश्किल में हूं क्योंकि बाढ़ से जो नुकसान हुआ है और जो राहत के काम हैं, उनका जवाब गृह मंत्री जी देंगे, लेकिन बीच-बीच में जो सवाल उठे हैं, उनका मेरे मंत्रालय से ताल्लुक है। उनका जवाब मैं दे सकता हूं। इन्होंने नदियों का सवाल उठाया।...(व्यवधान)

(Space for Urdu)

सभापति महोदय : बाद में जवाब दीजिएगा। अभी नहीं।

प्रो. सैफुद्दीन सोज़: जो दो मिनट मैंने मांगे हैं, वह तो मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए। अभी जो बिहार के बारे में ये बता रहे थे, वहां की सरकार ने बहुत कुछ किया होगा। केन्द्र सरकार जो बिहार के लिए कर रही है या करने वाली है, उस पर भी रौशनी डाली जानी चाहिए।...(व्यवधान) हन्नान मोल्लाह साहब ने कहा कि एक और ब्रह्मपुत्र बोर्ड बन रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि ब्रह्मपुत्र बोर्ड नहीं बल्कि ब्रह्मपुत्र बोर्ड को नयी शक्ल दी जा रही है।...(व्यवधान) इस बारे में नोट गया हुआ है, हम कैबिनेट के सामने जा रहे हैं ताकि पूरे रीजन को इसका फायदा हो जाए। मेरा मतलब यह है कि जो काम मेरे मंत्रालय से ताल्लुक रखता है, उसके लिए मैं कहना चाहता था नहीं तो गलतफ़हमी हो जाएगी।...(व्यवधान)

(space for Urdu)

सभापति महोदय : माननीय मंत्री जी, जब डिबेट हो जाए तब आप जवाब दीजिएगा या आप इंटरवीन करना चाहेंगे तो आपको मौका मिलेगा।

...(व्यवधान)

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' (बेगूसराय): कोई गलतफ़हमी नहीं होगी। यह तो केन्द्र की जिम्मेवारी है, इसे पूरा करिएगा। यह सामूहिक जिम्मेवारी है। गृहमंत्री जी जवाब देंगे, आप उनको फीड बैक दीजिए।...(व्यवधान)

सभापति महोदय: अगर आप इंटरवीन करना चाहेंगे तो आपको मौका मिलेगा।

प्रो. सैफुद्दीन सोज़: मेरी अर्ज सुन लीजिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि गृह मंत्री जी जवाब दे देंगे लेकिन जो बीच-बीच में सवाल उठ रहे हैं कि केन्द्र सरकार बिहार के लिए क्या करना चाहती है? ...(व्यवधान)

(Space for Urdu)

सभापति महोदय : आप भी जवाब दीजिएगा।

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' : आपकी सरकार में समन्वय का अभाव है।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : माननीय मंत्री जी, बाढ़ पर बहस चल रही है, इसमें राहत भी शामिल है और बाढ़ की योजनाएं भी शामिल हैं। बाढ़ की योजना से आपके विभाग का ताल्लुक है। जब बहस हो जाए और बीच में कुछ और माननीय सदस्य बोल लें तब आपको इंटरवीन करने का पूरा अधिकार है। आप अपनी सूचना देंगे, आपको इंटरवेंशन का मौका मिलेगा। अभी कृपया माननीय सदस्यों को बोलने दीजिए। मंत्री लोग ही यदि टोकाटोकी करेंगे तो कार्यवाही तो रात तक चलेगी। प्रभुनाथ जी, आप अपनी बात कहिए।

श्री प्रभुनाथ सिंह : सभापति जी, देश के अंदर ही बिहार है और मैं यह कभी नहीं कह रहा हूं कि केन्द्र सरकार बिहार के प्रति चिन्तित नहीं होगी या अपने को जवाबदेय नहीं मानती होगी। हम सिर्फ यह कहना चाहते हैं कि जो बिहार सरकार ने, बिहार के मुख्य मंत्री ने परस्पर नदियों को जोड़ने का प्रस्ताव दिया है, माननीय मंत्री जी, आप उसे स्वीकृत करके धन मुहैया कराइए और वैसे भी कोई राज्य सरकार केन्द्र से यदि राशि मांगती है तो वह भीख नहीं मांगती है, उसका हक बनता है और वह अपना हक मांगती है। इसलिए यह कोई कृपा की बात नहीं है। केन्द्र और राज्य दोनों की जिम्मेवारी बनती है कि देश की जनता की सुरक्षा करे और इसमें आप उस जवाबदेही से कहीं अलग नहीं है। हम यह बता रहे थे कि मुख्य मंत्री जी ने मिलकर माननीय प्रधान मंत्री जी से कई तरह के अनुरोध किये हैं जिसमें उन्होंने विभिन्न मदों में 11.56 करोड़ रुपये का संसाधन जुटाने का अनुरोध किया है। बाढ़ निरोधी और भुकम्प निरोधी घरों के निर्माण एवं शरण स्थलों के लिए 5000 करोड़ रुपये की उन्होंने मांग की है। इसी तरह से कृषि क्षेत्र में हुई क्षति के लिए 700 करोड़ रुपये की मांग की गई है। बाढ़ निरोधी यानी उच्च तकनीक यानी वैज्ञानिक विधि से लोगों के प्रतिष्ठापन हेतु 1600 करोड़ रुपये की मांग की गई है। बिहार में हर वर्ष बाढ़ की विभीषिका का स्थायी समाधान खोजने हेतु उच्च स्तरीय टॉस्क फोर्स बनाने का अनुरोध किया गया है। नेपाल के साथ हल ढूंढ़ने के लिए उच्च स्तरीय पहल करने का भी अनुरोध किया गया है। गेहूं एवं चावल के 30 लाख क्विंटल अतिरिक्त आबंटन की मांग की गई है ताकि 50 किलो गेहूं और 50 किलो चावल प्रभावित प्रति परिवार को दिया जा सके। 180 लाख लीटर केरोसिन तेल की भी मांग की गई है। फसल के नुकसान हेतु किसानों को दी जा रही 2000 रुपये की राशि को बढ़ाकर 5000 रुपये करने की मांग की गई है। स्टॉक एवं प्रबंध के अंतर्गत 212 करोड़ रुपये देय का अनुमान है जिसके लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया गया है। क्षतिग्रस्त सड़कों के निर्माण के लिए 1600 करोड़ रुपया खर्च होने का अनुमान है जिसके लिए सहायता की मांग की गई है। हम बता रहे थे कि बाढ़ से न सिर्फ किसान प्रभावित हुए हैं बल्कि बिहार की सरकार भी पूरी तरह से प्रभावित हुई है। इसलिए कि बिहार के मुख्य मंत्री ने संकल्प के रूप में बिहार के विकास को लिया था और बिहार के चारों तरफ की सड़कों के निर्माण का काम प्रारम्भ हो चुका था। लेकिन फिर से उन सड़कों को गड्ढे के रूप में तबदील कर दिया गया है। बिहार आर्थिक बोझ से अत्यधिक प्रभावित हुआ है। इन सारी बातों को बिहार के मुख्यमंत्री ने केन्द्र में प्रधानमंत्री जी से मिलकर आग्रह किया है और मैं भी आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि माननीय गृह मंत्री

जी बैठे हुये हैं, जो सवाल मैंने उठाये हैं, उन पर गम्भीरता से चिन्तन करें और राज्य सरकार को सहायता दिलाने की कृपा करें।

श्री शिवराज वि. पाटील : सभापति जी, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जब मैं जवाब दूं, उस समय माननीय सदस्य शायद यहां न हों।...(व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह : सभापति जी, मैं उस समय जरूर यहां रहूंगा।

सभापति महोदय : यह अभी जा रहे हैं, इनको जल्दी जाना है।

श्री शिवराज वि. पाटील: मैं यह कहना चाहता हूं कि केन्द्र से तीन प्रकार की मदद की जाती है। एक- सीआरएफ, दो- एनसीसीआरएफ, तीन- प्लानिंग कमीशन मदद करते हैं। माननीय सदस्य जिस तरह की मांग कर रहे है, उसके लिये प्लानिंग कमीशन से पैसा दिया जाता है। वह केवल मैमोरैंडम न देकर उसका पूरा प्लान बनाकर भेजें कि कितने घर गिरे हैं, कितना उन पर पैसा लगना है, कितनी सड़कें खराब हुई हैं, उनकी मरम्मत के लिये कितना पैसा चाहिये और काश्तकारों को कितना पैसा देना है। इन सब का प्लान बनाकर भेज दीजिये, उसे हम दिखवा लेंगे। वह मामला कैबिनट में जाता है। हर साल सभी प्रान्तों के लोगों को,. चाहे वे सुनामी से पीड़ित रहे हों, बाढ़ से हों या भूकम्प से रहे हों, पैसा दिया जाता रहा है। सभापति जी, इनका प्लान आने पर पैसा दिया जायेगा लेकिन केवल लैटर लिखने से नहीं होगा। इनको प्लान बनाकर देना पड़ेगा कि किस काम के लिये कितना पैसा चाहिये, तब हम मदद कर पायेंगे।

सभापति महोदय : अभी तक माननीय सदस्य उत्तर प्रदेश की मांग से बहुत पीछे हैं। इसके लिये इनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हमने तो 80 हजार करोड़ रुपया मांगा है और आप केवल 10-20 हजार करोड़ रुपया मांग रहे हैं।

श्री प्रभुनाथ सिंह : सभापति जी, हमने भी मांगा है। माननीय गृह मंत्री जी ने जिन बातों को बताया, हम उन्हें राज्य सरकार तक पहुंचा देंगे और हम प्रयास करेंगे कि जैसा केन्द्र ने प्रारूप की अपेक्षा की है, हम वैसा भेज देंगे।

सभापति जी, मैं एक निवेदन के साथ अपनी बात समाप्त कर दूंगा। बिहार में बाढ़ की विभीषिका लोग झेल रहे हैं। अभी तक केन्द्र की ओर से बिहार के बाढ़ पीड़ितों को कोई सहायता नहीं मिली है।

सभापति महोदय : ऐसा नहीं है, आप किताब पढ़िये, उसमें लिखा हुआ है, यह अन्याय है, डिसइनफौर्मेशन है।

श्री शिवराज वि. पाटील : अभी बिहार को 700 करोड़ रुपया दिया गया है।

श्री प्रभुनाथ सिंह : सभापति जी, अभी जो बाढ़ से क्षति हुई है, उसके लिये केन्द्र की जिम्मेदारी बनती है कि वह बिहार में एक टीम भेजे जो इस बात की समीक्षा करती लेकिन केन्द्र की ओर से बिहार के लिये कोई टीम नहीं भेजी गई। हां, केन्द्र से दो मंत्री जरूर गये हैं जिनमें से एक मंत्री हैलीकाप्टर विवाद में फंस गये हैं, हैलीकाप्टर से उतरना कहां था, उतर कहां गये और वह खबर अखबार में आ जाने से विवाद का विषय हो गया है। उन माननीय मंत्री जी ने कहा कि बिहार सरकार निकम्मी है और वह कुछ नहीं कर रही है। वे फोटोग्राफर साथ लेकर गये थे और फोटो खिंचवाकर अखबारों में भिजवा दिये। मैं निवेदन करता हूं कि ऐसे नेताओं और मंत्रियों को राजनीति नहीं करनी चाहिये क्योंकि बिहार कोई नीतीश कुमार जी का व्यक्तिगत प्रदेश नहीं, यह देश का एक महत्वपूर्ण भाग है। अगर मंत्री महोदय बिहार गये थे तो साथ में कुछ चूड़ा-मीठा लेकर जाते जिससे बाढ़ पीडितों को राहत मिलती। जितना खर्च हैलीकाप्टर को ले जाने में किया गया, चूड़ा-मीठा उससे कम खर्च में आता। हम समझते हैं कि बिहार की बाढ़ पीड़ित जनता आंसू बहा रही है। जब बिहार के दूसरे मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो कहते थे कि जितना पानी आया है, उतना पारा हम पी जायेंगे लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास ऐसा कोई पारा नहीं है जिससे वह बाढ़ का पानी पी जाते। आज इस सदन में यह आरोप लगाया जा रहा है कि बेतिया में लाठी चल गई, मुजफ्फरपुर में लाठी चल गई। बाढ़ पीड़ितो के साथ दोषारोपण की राजनीति न करके बिहार के लोगों के हित में काम करना चाहिये। देश के लोगों को समझना चाहिये कि बिहार आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ राज्य है। इसलिये बिहार के मुख्य मंत्री ने यह संकल्प किया है कि बिहार के विकास के लिये वह कटिबद्ध हैं। उन लोगों में बेचैनी है कि सब लोगों को सहयोग करना चाहिये ताकि बिहार के लोगों के हित में काम हो सके।

सभापति महोदय : आपको गैर-राजनीतिक भाषण देने के लिये धन्यवाद ।[s47]

श्री शिवराज वि. पाटील : श्रीमन्, मैं कहना चाहूंगा कि नीतीश कुमार जी के खिलाफ या स्टेट गवर्नमैंट के खिलाफ हमने एक शब्द नहीं बोला। मैं बताना चाहता हूं कि वहां जाने के बाद हमने 114 करोड़ रुपये ज्यादा दे दिये। ...(व्यवधान)

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' : सभापति जी, मैं माननीय गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आपके बारे में नहीं कहा गया, किसी दूसरे के लिए कहा गया। ...(व्यवधान) आपने वहां जाकर राहत कार्यों को देखा और मदद की, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : अब बात खत्म हो गई। आप बैठिये।

श्री बालासाहिब विखे पाटील।

â€¦(व्यवधान)

श्री बालासाहिब विखे पाटील (कोपरगांव) : सदन खाली बिहार की बात न करे, देश की बात भी करे। ...(व्यवधान) आप बिहार की बात भी करें, महाराष्ट्र की भी करें, पूरे राष्ट्र की बात करें। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : अब तक राष्ट्र की बात हुई, अब आप महाराष्ट्र की बात करें।

श्री बालासाहिब विखे पाटील : माननीय सभापति जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे इस चर्चा पर बोलने का मौका दिया। चर्चा को शुरू करते हुए अनंत कुमार जी ने कहा कि The United Nations has declared the flood situation in India and Bangladesh as the worst in the living memory. यह बात सही है और यह भी मानना ज़रूरी है कि इतने बड़े पैमाने पर बाढ़ आ जाएगी ऐसा किसी ने सोचा नहीं था। बाढ़ से निपटने के लिए तैयारी करना एक बात होती है परंतु सोच के बाहर परिस्थिति चली जाती है तो अलग बात होती है। इसकी संयुक्त जिम्मेदारी केन्द्र और राज्य सरकारों की है और किसी को एक्यूज़ करने से समस्या का हल नहीं होता। गृह मंत्री जी ने एक किताब पब्लिश की है - South West Monsoon 2007 – Flood Situation in the Country.

यह पहली बार हुआ है कि उन्होंने सब पब्लिकेशन काउंटर्स पर यह किताब दी जिसमें बताया गया है कि देश के हर राज्य में क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और क्या करना ज़रूरी है। यह एक अच्छी किताब दी है। इसके लिए मैं मंत्री जी का अभिनन्दन करता हूं कि पहली बार संसद को विश्वास में लेकर यह किताब देने की कोशिश की है, नहीं तो एक नोट मिलना भी बड़ा मुश्किल होता था।

दूसरी बात यह है कि प्रधान मंत्री जी ने भी तुंत राहत के आदेश दिये हैं। यह बात भी सही है कि पटना, गोहाटी और कुछ जगहों पर गृह मंत्री और यूपीए चेयरपरसन श्रीमती सोनिया गांधी जी गईं। उन्होंने लोगों से मिलने की कोशिश की, बात की और वहां राहत देने के लिए सरकार को कहा। गृह मंत्री जी ने भी कहा। वे वहां लोगों से मिले। श्रीमती सोनिया गांधी यूपीए की चेयरपरसन हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि उनके वहां जाने में क्या आपत्ति है? कुछ सदस्य कह रहे थे कि वे क्यों गईं, प्रधान मंत्री जी क्यों नहीं गए। मैं मानता हूं कि प्रधान मंत्री जी का जाना जरूरी है लेकिन हर राज्य में एक ही समय पर प्रधान मंत्री जी के लिए जाना मुमकिन नहीं है। अभी गुजरात में गावीत जी गए। उन्होंने स्टाक ऑफ द सिचुएशन लिया और बात की। सरकार ने उनकी बात सुनी। आप भी एनडीए में सरकार में थे। आप जानते हैं। उस समय एक आदमी के लिए एक बार में देश के अंदर सभी जगह घूमना मुश्किल हो जाता था।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन (भागलपुर): आप भी तो हमारे साथ थे।

श्री बालासाहिब विखे पाटील : इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि राजनीति से ऊपर उठकर, दल से ऊपर उठकर बाढ़ की स्थिति पर चर्चा होना ज़रूरी है। कर्नाटक में राजनीति हो रही है, बिहार में राजनीति हो रही है, गुजरात में राजनीति हो रही है। अभी बाढ़ से निपटने की तैयारी करनी है। सभी राज्यों में किसी न किसी दल की सरकार है। बंगाल में किसी पार्टी की सरकार है, महाराष्ट्र में किसी और पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में और है, उत्तराखंड में और है। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं। किसी एक पार्टी की सरकार सभी राज्यों में नहीं है इसलिए हम किसी को क्रिटिसाइज़ करें और किसी का अभिनंदन करें वह ठीक नहीं है। यह ऐसी समस्या है जिसके लिए हम सब लोगों को एकजुट होकर कार्य करना होगा।

अभी प्रभुनाथ सिंह जी ने कहा कि केन्द्र सरकार और राज्य सरकार एक साथ बैठे और एक नीति तैयार करे जिससे बंग्लादेश और नेपाल की समस्या जो कई सालों से चली आ रही है, आज़ादी के दिनों से चली आ रही है, वह दूर हो। एक जाइंट कमीशन बना। उसकी कई बार मीटिंग हुई है लेकिन उसका जो हल निकलना चाहिए था, वह नहीं निकला है। नेपाल की राजकीय स्थिति भी अस्थिर है। हम चाहते हैं कि वहां जल्दी शांति आए और एक स्थिर सरकार बन जाए जिससे भारत सरकार और नेपाल सरकार के बीच में कुछ न कुछ रास्ता निकलेगा जिससे बिहार और उत्तर प्रदेश को भी राहत मिल सकती है। यह बात सही है कि वहां बिजली भी पैदा हो सकती है और वह बिजली नेपाल, भारत और बंग्लादेश को भी मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि भारत सरकार नहीं सोच रही कि राहत न मिले या नेपाल से बात न करे। नेपाल कोई अछूता देश नहीं है और नेपाल से हम लगातार बात कर रहे हैं। लेकिन एक ऐसा वातावरण तैयार हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि नेपाल से कोई बात ही नहीं हो रही है। ये सही नहीं है।

महोदय, नेपाल की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है अथवा भारत सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है, इसलिए बाढ़ की स्थिति पैदा हुई है, अथवा जब युनाइटेड नेशन्स ने कहा कि यह अनप्रेसीडेंटेड स्थिति है, यह अत्यन्त गम्भीर परिस्थिति है, तब सरकार ने ध्यान दिया है, ऐसी बात नहीं है। मैं इस बात को दुबारा नहीं कहना चाहूंगा। बाढ़ के समय राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है। यह बात सही है कि केन्द्र सरकार की भी जिम्मेदारी है, लेकिन यदि राज्य सरकारें यह सोचेंगी कि केन्द्र सरकार ही सब कुछ करेगा, तो कैसे काम चलेगा। केन्द्र सरकार को तो राज्यों की औटोनॉमी को प्रोटैक्ट करना है। सरकारिया कमीशन के अनुसार केन्द्र सरकार राज्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है और न करना चाहते हैं। आप कहना चाहते हैं कि राज्यों की जिम्मेदारी को भी केन्द्र निभाए और केन्द्र की जिम्मेदारी को तो केन्द्र निभाएगा ही। आप चाहते हैं कि केन्द्र पैसा दे और राज्य खाली पैसा लेने का ही काम करें, तो काम कैसे चल सकता है।

महोदय, मैं गृह मंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने इस संबंध में रिवाइज गाइड लाइन बनाई हैं। उनके अनुसार पहले जहां कंपैन्सेशन 50 हजार रुपए था, उसे अब केन्द्र सरकार ने बढ़ाकर एक लाख रुपए कर दिया है। फसल बीमा योजना के अन्तर्गत पैसा बढ़ाया गया है। किसी की मृत्यु हो जाए, कोई कच्चा घर बनाए या कोई पक्का घर बनाए उसके लिए धनराशि लिए दुगनी कर दी गई है। जो बाढ़ और कमांड एरिया है, उसे ईयरमार्क करके उससे बाहर रीहैबिलिटेशन होना चाहिए। रीहैबिलिटेशन अच्छी तरह से करने की बात चल रही है। रीहैबिलिटेशन करने के लिए हमेशा नदी के किनारे मकान बना दिए जाते हैं। इससे समस्या और जटिल हो जाती है।

महोदय, अभी श्री हन्नान मोल्लाह साहब ने ठीक कहा कि हमने बांध बना दिए। मैं बताना चाहता हूं कि बांध बनाने के कारण नदियां ऊंची हो गई हैं और जमीन नीची हो गई है। इससे जैसे ही पानी बरसता है वैसे ही बाढ़ आ जाती है। पहले नैसर्गिक रूप से पानी फैलता था, तब बांध नहीं थे, पानी फैलता था और निकल जाता था। अब तो जून से पानी बरस रहा है। दो महीने से लोग परेशान हैं। बाढ़ में गरीब आदमियों की मवेशियां बह गई, उसके बर्तन बह गए। उसकी रोजी नहीं, रोटी नहीं। यह ठीक है कि बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में सरकार मुफ्त खाना दे रही है। जब हम रीहैबिलिटेशन की बात करते हैं, तो वह पूरी तरह से होना चाहिए, आधा-अधूरा नहीं। जैसे इंदिरा गांधी आवास योजना है। हमें अपने 50 साल के अनुभव से इसी प्रकार का एक विशेष पैकेज डाउटप्रोन एरिया में और फ्लडप्रोन एरिया में देना चाहिए। उसके अंदर हमें उनके लिए अलग से मकान बनाने की योजना बनानी चाहिए। उनके लिए अलग से इंश्योरेंस की, सोश्यल सिक्योरिटी की व्यवस्था करनी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं कि जितने बाढ़ पीड़ित लोग हैं, उनके लिए आज क्या सोश्यल सिक्योरिटी है, उनके बच्चों की पढ़ाई की क्या व्यवस्था है, वे कहां पढ़ेंगे? उनके छः महीने तो चले गए। इसलिए मेरा सुझाव है कि राज्य सरकार और केन्द्र सरकार, दोनों को मिलकर इकनौमीकल वीकर सैक्शन्स के बच्चों के लिए होस्टेल बनाने चाहिए,

आश्रम स्कूल बनाने चाहिए और एक ऐसी योजना बनानी चाहिए जिससे उनकी आगे आने वाली पीढ़ियों को, उनके बच्चों को, बाढ़ पीड़ित होने के कारण तरसना न पड़े, बल्कि वे खुद आगे जाकर कुछ करें।

महोदय, मेरा चौथा सुझाव है कि जितने भी बाढ़ पीड़ित इलाके हैं उनमें एम्पलाइमेंट गारंटी स्कीम प्राथमिकता के आधार पर चलानी चाहिए। महाराष्ट्र में यह चल रही है। महाराष्ट्र ने एक कोशिश की है कि रिवर्स को फ्लोर इर्रीगेशन के लिए डायवर्ट किया है, जैसा पठानकोट में है। कहीं 40 परसेंट कच्चे और कहीं 60 परसेंट पक्के में पानी बह जाता है। पानी बार-बार अनइर्रीगेटेड एरिया में चला जाता है। जब ऐसा होता है, तो बाढ़ की स्थिति नहीं आती है, क्योंकि पानी अलग-अलग एरियाज में बह जाता है। अब क्या हो रहा है कि नई टैक्नौलौजी आ रही है। उसमें रिजरवायर भर जाता है, तो उसके गेट खोल दिए जाते हैं, जिससे कहीं 5 लाख, कहीं 7 लाख और कहीं 10 लाख क्यूसिक्स पानी इकट्ठा हो जाता है। इससे बाढ़ की स्थिति बन जाती है। कभी-कभी आसमानी संकट के कारण भी बाढ़ आ जाती है। कभी-कभी रिजर्वॉयर के ऊपर हमारा कंट्रोल गलत हो जाता है, जिससे बाढ़ की स्थिति बन जाती है। इसलिए हमें कोई ऐसा मैकेनिज्म ढूंढ़ना होगा जिसके अन्तर्गत यह हो कि कब हमें गेट बन्द करने हैं और कब हमें गेट खोलने हैं। रिजर्वॉयर को हमें ठीक प्रकार से मॉनीटर करना होगा। पुराने समय में पानी बरसता था, तो निकल जाता था। कहीं गेट खोलने और बन्द करने का कोई कारण ही नहीं था। पहले इर्रीगेशन भी ठीक हो जाती थी, पानी सबमर्ज भी हो जाता था, लेकिन अब जो नई टैक्नॉलॉजी आ गई है, उसके कारण गढ़चिरौली, अमरावती, सांगली और कोल्हापुर में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। इसके साथ-साथ कर्नाटक और महाराष्ट्र में आज भी विवाद चल रहा है। जून के महीने में ही महाराष्ट्र में बाढ़ आ गई है। अक्तूबर और नवम्बर के महीने तो अभी आने हैं, जिनमें बारिश आती है। हमें देखना चाहिए कि इस समस्या को कैसे सुलझाया जाए। यह अच्छी बात है कि इसके लिए मशीनें लगाइ जाएगी और वार्निंग सिस्टम सेटअप किए जाएंगे। लेकिन बाढ़ की प्रमुख समस्या रिहेबलिटेशन है। भारत सरकार ने एक नीति बनाई थी कि वर्ष 2002 तक हर राज्य इंटरस्टेट रिवर लिंकेज प्रोजेक्ट तैयार करके भेजे। लेकिन कुछ राज्यों ने भेजा है और कुछ ने नहीं भेजा है। महाराष्ट्र ने भी भेजा है। मेरा कहना है कि जिन राज्यों ने अपने प्रोजेक्ट भेजे हैं, उनको तकनीकी रूप से देखकर उन्हें भारत सरकार के प्रोजेक्ट के रूप में स्वीकार किया जाए। It should be a Central or National project. बड़ा लिंकेज प्रोजेक्ट तो अब यह बनेगा नहीं, क्योंकि यह प्रोजेक्ट विवाद में फंस गया है। हर राज्य अलग-अलग बात कर रहा है। विभिन्न राज्यों के बीच इस संबंध में झगड़े चल रहे हैं। इस पर इम्पलीमेंट होने से न तो बिहार यह कहेगा कि उसका पानी तमिलनाडु जाए, न महाराष्ट्र कहेगा कि आंध्र जाए, न आंध्र वाले कहेंगे कि हमें पानी चाहिए...(व्यवधान) I am specifically talking about within the State. राज्य के अंदर ही रिवर लिंकेज प्रोजेक्ट यदि इम्पलिमेंट होता है तो जहां ज्यादा बारिश होती है और पानी बह जाता है Surplus water can be transferred to the deficit areas located within as also outside the basin. हम कृषि की ग्रोथ रेट 4 प्रतिशत चाहते हैं, नेशनल ग्रोथ रेट 8-10 प्रतिशत चाहते हैं, वह इससे ही अचिव होगी, क्योंकि Flood control means development. जब तक बाढ़ पर नियंत्रण नहीं होगा तो ऐसे ही नुकसान होता रहेगा। करोड़ों लोग इसके कारण बेघर हो गए हैं। लक्षावधि घर खत्म हो गए हैं, फसल नहीं के बराबर बची है। जिस कारण से बैंकों के ऋण डूब गए हैं। इसलिए बाढ़ नियंत्रण के लिए हम जो भी करना चाहते हैं, वह करना चाहिए, यह जरूरी भी है। कई अर्थशास्त्रियों और साइकोलॉजिस्ट ने लिखा है कि बाढ़ नियंत्रण के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा।

किसान की फसल बर्बाद होने के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जिस तरह से वैद्यनाथन कमेटी ने revitalisation of co-operative societies and district cooperative banks का पैकेज दिया था, सुखाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों के लिए राधाकृष्णन कमेटी ने कहा था यदि एक साथ दो साल तक फसल का नुकसान हो जाता है तो उनका ब्याज माफ कर दिया जाना चाहिए, लेकिन यदि तीसरे साल भी वही होता है तो फिर क्या किया जाए? मेरा इस संबंध में यह आग्रह है कि राधाकृष्णन कमेटी की सिफारिशों को आगे बढ़ाते हुए बाढ़ प्रभावित एरिया में बाढ़ से जिस किसान की फसल खत्म हो जाती है तो उसका ऋण माफ कर दिया जाना चाहिए। इसके लिए भारत सरकार को बैंकों की आर्थिक मदद भी करनी चाहिए अन्यथा इससे बैंक भी डूब सकता है।

महोदय, ब्रिटिश जमाने में और आजादी के बाद भी किसानों को तकावी लोन दिया जाता था। लेकिन तकावी लोन बाद में माफ भी किया जाता था। तकावी लोन मवेशी लेने के लिए, सीड लेने के लिए, हल खरीदने के लिए और मकान बनाने के लिए लेते थे। तकावी लोन का मकसद भी यही था। वर्ष 1972-74 में महाराष्ट्र में अकाल पड़ा था। उस समय वसंत राव नाइक मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 700 करोड़ रूपये का तकावी ऋण किसानों को दिया था। *Ex-gratia* payment is assistance. हमें यह सोचना चाहिए कि इसी तरह के नये और पुराने तरीकों को मिलाकर हम किस तरह से लोगों को राहत दे सकते हैं अन्यथा लोग यही कहेंगे कि हम केवल भाषण देते रहते हैं। पिछले साल तीन बार बाढ़ और अकाल पर चर्चा हुई। अकाल और बाढ़ पर चर्चा करना एक तरह से हाउस की मजबूरी हो गया है। यदि इस पर चर्चा नहीं करेंगे तो लोग क्या सोचेंगे? लेकिन चर्चा करने से भी कोई परिणाम नहीं निकल रहा है। मैं 25 साल से इस हाउस में हूं, 5-6 साल को छोड़कर। मैं देख रहा हूं कि हर साल यही चर्चा हो रही है। लेकिन कोई कन्क्रीट प्लान नहीं बनाया जा रहा है। अनन्त कुमार जी ने टास्क फोर्स की बात कही है[r48]।

वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री के टास्क फोर्स ने सही लिखा है, उन्होंने 5300 करोड़ रुपये का प्लान बनाया था और उन्होंने 2010 के लिए 3400 करोड़ रुपये का प्लान बनाया था, 2005-2006 और 2006-2007, दो साल के लिए, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ। उन्होंने यह भी लिखा है, The States are not capable. So, sharing should be there. शेयरिंग तो हो गई है, कुछ जगह उन्होंने 90 परसेंट शेयर दिया है, कुछ जगह 25 परसेंट शेयर स्टेट को दिया है और 75 परसेंट सैण्टर को दिया है। मैं यह सुझाव इसलिए आपको दे रहा हूं कि यह एक दिन का काम नहीं है। It should be treated as basic infrastructure like road, irrigation, etc. अभी हम सभी भारतवर्ष की ग्लोबल इकोनोमी के कारण, हमारी आबादी बढ़ने के साथ हम ग्रोथ रेट बढ़ाना चाहते हैं और ग्रोथ रेट के लिए हम बिजली चाहते हैं, ग्रोथ के लिए हम रास्ता चाहते हैं, ग्रोथ के लिए हम रेलवे चाहते हैं, ग्रोथ के लिए हम उद्योग चाहते हैं, ग्रोथ के लिए हम एस.ई.जैड. चाहते हैं, इफ्रास्ट्रक्चर की बात हम करते हैं तो फ्लड रीहैबिलिटेशन और फ्लाड कंट्रोल को इफ्रास्ट्रक्चर का एक हिस्सा बनाकर, बाहर से थोड़ा पैसा लेकर या ऋण लेकर इसके लिए थोड़ा बांड फ्लोट करो और हर राज्य पर जिम्मेदारी डालो। जो राज्य ठीक काम करेगा, उसको बाद में पैसा दे दो या लोन में पैसा दे दो, नहीं तो मत दो, क्योंकि Some accountability should be there. It should not be without any accountability of the States or the concerned Departments.

अभी नोर्थ ईस्ट की बात है, नोर्थ ईस्ट में यही हो रहा है। यह समस्या वहां हर साल आती है। हमारे यहां बिजली की भी कमी है, इसीलिए मैं यह सुझाव दे रहा हूं। It should be treated as infrastructure. अदरवाइज़ इसको प्राथमिकता नहीं मिलेगी, इसलिए मैं सरकार को 3-4 सुझाव और भी देना चाहूंगा।

16.46 hrs. (Shri Varkala Radhakrishnan in the Chair)

अभी जो वातावरण की स्थिति है, उसमें महाराष्ट्र के बारे में कुछ कहा गया है। मैं आपको कहूंगा कि मुम्बई में जो कुछ पैसा दिया है, वह ठीक ही चल रहा है। उससे वहां बाढ़ की स्थिति नियंत्रण में रखने की कोशिश हो रही है, लेकिन जब अचानक बाढ़ आ जाती है तो कोई भी राज्य हो, कोई भी सरकार हो, मुझे तो लगता है कि भारत सरकार का अभी तक जो सवाल है, उसमें तो मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि उन्होंने कई सैण्टर्स खोले हैं। अब आर्मी के हैलीकॉप्टर्स वहां चले गये हैं और जवान काम कर रहे हैं, पूरी मिलिट्री की नौकाएं काम कर रही हैं। मेरा दूसरा यह सुझाव है कि दुनिया में मिलिट्री को इतनी तेजी से लगाते नहीं हैं। फ्लड सिचुएशन और डिजास्टर मैनेजमेंट में भारत एक ऐसा देश है कि किसी भी राज्य सरकार का कुछ काम हो, चाहे पीस का हो, दंगा हो, कुछ भी हो, मिलिट्री को बुला लेते हैं। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट कानून के हिसाब से ऐसा कोई प्रावधान होना चाहिए, ऐसा कोई एक संगठन होना चाहिए, जो खुद काम करे, क्योंकि उसमें कई समस्याएं तैयार हो जाती हैं और डिजास्टर मैनेजमेंट के हिसाब से अभी कितनी नावें चल रही हैं, कितने फौजी काम कर रहे हैं, आखिर वे भी तो इन्सान हैं, फौजी होने से क्या फर्क पड़ता है। They are also human beings, कम से कम फौजी को काम करने के लिए भी कुछ सोचना चाहिए। So my suggestion is that there should be a separate organisation to deal with the disaster management. I can understand in an emergency situation but not for all time to come. यह भी थोड़ा सा सरकार और सभी दल इकट्ठे बैठकर, मेरा सुझाव है कि इसमें जरा सोचें कि कोई और रास्ता हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं और कैसे लोगों की मदद भी हो सकती है और राहत का काम भी हो सकता है। आज आर्मी एक ऐसी चीज बन गई है कि जब चाहे उनको बुला लो। यह भी मुझे लगता है कि ठीक नहीं हो रहा है। We must have an authority for each and every valley. Once we have an authority for each and every valley, then we can plan everything including rainfall, runway, floods and what not. Some States have appointed some Basin Valley Authority. The Brahmaputra Board is converting the Board into the Valley Authority. It is a welcome step. In that way, the Ministry of Water Resources, Government of India and the State Governments should see to it. This is a State subject. ब्रह्मपुत्र बोर्ड की बात भी कही गई है। हर एक वैली के लिए मैं यह सुझाव दे रहा हूं। Law and order, earthquake, flood situation, cyclone and what not, everything under sky और सभी राज्य सरकारों को भी यह देखना जरूरी है कि हमारी जितनी नदियां हैं, हर एक नदी की 1-1 वाटर एथारिटी बन जाये।[R49]

उसके कारण एक अच्छा प्लानिंग बनेगा। बाढ़ की स्थिति के लिए हमें थोड़ा सा अभ्यास तो है ही, लेकिन हमें इसे नियंत्रण करने में मदद होगी। यह मेरा एक छोटा सा सुझाव है। समस्यायें तो कई हैं, लेकिन आप चेयरमैन हैं और आपने वार्निंग दी हैं, तो सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि we cannot over-rule you, otherwise you will not allow us to speak the next time. मेरा यही सुझाव है कि बाढ़ की स्थिति बहुत गंभीर है, अनप्रेसीडेंटेड है, लेकिन कर्नाटक को पैसा दिया, यह गलत है। सभी स्टेट को भारत सरकार एक जैसा ले रही है, एक जैसा पैसा दे रही है। They are treating everybody equally. हम लोगों को राजनीति से ऊपर उठकर बात करनी चाहिए। लेकिन जब हम राजनीति में भाषण करेंगे, तो समस्या बाजू हो जाएगी और खाली राजनीति की ठोका-ठोकी हो जाएगी और जहां लोग पीड़ित हैं, वे वैसे ही पीड़ित रह जाएंगे। यह समस्या का हल नहीं है। Trying to score political points over one another will not lend any seriousness to the debate scoring politics. यही मेरी आप सभी से दरख्वास्त है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : सभापति महोदय, संसद के इस सत्र का नाम ही मानसून सत्र है। जब से मैंने विधायिकी और संसदीय जीवन शुरू किया, असेंबली से लेकर पार्लियामेंट तक, जब यह सत्र होता है, तो कोइ ऐसा वर्ष नहीं बीता, जब बाढ़, वर्षा और सूखा, इनके बारे में इस सत्र में चर्चा न हुयी हो। लेकिन सत्र उठा, बाढ़ आयी, बाढ़ का पानी वापस गया, राहत के कुछ काम हुए - नहीं हुए और उसके बाद हम भूल जाते हैं कि यह बाढ़ केवल इस वर्ष के लिए आयी, भविष्य में आनी नहीं है और इसके इंतजाम के बारे में हमें कोई बात नहीं करनी है। हर साल जब भी चर्चा होती होती है, तो एक वाक्य जरूर सुनने को मिलता है कि ऐसी अभूतपूर्व बाढ़ पहले कभी नहीं आयी और मैं ऐसा समझता हूं कि हर बार इस वाक्य का उच्चारण होता है और उस अभूतपूर्व बाढ़ को पूर्व करने की कोई तैयारी हमारे देश में नहीं होती। इस वर्ष अब तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी चिंता प्रकट की कि भारत जिस तरह इस वर्ष बाढ़ से ग्रस्त हुआ, संभवतः पहले नहीं हुआ। लेकिन हम लोगों के यहां, गांव में रहने वाले जो लोग हैं, इस वर्ष कहने लगे कि यह तो सन् 1998 की बाढ़ से भी अधिक ऊंची थी और जो सन् 1998 की जो वृहद् बाढ़ आयी, उसके बारे में कहते थे कि यह सन् 1936 की बाढ़ को भी पार करने वाली बाढ़ है। उसके बाद सभी लोग बाढ़ की विभीषिका को भूल जाते हैं, खासतौर से राजनीति करने वाले, देश चलाने वाले, शासन और प्रशासन के तंत्र पर बैठे हुए लोग इसे भूल जाते हैं। हर साल से यह बाढ़ कुछ इस मायने में अलग है कि यह बाढ़ जून और जुलाई महीने में आयी। हमेशा बाढ़ अगस्त के अंत और सितंबर के महीने में आती थी।

एक संसदीय समिति के सिलसिले में मैं गुजरात गया था। बाड़मेर और जैसलमेर के इलाके में जहां केवल रेगिस्तान है और मैं बहुत परेशान था कि यहां भीषण गर्मी है और यहां रूकना मुश्किल है, लेकिन उसके दूसरे ही दिन कच्छ के रण में जो भीषण बारिश हुयी, उससे हम लोगों का अहमदाबाद तक आना एक कठिन काम हो गया। वह बारिश रूकने का नाम ही नहीं ली और एक हफ्ते में तकरीबन गुजरात एकदम डूबने जैसी स्थिति में हो गया और उसके पहले ही मुंबई में बाढ़ आकर, मुंबई को बहा ले गयी। मुझे इस बात पर संतोष हुआ कि हर बार जब हम लोग संसद में बहस करते थे, तो हमारे महाराष्ट्र और गुजरात के साथी हम लोगों पर व्यंग करते थे कि ये पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी बिहार वाले केवल बाढ़-बाढ़ हल्ला करके कुछ अहेतुक सहायता के लिए संसद में दबाव पैदा करते हैं, लेकिन पिछले दो-तीन-चार सालों से जो राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात की हालत है, हमारे देश के धनी प्रांतों को भी, बाढ़ की विभीषिका का कितना नुकसान और कितनी परेशानी लोगों को होती है, इसका एहसास उनके भी मन में होने लगा और उसकी संवेदना उनके भी दिल को परेशान करने लगी, इस पर हमें संतोष होता है। [c50]

पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाढ़ आना हमेशा की गतिविधि है। लेकिन इस वर्ष गृह मंत्री जी ने 22 जिलों के नाम उत्तर प्रदेश में बाढ़ की विभीषिका से त्रस्त जिलों में दिए हैं। इसमें एक-आध नाम छूटे हुए हैं जिसमें खास तौर से मेरा स्वयं का लोक सभा क्षेत्र देवरिया है। वहां भीषण बाढ़ थी, भारी नुकसान हुआ। बाढ़ आई और चली गई, लेकिन हमेशा के लिए चली गई, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अभी बाढ़ का सीजन बचा हुआ है, बाढ़ फिर से आ सकती है। ऐसे बहुत सारे जिले जिनमें हर साल बाढ़ आती है, गृह मंत्री जी ने हमें जो पुस्तिका प्रसारित की है, उनका उल्लेख उसमें नहीं है। इस वक्त उत्तर प्रदेश की परेशानी सूखे की है। 22-24 जिले अभी बाढ़ से परेशान हुए। लेकिन शेष जो 35-36 जिले हैं, वे सूखे से बुरी तरह ग्रस्त हैं। इस बार की बाढ़ की परेशानी इस मायने में रही कि न प्रशासन, न शासन और न राजनीतिक कार्यकर्ता इस बात के लिए तैयार थे कि इतनी जल्दी, जुलाई महीने में बाढ़ आने वाली है। लेकिन जैसे हमारे मित्र प्रभुनाथ जी कह रहे थे, बिहार में तकरीबन 30 दिन और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ मंडलों, खास तौर से गोरखपुर और बस्ती मंडल में लगातार 10 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक अखंड वर्षा हुई।

कोई काम नहीं हो सका जिसके चलते स्थानीय स्तर पर बाढ़ आना स्वाभाविक स्थिति थी और वह बाढ़ आई। आज अखबारों और टेलीविजन पर खबरें आ रही हैं कि बिहार में फिर से बहुत तेज बाढ़ शुरू हो गई क्योंकि कल से लगातार वर्षा हो रही है। हमने भी टेलीफोन पर खबर ली तो पता लगा कि हमारे इलाके में भी कल से लगातार वर्षा हो रही है। वर्षा और मौसम के मामले में हिन्दुस्तान का जो पूर्वी जोन है, उस जोन का हिस्सा देवरिया और कुशीनगर का हुआ करता है, इसलिए जब पटना, बेतिया और गोपालगंज में वर्षा होती है, तो स्वाभाविक ढंग से देवरिया और कुशीनगर में भी वर्षा होती है और उसी तरह की परेशानी के शिकार हम लोग भी होते हैं। टेलीविजन पर जो तस्वीर आ रही है, पटना शहर में घुटने से ऊपर तक पानी हो गया है। बहाव की गंभीर समस्या है। हमारे इलाके में एकाएक एक बंधा टूटा जिसकी वजह से रातभर में पूरी तहसील जलमग्न हो गई और लोग परेशान हो गए। राहत की कोई व्यवस्था एकाएक संभव नहीं थी, हो भी नहीं सकती थी। हमारे पड़ोस गोरखपुर महाराजगंज जनपद में एक त्रासदी हुई। एक छोटी सी नदी में भीषण बाढ़ आने से गांव के लोग प्रभावित हुए। एक ही नौका पर तकरीबन पूरा गांव चढ़ने लगा। उस नाव के टूट जाने से सरकारी सूचना के मुताबिक 36 लोग पानी में डूब गए और उनका पता नहीं लगा। लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि उनकी तादाद और भी ज्यादा हो सकती है। ऐसी ही त्रासदी कुशीनगर जिले में हुई। जब बंधा टूटा, उसका पानी सारे गांव में पहुंचा तो उस समय कुशीनगर जनपद में एक नाव डूबने से एक दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो गई। लेकिन अभी एक सुझाव दिया गया कि जो भी बाढ़ के इलाके हैं, वहां के लोगों को उस कैचमैंट एरिया से बाहर निकालकर बसाया जाए। मैं ऐसा समझता हूं कि इसके दो पक्ष हैं - एक पक्ष बाढ़ का है कि बाढ़ आने के बाद तत्काल राहत होनी चाहिए। कितने पशु मरे हैं, कितनी फसल बर्बाद हुई है और कितने लोगों के घर बर्बाद हुए हैं, उसके हिसाब से उन्हें घर मुहैया किए जाएं। हम हर साल एक आकलन तैयार करते हैं कि भारत सरकार इस साल इंदिरा आवास योजना के तहत डेढ़ लाख घर बनाएगी। जब वह योजना प्रसारित हो जाती है तो डेढ़ लाख लोग फिर बिना घर-बार के हो जाते हैं और उन डेढ़ लाख लोगों को अतिरिक्त घर देने की आवश्यकता होती है। पहले से हमारी जो समग्र योजना है, वह ठंडे बस्ते में चली जाती है और नई समस्या सामने आ जाती है और तात्कालिक तौर पर ऐसे लोगों को घर बनाकर देने की बात होती है। लेकिन उनकी दुश्वारी है। यदि हम उन्हें कहें कि इस इलाके को छोड़कर जाइए क्योंकि हर साल बाढ़ आती है, हम आपको उठाकर ले जाते हैं और आप फिर इसी स्थान पर आ जाते हैं। वे वहां से चलने को तैयार नहीं होते क्योंकि उनकी रोजी-रोटी उसी घर से जुड़ी हुई है। उनकी जमीन-जायदाद वहीं है और उसमें दैनिक मजदूरी करके अपनी जीविका को चलाने का काम उसी छोटे से इलाके में वे करते हैं। इसलिए वहां से हटने को तैयार नहीं हैं।[N51]

17.00 hrs.

इसलिए मैं चाहता हूं कि भारत सरकार राहत की योजनाएं चलाने के साथ-साथ बाढ़ग्रस्त इलाकों को हर साल डूब से बचाने के लिए उन सारे गांवों को ऊंचा करने की योजना बनाये। यदि उन सभी रिहायिशों को ऊंचा कर दिया जाये, तो मैं समझता हूं कि बहुत कुछ जो ये घटनाएं और दुर्घटनाएं होती हैं जिसमें लोग मरते हैं, वे न होंगी।

हमारे जिले से गंडक नदी जो बड़ी नदी है, होकर गुजरती है। वह हमारे जिले को परेशान करने के साथ-साथ बिहार में तबाही करती है। हमारा जिले में जब से उस पर रेलवे का बड़ा पुल भारत सरकार के सहयोग से बना, तो केवल उस रेल के पुल को बचाये रखने के लिए खुशीनगर जनपद में उन नदी की धारा को प्रमुख इंजीनियरों ने इंजीनियरिंग के जरिये घेर लिया। जब वह नदी आठ-नौ किलोमीटर घेर ली गयी, तो हजारों एकड़ फसल जो बाढ़ से जलमग्न होने वाली है, उसकी रक्षा हो गयी। लेकिन आगे उस नदी को नहीं घेरा गया जिस कारण बिहार और उत्तर प्रदेश के अंतिम इलाके में उसका पानी तेजी से बढ़ता चला जाता है। इसलिए एक योजना भारत सरकार को बनानी पड़ेगी चाहे वह कितनी ही खर्चीली दिखलाई पड़े। लेकिन वह भी एक राष्ट्रीय महत्व की योजना है कि नदियों को सीधा करके, उनके पेटा को सीधा करके, उन नदियों के अरार को स्थायी बनाने का इंतजाम भारत सरकार को एक योजना के तहत बनाना चाहिए। एक-एक नदी को जो विनाशकारी नदियां हैं, उन सबको इस योजना में लेना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाढ़ से बचाव और राहत इसलिए हो गया कि सबसे बड़ी नदी गंगा में बाढ़ नहीं थी। गंगा नदी में ऐसी बीसियों छोटी-बड़ी नदियां--घाघरा से लेकर राप्ती और अन्य नदियां हैं जिनका जल गंगा में जाता है। गंगा में चूंकि अभी पानी को समाहित करने की क्षमता अधिक थी इसलिए जितनी विभीषिका पूर्वी उत्तर प्रदेश में बढ़नी चाहिए थी, उतनी नहीं बढ़ी। इस बात को कहने का मेरा अर्थ केवल इसलिए है कि जो योजना पूर्ववर्ती सरकारों ने, आज से नहीं जब डॉ. के.एल. राव ब हिन्दुस्तान के सिंचाई मंत्री बने, क्योंकि एक जमाना था जब इस देश में बाढ़ से बचाव का दायित्व भारत सरकार नहीं लेती थी। ये पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकारों की थी। हमारे संविधान के अनुसार सिंचाई का पूरा इंतजाम चूंकि राज्यों का विषय था इसलिए केन्द्र सरकार अपना हाथ झाड़ लेती थी कि इस बाढ़ से और बाढ़ से बचाव के लिए हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। राज्य सरकार इस योजनाओं को बनाये। लेकिन जब डॉ. के.एल. राव भारत के सिंचाई मंत्री हुए, तो उनको राज्य सरकारों ने खासतौर से उत्तर प्रदेश सरकार ने ज्ञापन दिया। उन्होंने ज्ञापन इस बात का दिया कि उत्तर प्रदेश की छोटी-बड़ी नदियों को आपस में जोड़कर जिस नदी में अधिक पानी आये, बाढ़ आये, उसके पानी को जिस नदी की ओर बहाव कम है, पानी कम है, उस दिशा में उस नदी के बाढ़ के पानी को छोड़ दिया जाये जिससे बाढ़ के समय पानी का संचयन हो सके जो भविष्य में काम आये। उसी तरह जो नदियां नेपाल की ओर से निकलती हैं उनके उतार के स्थान पर जलकुंडी योजनाएं चलाकर बड़े-बड़े कुंड आस-पास बनाये जायें जिसमें बाढ़ के पानी को छोड़कर उसका स्थायी संचय किया जाये, ऐसी एक योजना डॉ. के.एल.राव के जमाने में बनी थी। उस योजना का पृष्ठपेषण पिछली एनडीए सरकार ने किया। उन्होंने सारी बड़ी नदियों को उत्तर से लेकर दक्षिण तक आपस में जोड़ने की एक महत्वकांक्षी योजना अपने दिमाग में बनायी। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि वह योजना खर्चीली हो सकती है लेकिन एक राष्ट्रीय संकल्प पैदा करके इस देश में उस योजना को पूरा करने की आवश्यकता है यदि हम बाढ़ की समस्या का स्थायी निदान चाहते हैं।

तीसरी बात हम यह कहना चाहते हैं कि हिमालय की ओर से भारत की भूमि पर बहुत सारी विकराल नदियों का बहाव है खासतौर से ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी है। अब हिन्दुस्तान ही नहीं, दुनिया के पर्यावरणविद् यह कहने लगे हैं कि दो मीटर के हिसाब से गंगोत्री ग्लेशियर सिकुड़ रहा है और आने वाले 50 वर्षों में गंगा नदी का अस्तित्व समाप्त हो जायेगा, ऐसी भविष्यवाणियां हुई हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि जो पंचनद है जिसमें सिंध से लेकर झेलम, चनाव, रावी आदि ये सारी नदियां हैं, उनका बहाव तिब्बत की ओर से है। जब से तिब्बत का अस्तित्व समाप्त हुआ, तो वे चीन के नियंत्रण में आयीं।

हमारे देश के लोग इस बात पर जोर देते हैं कि नेपाल से बात करो, भूटान से बात करो लेकिन चीन से बात करने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पाता। इतने बड़े देश का इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? आए दिन ऐसी खबरें आती हैं कि हिमाचल प्रदेश में एक बड़े ग्लैशियर को तोड़-तोड़कर चिनाब नदी में डाल दिया गया जिसके चलते हिमाचल डूब गया। कभी हम यह बात करने की कोशिश नहीं करते हैं कि इस तरह से ग्लैशियर को तोड़कर नदी में गिराया गया। आज आने वाले नए न्युज चैनल्स से यह खबर मिलती है कि हाइड्रोजन के माध्यम से ब्रह्मपुत्र नदी के बहाव को बदलने की कोशिश, उसके कोर्स को चेंज करने की कोशिश चीन की सरकार निरन्तर कर रही है। अभी अखबारों में खबर आई है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, जिसे हम हिन्दी में सागरमाथा के नाम से जानते हैं और अंग्रेजी में

जिसे माउण्ट एवरेस्ट कहते हैं, उस तक चढ़ने के लिए सड़क बना रहा है, पूरे तिब्बत में उसने लम्बी-चौड़ी रेललाइन बिछा दी है। अब दुनिया के पर्यावरणविद् कहते हैं कि दुनिया की छतरी तिब्बत में पर्यावरण असंतुलित हो रहा है, जिसके चलते वहां से निकलने वाले ग्लैशियरों में गर्मी पैदा होकर उनके सूखने की स्थिति बनी है। इसलिए मैं भारत सरकार से आग्रह करूंगा कि इस विषय पर नेपाल से बातचीत होनी चाहिए, जो कि पहले भी हो चुकी है, भूटान से बातचीत होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ ही चीन से भी बातचीत होनी चाहिए। एक बार हमें साहस जुटाकर कर चीन से कहना चाहिए कि हे महान चीन, हम आपसे न केवल अपनी सीमा रेखा के बारे में बात करेंगे, बल्कि हिमालय से निकलने वाले जो नदियां हैं, उनके बहाव के बारे में और उनको संतुलित करने के बारे में भी बात करना चाहते हैं। इन नदियों के बहाव को संतुलित करने के बारे में भारत और चीन के बीच एक समन्वित नीति बनानी चाहिए, तभी मैं समझता हूँ कि उत्तर भारत की बाढ़ की समस्या के निदान की दिशा में हम एक सोच विकसित करेंगे। उस दिशा में कितने कदम उठाए जा सकेंगे, इस बारे में मेरी बहुत सारी आशंकाएं हैं।

सभापति महोदय, आपने मुझे इस विषय पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : सभापति महोदय, आज देश के इस सर्वोच्च सदन में बाढ़ जैसी विभीषिका पर चर्चा हो रही है। इस साल देश में जो अप्रत्याशित बाढ़ आई है, उसके बारे में यहां चर्चा हो रही है। यह आज देश के लिए चिन्ता का एक विषय बन गया है। अभी माननीय सदस्य श्री मोहन सिंह जी ने ठीक ही कहा है कि हर साल, कोई भी ऐसा मानसून सत्र नहीं होता है, जिसमें हम बाढ़ और सुखाड़ पर चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन चर्चा का कोई नतीजा निकलना चाहिए। इसीलिए मैं आज देश के सामने जो चुनौती खड़ी है, उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। बाढ़ की जो मौजूदा स्थिति है, वह बहुत ही भयावह है, भयानक है। देश के लगभग 22 राज्य - बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश आदि राज्य बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। इन 22 राज्यों में अभी तक लगभग 1,200 लोग मारे गए हैं, 3 करोड़ से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं और करोड़ों रूपए की फसल बर्बाद हो गयी है। बिहार में धान का बिजरा भी वाश-आउट हो गया है जिसकी वजह से अब वहां पर धान की फसल नहीं ली जा सकेगी। इस साल वहां लोग क्या खाएंगे, यह प्रश्न पैदा हो गया है क्योंकि वहां केवल गेहूं और धान दो ही फसलें होती हैं। 68,000 से ज्यादा पशु बाढ़ में बह गए हैं। खासकर बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल में बाढ़ से ज्यादा बर्बादी हुई है। बिहार और पश्चिम बंगाल में लगभग 60 लाख लोग बाढ़ की चपेट में हैं। उत्तर प्रदेश में घाघरा, राप्ती, शारदा आदि दर्जनों नदियों से 21 जिले प्रभावित हुए हैं। 6 महीने बाढ़ और 6 महीने सुखाड़ बिहार की नियति बन गयी है। बिहार के 20 जिलों में बाढ़ की हालत बहुत गंभीर है। बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित जिले मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, सहरसा, पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, सुपौल, कटिहार, मधेपुरा, शिवहर, गोपालगंज, खगड़िया,बेगूसराय, अररिया, पटना, नालन्दा, भागलपुर हैं जो बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। बिहार में 22 दिन तक लगातार बारिश होती रही, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। वहां के लोगों की सात दिन तक बारिश झेलने की क्षमता है, लेकिन इतने दिनों तक हुई बारिश को वे नहीं झेल सके। यहां पर जल संसाधन विकास मंत्री जी बैठे हैं, वह जानते हैं कि वहां सबसे बड़ी नदी कमला है। उसके अलावा नेपाल से आने वाली नदियों कोसी, गंडक, बूढ़ी बालान, बागमती, बूढ़ी गंडक, अदवारा समूह, लखनदेई, घघरीया, फरेहा, महानंदा, नारायणी आदि बड़ी नदियों और अन्य छोटी-छोटी नदियों में उफान आ गया और भयंकर बाढ़ आ गई, जिससे 30 वर्ष पुराना रिकार्ड टूट गया। आज तक वहां ऐसी अप्रत्याशित बाढ़ नहीं आई थी। वहां के लोगों को इतनी अधिक बाढ़ झेलने की आदत नहीं थी। उत्तर बिहार का इलाका तहस-नहस हो गया। वहां यातायात का कोई साधन नहीं बचा, क्योंकि सारी सड़कें टूट गई। जिले से अनुमंडल मुख्यालय और अनुमंडल से प्रखंड मुख्यालय का सम्पर्क टूट गया, यातायात का कोई रास्ता नहीं बचा। स्थिति यह बन गई कि एक जगह से दूसरी जगह कोई आ-जा नहीं सकता था। जो सामान जहां था, वह वहीं रह गया। आपदा पूर्व जो प्रबंधन होना चाहिए, नावों की व्यवस्था करनी चाहिए, वह नहीं की गई। मैं इस बहस का राजनीतिकरण नहीं करना चाहता, लेकिन इस बार स्थिति ठीक नहीं रही। नावों को ठीक नहीं किया गया। बरसात से करीब छः महीने पहले नावों को दुरुस्त किया जाता है, जिससे वे पानी में चलने लायक बन सकें, लेकिन इस बार जो आपदा से पूर्व प्रबन्धन होना चाहिए, वह नहीं हुआ। इस बार तो पटना जिला भी बाढ़ से अछूता नहीं रहा। वहां जल्ला क्षेत्र, मोकामाबढ़इया, फतवाटाल क्षेत्र जो 1200 वर्ग किलोमीटर में फैला है, बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हो गया है।

17.12 hrs. (Shrimati Sumitra Mahajan in the Chair)

सम्पूर्ण बिहार में दलहन का मुख्य रूप से उत्पादन होता है। पुनपुन से जहानाबाद और नालंदा आदि तक सभी बांध और तटबंध टूट गए। जितनी नदियों पर तटबंध थे, चाहे कोसी पर हों, भूतही बालान पर हों, कमला बालान पर हों, सभी टूट गए। इन तीनों नदियों से मेरा संसदीय क्षेत्र झंझारपुर घिरा हुआ है। तटबंधों के रखरखाव के लिए जो काम होते हैं, वे नहीं हुए। मैंने पूर्व में ही, मई-जून में, त्राहिमाम संदेश सरकार को लिखकर दिया था। बताया जाता है कि प्रदेश सरकार काफी संवेदनशील रही और युद्ध स्तर पर काम किया, लेकिन वास्तव में कुछ नहीं किया गया। मेरे पास प्रमाण है। मैंने मधुबनी के कलेक्टर को भी सूचित किया था। सचिव, आयुक्त जल संसाधन विभाग को भी सूचना दी थी और मधुबनी के जिलाधिकारी को भी कहा था कि इस बार तटबंध टूट जाएंगे और लोगों को परेशानी होने वाली है। लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। भूतही ढलान तटबधों में 11 स्थानों पर पहले से जो टूटने की आशंका जाहिर की गई थी, उसके बारे में तीन महीने पहले सूचित किया गया था, इसका मैं प्रमाण दे सकता हूं। मैंने खुद बिहार के मुख्य मंत्री को त्राहिमाम संदेश दिया था कि आप तटबंधों की रक्षा कीजिए, नहीं तो लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त हो जाएगा और खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन इस पर कोई एहतियाती कार्रवाई नहीं हुई। आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से 3 अगस्त को जारी सूचना के मुताबिक खासकर 20 जिलों में डेढ़ करोड़ आबादी बाढ़ की चपेट में आई है, लगभग 200 लोगों की जान गई है और साढ़े सात लाख हेक्टेयर जमीन की फसल बर्बाद हो गई है। बाढ़ में नाव दुर्घटना से, सांप काटने से और पानी में डूबने से, इन तीन कारणों से लोगों की मौत होती है।

[R52]

1200 लोगों में से 300 लोग अकेले बिहार में बाढ़ के कारण मारे गये हैं। साथ ही डेढ़ करोड़ से अधिक लोग बाढ़ की चपेट में हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार बाढ़ की चपेट में प्रभावित आबादी 1 करोड़ 40 लाख 54 हजार है। हमने डेढ़ करोड़ कहा है और हमें लगता है कि इसका विशलेक्षण भी ठीक ढंग से नहीं किया गया है। हम लोगों ने बांध पर, तटबंध पर जो 10-15 दिन बिताए हैं बाढ़ पीड़ित लोगों के बीच में, वहां हमने देखा कि कितने लोग मारे गये हैं। यह रिपोर्ट तो सरकारी है जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने दी है, इसमें यह स्थिति दर्शायी गयी हैं। यहां तक कि राज्य सरकार ने जो क्षति का अनुमान दिया है वह 315.76 करोड़ रुपये की

क्षति का है। क्या केवल 315.76 करोड़ रुपये की ही क्षति हुई होगी? करोड़ों रुपये की तो धान की फसल ही नष्ट हो गयी है और लाखों लोग बेघर हो गये हैं। कच्चे घर पानी में बह गये और करोड़ों लोग बेघर हो गये हैं। इसीलिए हम यह कहना चाहते हैं कि केन्द्रीय सरकार भी इसमें विशेष आर्थिक पैकेज देकर जो बेघर लोग हैं उनको सहारा दे। इंदिरा आवास योजना की गाइड-लाइन्स में अगर परिवर्तन भी करना पड़े तो सरकार को परिवर्तन करके बाढ़ पीड़ित लोगों के घरों का निर्माण होना चाहिए। लोगों के सिर पर छत होगी तभी तो वे कुछ कर सकेंगे। आज उनके सिर पर छत भी नहीं है। राहत के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि यह राष्ट्रीय चिंता का विषय है और इसमें सब लोगों को मिलकर इस समस्या का हल खोजना चाहिए।

सभापति महोदया, राहत के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि पिछले साल 31 दिसम्बर 2006 तक सीआरएफ और एनसीसीएफ से जारी राशि का जो ब्यौरा है जिसमें वर्ष 2006-2007 में सीआरएफ के अंतर्गत, आंध्र प्रदेश को आवंटित राशि 361.28 करोड़ है और जारी की गयी सीआरएफ में केन्द्र का अंश 335.48 करोड़ है। एनसीसीएफ के अंतर्गत जारी राशि 203.06 करोड़ है। बिहार में 153.23 करोड़ रुपये सीआरएफ के अंतर्गत आवंटित है। लेकिन जारी 0.00 जारी किया गया है। इसी प्रकार से और राज्यों का है। उपयोगिता सर्टिफिकेट नहीं दिया गया जो एक तरीका है। जब राज्य यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं देगा तो जो आवंटित राशि 153.23 करोड़ रुपये 31 दिसम्बर 2006 तक की है वह राशि रिलीज नहीं हुई। वह रिलीज हुई है अभी, जब माननीय गृह मंत्री जी और यूपीए की चेयर-पर्सन माननीय सोनिया जी ने हवाई सर्वेक्षण किया है तो 10 अगस्त 2007 को पैसा रिलीज हुआ है। यह चार दिन पहले 114.92 करोड़ रुपया रिलीज हुआ है। इसमें केन्द्रीय अंश की पहली किश्त 2006-2007 की है। राज्य सरकार से आवश्यक स्पष्टीकरण, उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के बाद 10 अगस्त 2007 को पैसा रिलीज हुआ है। उपयोगिता प्रमाण-पत्र नहीं मिला, इसीलिए पैसा रिलीज नहीं हुआ था। यह बुनियादी कारण है जो बिहार पैसे से अछूता रहा। वे पैसे खर्च नहीं हुए। इसीलिए जो राहत की बात कर रहे हैं उसकी मैं चर्चा करता हूं।

राहत की हालत यह है कि राहत के लिए लोगों ने संघर्ष किया है। अभी कुछ माननीय सदस्य बता रहे थे कि लाठी चार्ज नहीं हुआ। सभापति महोदया, एक हृदय विदारक घटना है। मेरा जिला जो मधुबनी है उसमें एक गांव है चकदह । मैं उस गांव में रात को 11 बजकर 30 मिनट पर पहुंचा जहां गोली से एक दर्शनानन्द ठाकुर की मौत हो गई। उसका क्या अपराध था? मधुबनी में बाढ़ का पानी भरा था और जिला प्रशासन के लोग चकदा गांव में पानी डालना चाहते थे, वे खुद पानी में नहीं डूब पाए चाहे जनता डूब जाएं, मैंने वहां एक सीमेंट की सड़क बनवायी थी, वहां लोग पड़े हुए थे, दोनों तरफ पानी था, प्रशासन ने कहा कि पानी जाने दो, गांव के लोगों ने कहा कि हम तो डूब ही रहे हैं, हमें और क्यों डूबो रहे हो, हमारी कम आबादी है, तुम शहर के बहुत लोग हो, नाला चीर कर दूसरी तरफ पानी ले जाओ, कहा गया कि इसी में कटेगा, समूचे मधुबनी थाने की पुलिस बुला ली गई, दूसरे दिन मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम होने वाला था, सारे जिले के पुलिस पदाधिकारी आए, उसमें जबर्दस्ती काटना शुरु किया। ऐसे में गाव के लोगों ने उस बांध पर मानव कडी बना ली और कहा कि पहले हमे काटो, फिर हमारे गांव में पानी जाएगा वरना जब तक हमें नहीं काटोगे, गांव में पानी जाने नहीं देंगे। गांव में सभी लोग जमा हो गए और इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू किया। लाठीचार्ज में लोग घायल हुए, तब भी लोग नहीं हटे, कुछ लोग घायल होकर अस्पताल में हैं, मैं घायल लोगों के नाम शिवनाथ चौधरी और धनिक लाल चौधरी बता सकता हूं, इसके बाद पुलिस ने मोहल्ले में घुस कर गोलीबारी शुरू कर दी जिस में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव श्री दर्शनानन्द ठाकुर जो बिसवी गांव में आए थे, बैग रख ही रहे थे, उनकी पत्नी और एक बच्चा भी था, 39 साल के नौजवान पर ऑन दी सपॉट गोली लगा दी गई। जो बाढ़ पीडित हैं, उनके लिए राहत की मांग कर रहे थे, उनको गोली मार दी जाती है। गोली चलाने से पहले पानी की बौछारें डाली जा सकती थी, लाठीचार्ज किया जा सकता था, अगर इससे भी वे नहीं मानते तो रबड़ की बुलेट को चलाना चाहिए, अश्रुगैस छोडना था। जब भीड़ उग्र दिखायी देती तब गोली चलायी जा सकती थी। आप साबित कर दें कि वहां रबड़ की बुलेट, पानी की बोछारें चलायी गई। एकाएक बंदूक चलाना मानवाधिकार का हनन है। बिहार में बाढ़ पीड़ितों के साथ जो घटना घटी, वह बहुत गम्भीर है। वे संवेदना की बात करते हैं, केवल गृह सचिव दूसरे दिन गए और कहा कि मृतक परिवार को एक लाख रुपए का मुआवजा देंगे।

सभापति महोदया आपकी पार्टी के चार और सांसद बोलने वाले हैं। बाकी सदस्यों को भी बोलने का मौका देना है।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : हमें समय से न बांधा जाए। यह एक गम्भीर विषय है। इस पर दो दिन और बहस चलायी जाए। हम लोगों ने बीएसी की मीटिंग में यह बात रखी थी। विषय की गम्भीरता को देखते हुए इस पर बोलने का समय दिया जाए। सम्पूर्ण देश में सबसे बड़ा विषय बाढ़ की विभीषिका है क्यों कि कई राज्य इससे प्रभावित हुए हैं। जिस तरह चकदह गांव में 3 अगस्त को गोली चला कर श्री दर्शनानन्द ठाकुर को मार दिया गया, हमने लगातार यह मांग की कि इसकी न्यायिक जांच करायी जाए क्योंकि सभी आला अधिकारी दोषी हैं। बाढ़ पीड़ितों पर लाठी और गोली चली। कहा गया कि रात को ही पोस्टमार्टम किया जाए। मैं इतने में अस्पताल पहुंच गया। जिलाधिकारी ने रात को जो पोस्टमार्टम करना था, उसे स्थगित कर दिया। मैंने कहा कि रात को पोस्टमार्टम करने का कोई नियम नहीं है। एक तो गोली मार दी और रात को उसके आश्रित परिवार पर दबाव डाला गया कि अभी पोस्ट मार्टम होगा, मैंने कहा कि रात को पोस्टमार्टम करने का नियम नहीं है, दिन में पोस्टमार्टम हो और दिन में गृह सचिव आए जो घटना स्थल पर जाने से कतरा रहे थे। बाद में उनसे कहा गया कि जाकर देखें कि क्या स्थिति है। आप जानते हैं गृह सचिव, बिहार ने क्या किया? उन्होंने एक हवलदार के ऊपर हत्या का मुकदमा कर दिया और घुमा कर सब बात स्वीकार की। जो अधिकारी गोली चलाने का आदेश दे रहा है उसे इनवॉल्व नहीं किया, केवल एक हवलदार के ऊपर हत्या का मुकदमा करके कर्तव्य की इतिश्री कर दी। यह है बाढ़ पीड़ितों के राहत के बदले गोली की कहानी। सोनवर्षा प्रखंड जो सहरसा जिला में है, वहां पर लाठीचार्ज से इन लोगों की मौत हुई। बाढ़ में राहत देने के नाम पर मौत हो रही है। वे लोग पानी में तो डूब कर मर गए, साथ में गोलीबारी से भी मौत हो गई। समस्तीपुर में नाव दुर्घटना से कई लोग मरे लेकिन जो बच गए, वे राहत के क्रम में मारे गए। यह अमानवीय कार्य है। इसलिए मैंने निवेदन किया कि इसकी न्यायिक जांच हो वरना केन्द्र सरकार मधुबनी गोलीकांड की सीबीआई से जांच कराए ताकि सही बात सामने आ सके। हम केंद्र सरकार से बाढ़ पीड़ित प्रभावित लोगों के लिए विशेष आर्थिक सहायता की मांग करते हैं और जो गृह विहीन लोग हैं, उनके लिए अलग से विशेष इंदिरा आवास योजना के तहत पक्के घर की मांग करते हैं, सारे नियमों को शिथिल करके यह काम किया जाना चाहिए।

मैं इसके बाद अपनी बात समाप्त करूंगा क्योंकि यह समस्या तो अगली बार होगी ही। अभी ये लोग राहत में क्या दे रहे हैं, इसके बारे में प्रभुनाथ सिंह जी बता रहे थे कि राहत कार्य काफी हो रहा है लेकिन राहत में क्या हो रहा है सिर्फ ढाई सौ रुपया मिल रहा है। इसे लेकर वे लोग कहां ऊंचे तटबंध पर जाएंगे? लोग ऊंचे तटबंध पर बैठे हुए हैं, न वहां कहीं आटा पीसने का प्रबंध है, न वहां चावल बनाकर खाना खा सकते हैं, उनको रेडीमेड फूड जैसे चना, सत्तू या चूरा देना चाहिए लेकिन इन्हें वह न देकर ढाई सौ रुपया दे रहे हैं। इनका अनाज तो चारों तरफ से घिर गया है, चारों तरफ तटबंध और सड़क टूट गई, कहीं से अनाज की आवाजाही नहीं हो सकती है, दो या तीन महीने पहले यह काम होना चाहिए था। जब हिली एरियाज में लैंड स्लाइड होना होता है तो पहले अनाज का स्टोरेज कर लिया जाता है लेकिन इस संबंध में आपदा प्रबंधन के काम में सरकार बिल्कुल विफल रही है। इसके लिए आपदा पूर्व प्रबंधन होना चाहिए कि नैचुरल कैलेमिटी को कैसे फेस किया जाए।

आज पशु चारे का घोर संकट है। पशु जान की तेजी से हानि हो रही है। पोलीथीन सीड कहीं नहीं है, हम कोलकाता से पोलिथीन मंगा रहे हैं।, सबको साहब आशा दिलाते रहे मुजफ्फपुर आ गया है लेकिन कहीं पोलिथीन नहीं जा सका, मुजफ्फरपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग कटा हुआ है, स्कूल टूटे हुए हैं, सड़क टूटी हुई है, किस रास्ते

से जाएंगे, यातायात बंद है। अभी महामारी की बीमारी काफी फैल रही है, जब पानी घटता है तब यह होती है। अभी फिर से पानी बढ़ गया है क्योंकि कल से बरसात तेज हो गई है, इसमें जीवन रक्षक दवाएं, सांप डंस की दवाएं उपलब्ध करानी चाहिए।

अब मैं अंतिम बात अस्थाई समाधान के बारे में कह कर समाप्त करूंगा। हर साल बाढ़ आती है इसका उपाय क्या है? हम बाढ़ के विषय पर छः महीने बाद बहस करते रहते हैं और सुखाढ़ के विषय पर अगले छः महीने बहस करते रहते हैं। 9 अगस्त दिसंबर 2002 को संसद मार्ग पर काफी प्रदर्शन हुआ था, यहां काफी लोग आए थे, हमने लाठी भी खाई थी, हमने कहा था कि बाढ़ का स्थायी समाधान करो। तब श्री अर्जुन चरण सेठी जी जल संसाधन मंत्री थे, उन्होंने सदन को आश्वस्त किया था कि जो नेपाल-भारत वार्ता 2001 में हुई थी, उसके अनुसार सात जगह पर जेपीओ कार्यालय खुलेगा। उत्तरी भारत का नेपाल के ऊपरी भाग में भारत नेपाल समझौता के तहत स्थायी समाधान हो सकता है और पूर्वी उत्तर प्रदेश, असम, बिहार, पश्चिम बंगाल राज्यों को बचाया जा सकता है। अस्थायी समाधान के लिए ज्वाइंट प्रोजेक्ट कार्यालय खुलना था, इस संबंध में राज्य मंत्री बताएंगे 2004 में कहां कार्यालय खुले हैं। नेपाल-भारत समझौता 2001 में हो चुका था और मात्र चार जगह कार्यालय खुला है, सात जगह नहीं खुला है, यहां भारत और नेपाल, दोनों के इंजीनियर मिलकर डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) बनाएंगे। डीपीआर रिपोर्ट के लिए 2004 में आश्वस्त किया गया था अब 2007 आ गया है, दो साल में बनकर डीपीआर तैयार होना था लेकिन अब 2007 गुजर रहा है, पता नहीं डीपीआर कब बनेगा? जब तक इसे प्रॉयरिटी नहीं दी जाएगी, यह नहीं होगा। स्थायी समाधान का मतलब है हाई लैवल डैम, जो नेपाल से निकलने वाली नदियां हैं, चाहे कोसी काबराह में, चाहे कमला नदी का सीसापानी में, बागमती का नुंथर में, ये प्रस्तावित जगह है, इन जगहों पर हाई लैवल डैम बनकर मल्टी परपज सिद्ध होगा, इससे बाढ़ का कंट्रोल होगी, पानी का नियंत्रण होगा और जल विद्युत पैदा होगी। इससे दस हजार मेगावाट पन-बिजली पैदा हो सकती है, इससे सात राज्यों को बिजली मुहैया कराई जा सकती है और सस्ती दर पर किसानों को दी जा सकती है। इस प्रोजेक्ट को नहीं किया जा रहा है इसमें केंद्र सरकार की अहम भूमिका है, इसमें राज्य सरकार की भी संयुक्त जिम्मेदारी है। जब तक स्थायी समाधान नहीं होगा तब तक हर साल लोग बाढ़ में डूबते रहेंगे और विनाश लीला देखते रहेंगे। ये लोग राहत का गाना गाते रहेंगे, राहत से पुरुषार्थ घटेगा, इस देश में पुरुषार्थ से खैरात पसंद लोगों को बना देंगे, यह राष्ट्र कमजोर होगा, पुरुषार्थहीन होगा। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि बाढ़ के स्थाई समाधान पर जोर देना चाहिए और हाई लैवल डैम बनाकर पानी को कंट्रोल करें। भारत और नेपाल के बीच में 2001 में जो समझौता हुआ है, केन्द्र सरकार को उसका अनुपालन गारंटी से सुनिश्चित करना चाहिए। अभी तात्कालिक राहत का काम चलाकर वहां लोगों की जान बचाई जाए। लेकिन आगे स्थाई समाधान पर ध्यान दिया जाए। अन्यथा इस सवाल पर हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। वर्ष 2002 में हमने जो किया था, यदि फिर हमें अगली बार जरूरत पड़ेगी तो मैं संसद मार्च करूंगा। जब तक इसका स्थाई समाधान नहीं होगा, यहां की जनता का और बाढ़ पीड़ित लोगों का संघर्ष जारी रहेगा। मैं इस बात से सदन को आगाह कर देना चाहता हूं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि सरकार इस बात को प्राथमिकता के आधार पर ले।

श्री अनंत गुढ़े (अमरावती): सभापति महोदया, देश के विभिन्न भागों में आई हुई बाढ़ के बारे में सदन में चर्चा चल रही है। एक तरफ कुछ ऐसे राज्य हैं, जो हर साल बाढ़ से प्रभावित होते हैं। लेकिन जिस विदर्भ क्षेत्र से

17.31 hrs. (Mr. Deputy Speaker in the Chair)

मैं आता हूं, वह हर साल सूखा रहता है। हर साल सूखा रहने के बाद जब इस वर्ष मानसून की शुरूआत हुई तो मानसून की शुरूआत में ही जब देश में बरसात नहीं आई थी, जून महीने के सैकिंड थर्ड वीक में यहां बड़ी मात्रा में बरसात हुई। जिसकी कोई जानकारी, कोई वैदर रिपोर्ट नहीं दी गई कि यहां भारी बरसात होने वाली है। इसके बारे में कोई वैदर रिपोर्ट नहीं मिलने के कारण भारी मात्रा में विदर्भ में तबाही मच गई। अमरावती, वर्धा, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, भंडारा आदि जिले बाढ़ से प्रभावित हो गये, जो सूखे जिले थे। सारी नदियों में डैम का पानी छोड़ा गया और सब नदियों में बड़ी मात्रा में बाढ़ आई। अमरावती जिले में अंजनगांव, सुरजी, चांदुरबाजार, दर्यापुर, अमरावती, भातकुली जो तहसीलें थी, उनमें इतनी तबाही मच गई कि जो नदी, नालों के किनारों में रहने वाले लोग थे, वे बड़ी संख्या में बह गये। जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनके मिट्टी के घर हैं, जो साधारण लोग हैं, उनके घरों का सारा सामान बह गया। उनके घरों के बर्तन बह गये, कपड़े बह गये और लोग जाकर स्कूलों और इधर-उधर जगहों पर रहने लगे। आज वहां बाढ़ आये हुए डेढ़ महीना हो चुका है, लेकिन डेढ़ महीना बीतने के बाद भी जो सुविधाए वहां लोगों को मिलनी चाहिए थीं, वे नहीं मिलीं। वहां लोगों को केवल एक हजार रुपये की सहायता मिली। केवल बीस किलो अनाज मिला। डेढ़ महीने से उन लोगों के पास न खाने को अनाज है, न पीने को पानी है और न रहने के लिए कोई जगह है। आज वहां ऐसी दयनीय स्थिति पैदा हो गई है। केन्द्र सरकार ने राज्य करकारों को सहायता भेजी है। सरकार ने जो किताब आज यहां प्रस्तुत की है, उसमें लिखा है कि हमने राज्य को 245 करोड़ रुपये दिये हैं। लेकिन आज भी जो प्रभावित लोग हैं, उन लोगों को कोई राहत नहीं मिल रही है। लोग वहां स्कूलों में रह रहे हैं, सारे रास्ते टूटे पड़े हैं। इसमें अगर पूरे विदर्भ की नहीं, केवल एक-दो जिलों का भी यदि ब्यौरा लिया जाए तो 2170 पुलिया टूट गई हैं, 2477 रास्ते बेकार हो चुके हैं, 179 रास्तों की आज भी ऐसी स्थिति है कि उन पर चलना मुश्किल है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। जिन गांवों में स्कूल या हाई स्कूल नहीं हैं, जिन गांवों के बच्चे दूसरे गांवों के स्कूलों में पढ़ने के लिए जाते थे, वहां जाने के लिए रास्ते नहीं हैं। बच्चों को महीना, डेढ़ महीना घर में बैठे हो गया है, न उनके पास कुछ खाने के लिए है और न ही वे स्कूलों को जा पा रहे हैं। इसके अलावा जो इमरजेन्सी सपोर्ट थी, जो इमरजेन्सी काम करने की जरूरत थी, उसके बारे में बताता हूं। वहां मुख्य मंत्री आये, उप-मुख्य मंत्री आये, राज्य के कई मंत्री आये, उन्होंने कहा हम अर्जंट में सारी राहत देते हैं, अर्जंट में सारे रास्ते बना देते हैं। लेकिन आज डेढ़-दो महीने हो रहे हैं, जो रास्ते डैमेज हुए थे, जिनकी थोड़ी मरम्मत करनी थी, वह रास्ते भी ठीक नहीं हो पा रहे हैं[b53]।

इसका परिणाम यह हो रहा है कि आज बच्चे भी स्कूल नहीं जा रहे हैं और जो राहत उनकी मिलनी चाहिए वह उनको नहीं मिल रही है। जो भी लोग बह गये हैं वे सारे लोग आज पुनर्वास की मांग कर रहे हैं क्योंकि नदी नालों के किनारे लोग रहते हैं और हर साल बाढ़ नदी नालों में आती रहेगी, लोग बहते जाएंगे, उनको हम कुछ मदद देते रहेंगे, ऐसी स्थिति रहेगी तो हम देश में ऐसे लोगों का परमानेंट पुनर्वास नहीं कर सकते। इस समस्या का कोई स्थायी समाधान निकाला जाना चाहिए। इसीलिए केन्द्र सरकार ने कहा है कि हम बाढ़ के लिए सारे राज्यों को मदद दे रहे हैं लेकिन राज्य सरकार का जो अंशदान है, राज्य सरकार की जो मानसिकता है, वह ठीक नहीं है। जो बाढ़ के पैसे मिलते हैं, वे पैसे राज्य सरकार बाढ़ प्रभावितों को नहीं देती है। वह धनराशि राज्य सरकार दूसरी जगह पर खर्च कर देती है। पिछले साल 26 जुलाई को मुम्बई में बाढ़ आई थी। वहां मीठी नदी के बारे में सारे समाचार-पत्रों में लिखा गया था लेकिन आज भी मीठी नदी की स्थिति एक साल के बाद भी वैसी ही है। केन्द्र सरकार ने कहा था कि हम 500 करोड़ रुपये देते हैं। सरकार ने कहा कि हम मीठी नदी के लिए सारी चीजें मुहैया करेंगे लेकिन आज भी मीठी नदी का कोई काम नहीं हो पा रहा है। जो स्थिति पिछले साल थी, वही स्थिति आज भी है। जो गांव बह गये हैं, वहां भी वही स्थिति है।

आज जो केवल विदर्भ का इलाका है, इस इलाके में सारे लोगों को सुविधा मिलने के लिए कम से कम 1000 करोड़ रुपये की जरुरत वहां है और इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। प्रधान मंत्री जी ने 5 जिलों को पैकेज दिया है। जब सूखा पड़ा था तब किसान मर रहे थे और कई किसानों ने आत्महत्याएं भी की। सारी दुनिया और देश का ध्यान विदर्भ ने आकर्षित किया है। 5 जिलों को पैकेज दिया गया है लेकिन उसका कुछ फायदा किसानों को नहीं मिल रहा है। केन्द्र सरकार को जो रिपोर्ट मिली है, स्टैंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट आई है, सबमें उल्लेख किया गया है कि प्रधान मंत्री जी ने जो पैकेज दिया है, उसका कोई फायदा किसानों को नहीं मिल रहा है और सूखे की चपेट में जो किसान आए थे, जो आत्महत्याएं कर रहे थे, आज वही किसान बाढ़ की चपेट में आ गये हैं और इसकी वजह से लोग फिर से आत्महत्याएं कर रहे हैं क्योंकि हजारों एकड़ खेती बह गई है। नालों के किनारे सारे लोगों ने बुबाई की थी, फसलें आ रही थीं और बाढ़ की वजह से सारी फसलें खत्म हो गई हैं। आज डेढ़ महीना हो गया है, कोई सर्वे वहां नहीं किया गया है। सही लोगों को पैसे नहीं मिले हैं। जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, वहां के जो राजनीतिक दल के लोग हैं, उन्होंने अपने-अपने नाम डाल लिये हैं। जिनकी बड़ी-बड़ी बिल्डिंग हैं, उनको पैसे मिल गये हैं लेकिन प्रभावित परिवारों को पैसे आज भी नहीं मिल रहे हैं। इसीलिए जो मांग है कि जो नदी-नालों के किनारे गरीब लोग बसते हैं, उनको वहां एक रैड लाइन लगानी चाहिए कि इस रैड लाइन के अंदर कोई बसना नहीं चाहिए। अगर रैड लाइन के अंदर जो बसेंगे और बाद में अगर वे बाढ़ में फंस जाएंगे तो उनको मदद नहीं मिलेगी। उनको परमानेंट वहां बसाना चाहिए। आज स्कूल में लोग रह रहे हैं क्योंकि वहां टैम्परारी शैड दिये जा रहे हैं। स्कूल बंद पड़े हैं। स्कूल से निकालकर टैम्परारी जगह भी ले ली गई है लेकिन टैम्परारी शैड का एस्टीमेट 15 हजार रुपये का दस साल पुराना एस्टीमेट है। आज वह एस्टीमेट 40,000 रुपये हो गया है लेकिन हम कहते हैं कि 15,000 रुपये में बनाओ। 15,000 रुपये में सामान ही नहीं मिलता तो कैसे बनेगा? 15,000 रुपये से ज्यादा हम देते नहीं हैं और 15,000 रुपये की वजह से काम नहीं होता है। सब चीजों के दाम बढ़े हैं। सीमेंट, लोहे के दाम बढ़े हैं। दो साल पहले जो सीमेंट 100 रुपये था, आज वह 300 रुपये हो गया है। इसलिए यह देखना चाहिए कि आज की कीमतें क्या हैं? 40,000 रुपये देकर टैम्परारी शैड बनाना चाहिए तो लोग वहां जाएंगे। महामहिम राष्ट्रपति जी जो खल्लर गांव से हैं, वह पूरा गांव बह गया है।। उनके गांव में पूरी तबाही मची हुई है। [r54]

ग्राम पंचायत की दो मंजिला बिल्डिंग और पूरी की पूरी जमीन नष्ट हो गई है, सारे रास्ते नष्ट हो गये हैं, वे लोग चाहते हैं कि उनके लिये कोई दूसरी जगह दे दी जाये लेकिन सरकार की ओर से कोई नई योजना नहीं आ रही है। गृह मंत्रालय ने जो रिपोर्ट दी है, उसमें बताया गया है कि महाराष्ट्र के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं आई है। आज दो महीने से ऊपर हो गये हैं, लोगों के पास न खाने के लिये कुछ है और न रहने के लिये जगह है। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं क्योंकि रास्ते नहीं बनाये जा सके हैं। मेरा केन्द्र सरकार से निवेदन है कि इस ओर उसे ध्यान देना चाहिये। अगर यह कहा जाता है कि केन्द्र की ओर से पैसा जा रहा है तो राज्य सरकार उस पैसे का क्या कर रही है? यह केन्द्र सरकार को देखना चाहिये। महाराष्ट्र में अभी भी बरसात चालू है जहां बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। अगर केन्द्र सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो स्थिति और खराब हो जायेगी। लोग बेघर हो गये हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। उन लोगों का समाज मन्दिर तक बह गया है। इसलिये मेरा निवेदन है कि केन्द्र सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर) : उपाध्यक्ष जी, नियम 193 के तहत देश के अंदर बाढ़ की भीषण त्रासदी के बारे में यह सदन आज चर्चा कर रहा है। यह ठीक ही कहा गया है कि प्रतिवर्ष यह विषय केवल चर्चा तक ही सीमित रह जाता है। बाढ़ की प्राकृतिक त्रासदी भूकम्प या चक्रवात की तरह नहीं है जिसका पूर्वानुमान न हो। हमें मालूम है कि देश के मुख्य-मुख्य क्षेत्र बाढ़ की चपेट में आयेंगे और अमुक क्षेत्र सूखे की चपेट में आयेंगे। यह दुखद बात है कि कल हम लोग देश की स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ मनायेंगे लेकिन इन 60 वर्षों में इस देश की जिन प्राकृतिक आपदाओं का पूर्वानुमान हो सकता है, उनके बारे में कोई ठोस योजना हम सब के सामने नहीं होगी। हम राष्ट्र को कुछ देने की स्थिति में नहीं होंगे। प्रतिवर्ष हजारों मौतें बाढ़ के कारण होती हैं । प्रतिवर्ष लाखों हैक्टेयर जमीन की फसलें बाढ़ के कारण नष्ट हो जाती हैं। प्रतिवर्ष लाखों पशुधन की हानि इस देश के ग्रामीण क्षेत्रों में होती है। इन सब के बावजूद, जब हम सदन में पहुंचते हैं तो यह बात केवल चर्चा तक ही सीमित रह जाती है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से आता हूं। यह स्थान नेपाल से आने वाली छोटी-बड़ी नदियों के मुहाने पर स्थित है। प्राय: यह चर्चा में आता है कि नेपाल से आने वाली पहाड़ी नदियों में वर्षा होती है तो वे बड़े वेग से पानी लाती हैं जिससे वह एक बहुत बड़े भू-भाग को अपनी चपेट में ले लेती हैं। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान बाढ़ की त्रासदी के बारे में जो आंकड़े हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं कि उत्तर प्रदेश के 70 जिलों में से 22 जिलों नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों से जुड़े हुये हैं जो बाढ़ की भीषण त्रासदी का शिकार हुये हैं। इनमें 2546 गांव पूरी तरह से बाढ़ से प्रभावित हैं और 30 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ की चपेट में आई है। 29,55,000 हैक्टेयर भूमि पर फसल बरबाद हुई, 2,03,700 मकान क्षतिग्रस्त हुए, हजारों पशुधन की हानि हुई। राज्य सरकार द्वारा कुल क्षति का अनुमान 1728 करोड़ रुपये का है। महोदय, ये आंकड़े और भी बढ़ेंगे क्योंकि ये सरकारी आंकड़े हैं। मैं स्वयं उन क्षेत्रों में गया था और मैंने स्वयं देखा भी है कि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जहां पर प्रशासनिक मशीनरी और तंत्र नहीं पहुंच पाया था। उनके द्वारा राहत कार्य नहीं पहुंच पाया था और वह पहुंचेगा भी नहीं। मैं समझता हूं कि जब प्रशासन वहां तक नहीं पहुंचेगा तो वहां आंकड़े इस प्रकार की पुस्तकों में अपना स्थान नहीं बना पाएंगे। प्रतिवर्ष हम चर्चा करते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के उस क्षेत्र के बारे में जो स्वाभाविक रूप से तराई का क्षेत्र है। अगर हम उस क्षेत्र के बारे में चर्चा करें तो उत्तर प्रदेश के उस क्षेत्र में आर्थिक निवेश की दृष्टि से भी पूरे प्रदेश का मात्र 2.4 प्रतिशत कुल आर्थिक निवेश अब तक हुआ है। एक करोड़ छत्तीस लाख की जनसंख्या में प्रत्येक 1000 व्यक्ति पर छः लोगों को औपचारिक रोज़गार की व्यवस्था शासन द्वारा दी गई है। प्रति व्यक्ति पूंजी निवेश उस क्षेत्र में मात्र 300 रुपये से भी कम है। वहां पर पहले से ही गरीबी है। भूमिहीन लोग अपने पेट की आग को शांत करने के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश से दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, पंजाब और देश के अन्य क्षेत्रों में जाकर सात-आठ महीने मज़दूरी करते हैं और वहां से जब वापस आते हैं और खेती पर जो भी पूंजी लगाने का प्रयास करते हैं तो बाढ़ की त्रासदी का शिकार होकर जो भी उनकी फसल होती है, वह नष्ट हो जाती है। वही लोग विस्थापित होकर दूसरे देशों में गए और मॉरीशस, फिजी, गुयाना, थाइलैंड, मलेशिया आदि देशों के विकास में अपना योगदान दिया लेकिन अपने ही देश में उपेक्षित रहे और उनकी ओर ध्यान नहीं दिया गया। गरीबी, भुखमरी, अशिक्षा, कुपोषण और दूसरी तमाम बीमारियों के शिकार वे होते रहे हैं। हम सदन में इसकी चर्चा भी करते हैं। 2005 में बीआईडी मैडिकल कालेज गोरखपुर में 3000 से अधिक बच्चे छः महीने में ही जापानी एनसिफैलाइटिस से मरे थे, लेकिन तत्कालीन प्रदेश सरकार ने उस क्षेत्र में कोई चिकित्सीय सुविधाएं या अन्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई थीं। आज जिस प्रकार की स्थिति उन क्षेत्रों में है, लगातार वे क्षेत्र बाढ़ की चपेट में आए हैं। प्रदेश सरकार ने स्वयं स्वीकार किया है, भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय ने स्वयं स्वीकार किया है कि 22 जिले बाढ़ की त्रासदी के शिकार हुए हैं।

गोरखपुर से बिहार की तरफ नरकटियागंज मार्ग पर ट्रेन की आवाजाही भी कुछ दिनों के लिए रोकनी पड़ी। भारत को नेपाल से जोड़ने वाला गोरखपुर सोनौली मार्ग बाढ़ के कारण बंद रहा। आज भी बाढ़ पीड़ितों को जो सहायता सामग्री दी जा रही है, वह बहुत कम है। मैं पढ़ रहा था जो भारत सरकार उपलब्ध करा रही है, उसके

अनुरूप भी वहां नहीं मिल रहा है। मैंने एक केन्द्र का निरीक्षण किया। मैंने पूछा प्रतिवर्ष बाढ़ प्रभावित परिवारों को कितना मिल रहा है। कहा कि 10 किलो चावल, दो किलो आलू और दो लीटर मिट्टी का तेल। चावल तुलवाए तो वे दस किलो नहीं, सात किलो ही थे। सात किलो को दस किलो के नाम पर वहां के लोगों को दिया जा रहा था। [H55]यह राहत-कार्य है। इस प्रकार की वहां स्थिति है।

महोदय, जो लोग अपने घरों से विस्थापित हो चुके हैं, जिनके घर बह गए हैं, जिनके गांव पानी में डूब गए हैं, उन लोगों के अस्थायी निवास की जब बात आई और जब उन्हें बरसाती देने की बात आई, तो शासन ने उन्हें पांच मीटर बरसाती स्वीकृत की, लेकिन देखा गया है कि बहुत से क्षेत्रों में कहीं तीन मीटर और कहीं चार मीटर बरसाती दी जा रही है और कहीं बिलकुल ही उपलब्ध नहीं हो पा रही है। उत्तर प्रदेश में चिकित्सा शिविर लगाने की जब बात आई, तो मैं बताना चाहता हूं कि एक भी चिकित्सा शिविर अभी तक नहीं लगा है। पशुओं के चारे की कोई व्यवस्था नहीं है और बाढ़ के पानी के कारण पशु धन को जो बीमारियां हो रही हैं, उनसे बचाव के लिए चिकित्सा की कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

महोदय, यह सब वर्तमान में वहां की बाढ़ की स्थिति है, वह मैं बयान कर रहा हूं। वहां बाढ़ की त्रासदी से लोग जूझ रहे हैं। वहां लोग इन कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, लेकिन इस पुस्तिका में जो आंकड़े दिए गए हैं, वे कुछ और ही बयान कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि आखिर जब सरकार को मालूम है, केन्द्र सरकार भी जानती है, प्रदेश सरकार भी जानती है कि बाढ़ आनी है, तो उससे बचाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं?

महोदय, हम मानते हैं कि नेपाल से निकलने वाली नदियां भारत में बाढ़ की विभीषिका पैदा करती हैं। वर्तमान में नेपाल की जो स्थिति है उसके कारण हम मानते हैं कि नेपाल में भारत सरकार की सहायता से लगने वाली कोई भी परियोजना तब तक सफल नहीं हो सकती है जब तक कि वहां की सत्ता में माओवादी हावी रहेंगे। हमारी कहीं न कहीं यह रणनीतिक भूल है, कहीं न कही हमारी वैदेशिक नीति की असफलता है कि नेपाल भारत का एक मित्र राष्ट्र होते हुए भी, भारत से दूर होता जा रहा है और हम लोगों की कमजोरी के कारण वे लोग सत्ता में हावी होते जा रहे हैं जो कि न केवल भारत के धुर विरोधी हैं अपितु भारत की सभी परियोजनाओं का भी विरोध करते हैं।

महोदय, बाढ़ से संबंधित बहुत से प्रश्न मैंने इस सदन में किए थे। उनमें से एक प्रश्न का उत्तर मेरे पास है। एक प्रश्न का उत्तर दिनांक 19 जुलाई, 2004 को सरकार ने दिया है। इसमें उन्होंने लिखा है कि नेपाल के अंदर जो छः प्रमुख योजनाएं चल रही हैं, उनमें नंबर 1-पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना, 2-सप्तकोसी उच्च बांध बहुउद्देशीय परियोजना एवं समकोसी भंडारण सहडायवर्जन स्कीम, 3-बूढ़ी गंडक जलविद्युत परियोजना, 4-ऊपरी करनाली जलविद्युत परियोजना, 5-कमला बहुउद्देशीय परियोजना और 6 बाघमती बहुउद्देशीय परियोजना। इन छः परियोजनाओं को भारत, नेपाल के साथ मिलकर स्थापित कर सकता है। ऐसा नहीं है कि हमारी एन.डी.ए. की सरकार में ही इनके लिए प्रयास किए गए हों, बल्कि 1954 से इन परियोजनाओं को स्थापित करने की बात चल रही है और तब से लेकर अब तक यानी 1954 से लेकर वर्ष 2007 तक एक भी परियोजना प्रारम्भ नहीं हो पाई है। जब भी कोई परियोजना प्रारम्भ होने की स्थिति में आती है, तो नेपाल के अंदर माओवादियों द्वारा उसका विरोध प्रारम्भ हो जाता है। वर्ष 2001 में एन.डी.ए. सरकार ने कार्य प्रारम्भ करने का प्रयास किया था, लेकिन माओवादियों के विरोध और स्थानीय राजनीति के कारण ये योजनाएं प्रारम्भ नहीं हो पाईं। हम आज भी यह मानते हैं कि जब तक नेपाल में शांति नहीं होती और जब तक नेपाल के अंदर माओवादियों का वर्चस्व सत्ता में होगा, तब तक नेपाल में भारत की कोई भी परियोजना सफल नहीं हो सकती है।

महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि नेपाल के साथ परियोजनाएं प्रारम्भ यदि नहीं हो सकती हैं, तो भी हम स्थानीय स्तर पर तो प्रयास कर ही सकते हैं और बाढ़ को आने से रोक सकते हैं। हम स्थानीय स्तर पर तटबंध बनाकर नदी की ओर से ठोकर लगाकर, बॉर्डर से पीचिंग कर के, इस प्रकार की व्यवस्था अवश्य कर सकते हैं जिससे कि इस समय बाढ़ से जो भीषण हानि होती है और जो जलप्लावन की स्थिति आती है, उससे गांवों को डूबने से बचाया जा सकता है। अब जिस प्रकार से गांवों के पूरी तरह से डूबने की स्थिति होती है, उससे उन्हें बचाया जा सकता है।

महोदय, भारत सरकार ने रोजगार गारंटी योजना प्रारम्भ की है। इसमें एक रेश्यो रखा है कि 60 प्रतिशत कच्चा और 40 प्रतिशत पक्का काम कराया जाए अथवा कहीं 80 प्रतिशत कच्चा और 20 प्रतिशत पक्का काम कराया जाए, ताकि लोगों को रोजगार मिले। इस परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहता हूं कि जहां गांवों के बाढ़ में डूबने की स्थिति आती है, वहां उन गांवों को मिट्टी से पाटने की व्यवस्था करें और यह काम उन्हीं गांवों के लोगों से कराया जाए। इससे मैं मानता हूं कि इससे वहां के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। [r56] मैं मानता हूं कि वहां के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और उन लोगों को बाढ़ की भीषण त्रासदी से भी बचा पाएंगे।

महोदय, वर्ष 1998 और वर्ष 2000 की बाढ़ में गोरखपुर जिला प्रशासन को चार मोटर बोट उपलब्ध करवायी थी। उनमें से दो मैंने स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से और दो सांसद निधि से उपलब्ध करवायी थी। इस बार जब बाढ़ आई तो मैंने जिला प्रशासन से कहा कि मोटर बोट उपलब्ध करवाईए, क्योंकि हमें राहत सामग्री लेकर प्रभावित गांवों में जाना है। लेकिन उस समय एक भी मोटर बोट ठीक नहीं थी। जिन गांवों में बाढ़ आई थी, उनमें बोट की व्यवस्था नहीं थी। प्रशासन से जब कहा गया तो उन्होंने कहा कि हमारे पास नाव नहीं है। जब ग्राम सभा, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, विधायक निधि, सांसद निधि, जिला प्रशासन और भी तमाम तरह की आपदा राहत योजनाओं में पैसा है तब क्यों नहीं हम ऐसी व्यवस्था करते हैं कि जो गांव हर बार बाढ़ की चपेट में आते हैं, वहां स्थायी रूप से बड़ी और छोटी नाव उपलब्ध करवायी जाएं। मेरे संसदीय क्षेत्र के बगल के जनपद महाराजगंज में नाव से भीषण दुघटना हुई थी। यद्यपि वह मेरे संसदीय क्षेत्र में नहीं था, मेरे संसदीय क्षेत्र के बगल में था। वहां 26 लोग नाव के डूबने के कारण मरे थे। मैंने उनसे पूछा कि नाव कैसे डूबी? उन्होंने कहा कि नाव पुरानी थी और मझोली थी। बड़ी साइज की नाव नहीं थी। तीन साइज की नाव होती है। एक छोटी नाव होती है, जिसे डोंगी कहते हैं, जिसमें तीन-चार लोग जा सकते हैं, लेकिन उसके पलटने का खतरा रहता है। दूसरी मझोली नाव होती है, जिसमें 10 से 12 लोग जा सकते हैं। तीसरी बड़ी नाव होती है, जिसमें 40-50 लोग जा सकते हैं। दुर्घटनाग्रस्त नाव मझोली थी। उसमें 12-15 लोग ही जा सकते थे, लेकिन उसमें 50-60 लोग बैठ गए। जब पूरा गांव पानी से भर रहा था तो आखिर लोग कहां जाते? वह पुरानी नाव थी, बीच में गई और वहीं डूब गई। 26 लोग उस गांव के उस नाव दुर्घटना में मरे थे। इस तरह की स्थिति हर गांव में हो सकती है। इस बार इस तरह की सर्वाधिक दुर्घटनाएं हुई हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज, वाराणसी और कुशीनगर में इस प्रकार की दुर्घटनाएं घटित हुई हैं। बिहार में इस प्रकार की दो बड़ी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। एक दुर्घटना में तो 100 से ज्यादा लोगों ने एक साथ जल समाधि ले ली थी। कहीं न कहीं हम लोगों की मानवीय चूक यह है कि हम लोगों ने बाढ़ आपदा के लिए ठीक व्यवस्था नहीं की है।

महोदय, नेपाल के साथ 6 जलकुण्डी विद्युत परियोजनाएं हैं। इस समय हम देख रहे हैं कि सांसद आवासों और संसद में भी जब हम बैठते हैं तो अक्सर बिजली गायब हो जाती है। सांसद आवासों में तो इस समय अक्सर बिजली गायब हो रही है। इसका कारण यह है कि बिजली की कमी है। ऐसा नहीं है कि बिजली की कमी को दूर करने के लिए हमारे पास योजना नहीं है। नेपाल के साथ हमारी जल विद्युत परियाजनाओं को यदि हम पूरा कर दें तो भारत और नेपाल की विद्युत की सभी कमियां दूर हो सकती हैं और साथ ही साथ बाढ़ की इन त्रासदियों से भी हम लोगों को बचा सकते हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि नेपाल के

साथ हमारी 6 जल विद्युत परियोजनाएं चल रही हैं, जिनके माध्यम से हम न केवल विद्युत उत्पादन कर पाएंगे अपितु जलकुण्डी के माध्यम से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार को बाढ़ की इस भीषण त्रासदी से बचा पाएंगे। साथ ही साथ जिस समय उन क्षेत्रों को जल की आवश्यकता है, उस समय उनको जल की आपूर्ति भी कर सकते हैं। पहले हमें नेपाल में शांति बहाल करने में सहयोग करना चाहिए, माओवादियों के वर्चस्व को रोकना चाहिए और फिर नेपाल के साथ मिलकर इन योजनाओं को पूरा करने में अपनी पूरी ताकत लगानी चाहिए। अन्यथा उस परिप्रेक्ष्य हम जितनी भी योजनाएं बना लें, मैं समझता हूं कि बिहार और उत्तर प्रदेश को हम बाढ़ की इन त्रासदियों से नहीं बचा पाएंगे।

महोदय, एनडीए की सरकार ने देश की नदियों को जोड़ने के लिए एक योजना बनाई थी। मैं जानना चाहता हूं कि क्यों उस योजना को यूपीए की सरकार ने ठण्डे बस्ते में डाल दिया है। तमाम राज्यों ने इस पर प्रस्ताव तैयार किए हैं, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश की सरकार भी इसमें रूचि लेना चाहती है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले बाढ़ से प्रभावित है और पश्चिम के जिलों में पूरी तरह से सूखा पड़ा हुआ है[r57]।

18.00 hrs.

सभी नदियों को जोड़ने की योजना अगर क्रियान्वित होती तो कम से कम इस प्रकार कहीं जल प्लावन की स्थिति और कहीं पर सूखे की स्थिति से बचा जा सकता था। मैं समझता हूं कि देश के अन्दर जो सूखे, जल प्लावन और बाढ़ से जो भीषण समस्याएं सामने आ रही हैं, उनका सामना भी हम लोग कर पाएंगे।

इसके अतिरिक्त मैं माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहूंगा कि नेपाल के साथ जल विद्युत परियोजनाओं पर क्या प्रगति हुई है, इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करें। दूसरे जो देश की नदियों को जोड़ने के लिए एन.डी.ए. की सरकार के समय योजना तैयार हुई थी, उन नदियों के बारे में सरकार की क्या नीति है? इसके अतिरिक्त मैं यह भी जानना चाहता हूं कि बाढ़ के बारे में जब चर्चा होती है तो केवल जन-हानि के बारे में ही हमेशा चर्चा होती है, पशुधन के बारे में नहीं। यहां पर जो माननीय गृह मंत्री ने बाढ़ से सम्बन्धित पुस्तिका हमें उपलब्ध करवाई है, उसके लिए मैं माननीय गृह मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, लेकिन मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि सचमुच मैं जहां भी बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में गया हूं, राहत कार्यों में सामग्री इस प्रकार से कहीं वितरित नहीं हो रही है। पशुधन की हानि जहां भी हुई है, किसी भी पशुपालक को उसके पशु के मरने पर, उसके बहने पर मुआवजा नहीं मिला है।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह डिस्कशन 16 तारीख को भी जारी रहेगा। That will be continued on 16th also. अभी मेरे पास लिस्ट में दो स्पीकर्स आज के लिए और बाकी हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि अब आप बैठ जायें।

योगी आदित्यनाथ : मैं 1-2 मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

â€¦(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now nothing will go on record. आपको मैंने मोर दैन सफीशिएंट टाइम दिया है।

योगी आदित्यनाथ : मैं अपना वक्तव्य समाप्ति की ओर ले जा रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, उसे मैं रख रहा हूं। इस देश के किसानों के बारे में कोई नहीं सोचेगा, उनके पशुधन के बारे में कोई नहीं बोलेगा? अब तक तो मैं अपनी बात समाप्त कर चुका होता। मैं वही कहना चाहता हूं कि जो पशुधन हानि हो रही है, उसकी जो क्षति हो रही है, उसके लिए उनको कहीं से भी कोई मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। यहां पर माननीय गृह मंत्री जी ने जो यह बात कही है, मैं उनसे अवश्य अनुरोध करना चाहूंगा कि माननीय प्रधान मंत्री जी देश के अन्य क्षेत्रों में गये, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में माननीय प्रधान मंत्री जी या भारत सरकार का कोई भी मंत्री नहीं गया। मैं माननीय गृह मंत्री जी से और माननीय जल संसाधन मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि एक केन्द्रीय प्रतिनिधि मंडल उन क्षेत्रों का अवश्य दौरा करे, सारे विषयों पर चर्चा करे और जो नुकसान हुआ है, घरों की क्षति के बारे में जो चर्चा की गई है...(व्यवधान) जो घर गिरे हैं, वे बाढ़ के समय गिरे होंगे और घर गिरने की स्थिति अब आयेगी, जब बाढ़ का पानी समाप्त होगा तो मिट्टी के जो कच्चे घर होंगे, वे अब गिरेंगे। यहां पर दो लाख से ऊपर घर गिरने की बात की गई है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा क्षति अब होगी। मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि 25 हजार रुपया उन लोगों को गृह निर्माण के लिए दिया जाता है, जो प्रधान मंत्री आवास योजना में हैं। मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि 25 हजार रुपये की राशि गृह निर्माण के लिए बहुत कम है, इस राशि को बढ़ाया जाये और कम से कम 50 हजार रुपये किया जाये और उसका पूरा सर्वेक्षण कराकर एक बार में बाढ़ राहत के लिए इतनी धनराशि उपलब्ध करवाई जाये, जिससे जो भी लोग बाढ़ से प्रभावित हैं, उन लोगों को भरपूर मदद दी जा सके।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी): हर पार्टी का नम्बर रोटेशन से आता है, लेकिन हमारा नम्बर नहीं आता है। सब पार्टियों को मौका मिलना चाहिए।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपका नाम तो सूची में है।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी : नाम है, वह दूसरी बात है, लेकिन रोटेशन बार-बार चेंज क्यों होता है?

MR. DEPUTY-SPEAKER: That, I do not know. I was not there at that time. मिनिस्टर साहब तो बीच में कभी भी इण्टरवीन कर सकते हैं।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी : उड़ीसा के बारे में डिस्कशन नहीं हुआ है, जबकि उड़ीसा बाढ़ से काफी पीड़ित है।...(व्यवधान)

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयप्रकाश नारायण यादव): उपाध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

बाढ़ पर विस्तार से सदन में चर्चा हो रही है। माननीय सदस्य भी अपनी बातों को रखने का काम कर रहे हैं। देश के कई हिस्सों में बाढ़ से भारी तबाही और बर्बादी हो रही है। इससे अरबों रुपये की हानि होती है, जान-माल की हानि होती है, क्षति होती है और बहुत सी बर्बादी होती है। बिहार, असम, गुजरात, उड़ीसा, बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और देश के कई राज्यों में बाढ़ की भयंकर विभीषिका से भारी जान-माल की हानि हो रही है। यह एक बड़ा गंभीर विषय है। बड़ी ही

जिम्मेदारी के साथ हमें इस समस्या का निदान निकालना है। जब हम बाढ़ का बेहतर प्रबंधन करेंगे, तब हम सुखाड़ का भी बेहतर प्रबंधन कर लेंगे, लेकिन जब तक हम बाढ़ का बेहतर प्रबंधन नहीं करेंगे, इसके बचाव का इंतजाम नहीं करेंगे, तब तक हम सुखाड़ का भी इंतजाम नहीं कर सकते। सुखाड़ से बाढ़ का प्रबंधन नहीं हो सकता, लेकिन बाढ़ के बेहतर प्रबंधन से सुखाड़ का भी प्रबंधन हो सकता है। इसलिए यह बहुत ही अहम सवाल इस सदन के सामने है। जो बाढ़ आयी, सभी माननीय सदस्यों ने उस पर अपनी-अपनी राय रखी। मैं उनकी भावनाओं का आदर करता हूं, लेकिन कई ऐसे तथ्य और सवाल हैं, जिनको सदन के माध्यम से पूरे देश को जानने का हक है। पूरे राष्ट्र के लोगों को जानने का हक है कि किसकी क्या जिम्मेदारी होती है? हमारी क्या जिम्मेदारी होती है? राज्य सरकारों की क्या जिम्मेदारी होती है?...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जब आपकी बारी आएगी, आप अपनी बात कहिएगा।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव : एक संवेदनशील इन्सान बन कर इन्सानियत के साथ हमें उत्तरदायित्व का निर्वाह करना है। सदन लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था है और इसकी आवाज गांव-गांव तक जाती है। हम इसमें कोई राजनीति नहीं करना चाहते हैं और राजनीति करना भी नहीं है। जब हमें उत्तरदायित्व मिला है, तो हम पूरे तथ्यों के साथ सदन में आना चाहते हैं। पूरी स्थिति के बारे में स्वयं माननीय गृह मंत्री जी बतायेंगे, लेकिन जो अन्य राज्यों का देश के अंदर और खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी हिस्सा है, यह फ्लड का रिस्क जोन है। यह सबसे खतरनाक जोन है, जहां बाढ़ आती है, बर्बादी आती है, लेकिन वहां युद्ध स्तर पर तैयारी की जाती है। हम जानते हैं कि हर साल बाढ़ आती है। हम क्या उसकी तैयारी करते हैं, क्या रसद है, क्या उसके लिए संसाधन हैं, क्या इंतजामात हैं, हमें पहले से प्रीकॉशन लेना पड़ता है, लेकिन यह प्रीकॉशन लिया गया या नहीं लिया गया, इसके लिए तैयारी की गयी या नहीं की गयी, यह तैयारी 15 जून के पहले की जाती है।

महोदय, मैं कई तथ्यों के साथ आपके सामने आऊंगा। लेकिन मैं एक तथ्य सबसे पहले आपके सामने रखना चाहता हूं, वह यह है कि बिहार में जो भयंकर बाढ़ आयी है और अरबों रूपयों की हानि हुयी है, नेपाल की तराई से जो बाढ़ का पानी आया, उससे जो क्षति और बर्बादी हुयी है, 19 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं और लगभग डेढ़ करोड़ की आबादी बाढ़ से ग्रसित है, परेशानी में है। लगभग 11 लाख हैक्टेयर से ज्यादा फसल की हानि हुयी है, मरने वालों की संख्या 160 से ऊपर है, जो आंकड़े बताते हैं, लेकिन और कितने लोग मरे हैं, इसका लेखा-जोखा सामने नहीं है। बिहार में बाढ़ से प्रभावित जो गांव हैं, उनकी संख्या लगभग 70 सौ है। यह बिहार की स्थिति है। इस आंकड़े के साथ और इन तथ्यों के साथ आपके बीच हम आना चाहते हैं कि इस बार 15 जून से पहले क्या तैयारी करनी थी और क्या तैयारी करके हमें प्रीकॉशन लेना चाहिए था? युद्ध में, बेटी की शादी में, शमशान घाट में और प्राकृतिक आपदा में कोई दुश्मनी नहीं होती है। हम सही तथ्यों को इस सदन के माध्यम से रखना चाहते हैं। बाढ़ से पूर्व राज्य सरकार की जो जिम्मेदारी थी, उसमें बिहार राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद द्वारा 393 योजनाओं को स्वीकृति दी गयी। लगभग 4 सौ योजनाओं की स्वीकृति दी गयी और यह कहा गया कि हम उसमें से 102 योजनाओं को क्रियान्वित करेंगे और 102 योजनाओं का काम शुरू किया जाएगा। जब बाढ़ आ गयी तो कितनी योजनायें पूर्ण हुयीं, 20 दिनों से लोग बाढ़ में मर रहे हैं, तब तक केवल 79 योजनाएं पूर्ण होती हैं। [c58] 400 में से 102 लिए जाते हैं, 102 में से 79 पूरे होते हैं यानी कुल योजना का 26 प्रतिशत अमल में आता है। मैं यह जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। यदि किसी के पास तथ्य होंगे तो वे अपनी बात कहते समय बताएंगे।...(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing should go on record.

*(Interruptions) â€¦ **

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन (भागलपुर): यह भारत सरकार के मंत्री हैं। इन्होंने अभी कहा कि राजनीति से ऊपर उठकर काम करना चाहिए। ...(व्यवधान) पूरा भाषण बिहार सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए है।...(व्यवधान) यहां केन्द्र के मंत्री खड़े हो जाएंगे। बिहार सरकार ने क्या किया, इस बारे में बिहार सरकार जवाब देगी। ...(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing should be recorded.

*(Interruptions) â€¦**

*** Not recorded**

श्री जयप्रकाश नारायण यादव : मैं तथ्यों के साथ आना चाहता हूं।...(व्यवधान) मानसून से पूर्व जो योजनाएं ली गई, उसे शत प्रतिशत पूरा करना था। मगर मात्र 20 % कार्य किया गया। ...(व्यवधान) यह तथ्य चौकाने वाला है। राज्य सरकार को सुस्ती खत्म कर कार्य करना था। जो समय से नहीं हुआ और भारी संकट बाढ का आ गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको और आपकी पार्टी के सदस्यों को बोलने का समय दूंगा। उस समय आप जो कहना चाहें, बता दीजिए।

â€¦(व्यवधान)

श्री जयप्रकाश नारायण यादव : माननीय सदस्य समय आने पर अपनी बात रखें।...(व्यवधान) ऐसे तथ्यों पर अपनी बात रखिए। बिहार की जनता जान रही है कि आप क्या काम कर रहे हैं।...(व्यवधान) आप बैठ जाइए।...(व्यवधान) मैं बता रहा हूं। आप सुनिए, धीरज रखिए।...(व्यवधान) बहुत धीरज के साथ अपने तथ्यों को रखेंगे।...(व्यवधान) हम क्या करने वाले हैं, वह भी बताएंगे...(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing is going on record.

*(Interruptions) â€¦ **

श्री जयप्रकाश नारायण यादव : सर्वोच्च सदन में अपनी बात रखना हमारी जिम्मेदारी होती है, उत्तरदायित्व होता है, इसलिए मैंने यहां इन तथ्यों को रखा। हम दो नई योजनाओं के साथ आ रहे हैं। हम अभी और बातें बताएंगे, आप धीरज से सुनिए।...(व्यवधान) हम ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में जा रहे हैं। बिहार को तोहफा दिया जा रहा है और उसमें एक, बागमती तटबंध और दूसरा, महानंदा तटबंध। बागमती तटबंध के लिए 798 करोड़ रुपये का पैकेज दिया जा रहा है। महानंदा तटबंध के लिए 855 करोड़ रुपये की लागत का पैकेज दिया जा रहा है। इन दो बड़ी योजनाओं के साथ हम आ रहे हैं। सन् 2004 में जो भयंकर बाढ़ आई थी, उससे जो बर्बादी हुई थी, उसके लिए एक टास्क फोर्स बनाया गया। उसकी रिपोर्ट आई। राज्य सरकार से कहा गया कि योजनाएं भेजिए। जो योजना आई, उसके लिए केन्द्र सरकार ने पैसे दिए। मेरे पास आंकड़े हैं और हम बाद में आंकड़ों पर भी आएंगे। फिर कार्य बल बना और उसने 2004 में जो सिफारिश की, उसके आधार पर स्कीम ली गई। उस पर आगे की कार्यवाही हो रही है। आप कहते हैं कि बातों को रखिए और वह सही तरीके से आनी चाहिए। बूढ़ी गंडक में इस बार जो कटाव हुआ, बसई जो बेगुसराय में है, उसके लिए 2004-05 में तीन योजनाएं ली गई थीं। केन्द्रीय सहायता के पास 3 करोड़ 43 लाख रुपये का

* Not recorded

उपयोगिता प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा आज तक नहीं आया। इसी तरह 2006-07 में केन्द्र द्वारा दो योजनाओं के लिए 1012.82 लाख रुपये की स्वीकृत राशि के विरुद्ध प्रथम किश्त के रूप में 3 करोड़ 50 लाख रुपये 13.02.07 को जारी किए गए, परन्तु आज तक उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं प्राप्त हुआ जबकि इसी बेगुसराय जिले के बसई में तटबंध टूटने से इस बार व्यापक नुकसान और बाढ़ आई।[N59]

वहां से उपयोगिता प्रमाण-पत्र नहीं आया लेकिन फिर भी केन्द्र सरकार ने पैसा दिया। "सांच पर आंच क्या" जो सच्चाई है, वह छिपती नहीं है। असत्य से सत्य को जीता नहीं जा सकता। सत्य को परेशान कर सकते हैं, लेकिन उसे कोई हरा नहीं सकता। ...(व्यवधान)

श्रीमती करुणा शुक्ला (जाँजगीर) : सच यह है कि बिहार को इतना बर्बाद कर दिया गया है कि उसे सुधारने में समय लगेगा। ...(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record.

*(Interruptions) â€¦**

श्री जयप्रकाश नारायण यादव : अभी कई चीजों के ऊपर हम बोलेंगे। इसके साथ-साथ ...(व्यवधान)

आप किसको सुनाना चाहते हैं? आप बैठिये। आप हमारे बगल में रहते हैं इसलिए आपको सारी जानकारी मिल जायेगी। ...(व्यवधान) गंडक के बारे में, मैं आपको बताना चाहता हूं। ...(व्यवधान) मैं उन तथ्यों को भी बताऊंगा लेकिन आप पहले धीरज के साथ सुनिये। ...(व्यवधान)

SHRI MADHUSUDAN MISTRY (SABARKANTHA): This is not fair....(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing is going on record.

*(Interruptions) â€¦**

श्री जयप्रकाश नारायण यादव : हम अपनी बात रख रहे हैं। आप सुनिये। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: मिस्त्री जी, आपकी कोई बात रिकार्ड में नहीं गयी और उनकी भी कोई बात रिकार्ड में नहीं गयी।

â€¦(व्यवधान)

श्री जयप्रकाश नारायण यादव : गंडक के बारे में हम बताना चाहते हैं। ...(व्यवधान)

आप छोड़िये। ...(व्यवधान) हम इसको दूसरे रूप में लेते हैं। ...(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, आप छोड़िये।

* Not recorded

हां, हम माननीय मंत्री हैं। मैं जिन तथ्यों को रख रहा हूं, उसे आप नोट करके मिलान कीजिए तब आपको पता चलेगा कि हम सही बोल रहे हैं। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सीता राम यादव जी, आप अपनी सेहत का ख्याल रखें।

â€¦(व्यवधान)

श्री जयप्रकाश नारायण यादव : गंडक नदी के लिए भी राशि दी गयी। इसके साथ-साथ गंगा बेसिन है। मैं स्वयं बक्सर, भोजपुर, पटना, छपरा, हाजीपुर और भागलपुर जहां के माननीय सदस्य बोल रहे हैं, वहां गया। हम इनके क्षेत्र में गये।...(व्यवधान) हमने इनके क्षेत्र में कितना पैसा दिया, करसेला में कितना पैसा दिया, बीहपुर में कितना पैसा दिया, यह तथ्य भी हमारे पास हैं। यदि केन्द्र सरकार न होती, तो आपके तटबंधों का बचाव आज नहीं होता। हमें अपनी जिम्मेदारी का अहसास है। जब जिम्मेदारी का अहसास कहीं नहीं होता, तो उसके लिए जरूर आगाह किया जाता है। इसलिए मन में कोई भी भावना नहीं रखनी चाहिए। भागलपुर में आज जो 17 करोड़ रुपये का काम हो रहा है, उसे हमने बैठकर किया। डिपार्टमैंट के साथ हमने मीटिंग की है। मैं तथ्य रखना चाहता हूं कि मैंने कितनी बार मीटिंग की है। मैंने 9 जुलाई, 2007 को मीटिंग की, 23 जुलाई 2007 को मीटिंग की। अभी हाई डैम के बारे में चर्चा हो रही है। इस पर हम आगे आयेंगे।...(व्यवधान) हम लगातार अधिकारियों को बुलाते रहे हैं। हम नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन हमने माननीय मंत्री को टेलीफोन किया कि आप अधिकारियों को भेजिये। केन्द्र सरकार दोनों हाथों से पैसा देने के लिए तैयार है। आप क्या काम कराना चाहते हैं, क्या राशि लेना चाहते हैं, यह हमें बताइये क्योंकि हम देना चाहते हैं। टर्नअप नहीं होते रहे। मेरे पास हर डेट की जानकारी है। मेरे पास 23 जुलाई, 9 जुलाई, 29 मार्च, 8 मार्च, 9 फरवरी और 29 जनवरी के आंकड़े हैं कि हमने क्यों अधिकारियों को बुलाया? अभी दस दिन पहले हमने बिहार के अधिकारियों को चर्चा के लिए बुलाया। हमने उनसे कहा कि आप टेबल पर बैठकर अपने काम को देखिये और उसे बिहार का

कार्य कराकर ले जाइये। यहां जो काम करना है, उसकी जिम्मेदारी हमारी है। हम आपको भेजते हैं इसलिए कोई भी चीज होती है, तो उसकी गंभीरता रहनी चाहिए। इसके साथ-साथ पटना और अन्य जो जल वाला इलाका है, उन इलाकों के साथ …(व्यवधान) अन्य इलाके में पटना के कई भागों में तबाही हो रही है। अभी कैसे हो गया। अभी तो हमने शुरूआत की है। इसके साथ-साथ ललवकिया, बागमती, कमलाबलान, खांडू तटबंधों के उच्चीकरण और सौंदर्यीकरण के लिए राशि दी गयी। इसके साथ-साथ कोसी परियोजना के लिए अलग से राशि दी गयी।

उपाध्यक्ष महोदय, बाढ़ से स्थायी निदान पाने के लिए हाई डैम की बात हो रही है। लेकिन मैं इस तथ्य को रखना चाहता हूं कि यूपीए सरकार जब बनी, सत्ता में आई, तो सत्ता में आने के बाद स्वयं माननीय प्रधान मंत्री जी ने 2004 में दौरा किया, माननीय गृह मंत्री जी ने स्वयं दौरा किया। [MSOffice60]

माननीय रेल मंत्री जी ने स्वयं दौरा किया था और मैं भी उनके साथ था। नेपाल में हाईडैम बनाने की चर्चा जब सामने आई तो फरवरी, 2004 में श्री श्याम शरण जी नेपाल में राजदूत थे।…(व्यवधान) माननीय सदस्य मेरी बात को सुनिए, इन तथ्यों को गंभीरता से सुनिए। फरवरी, 2004 में नेपाल में भारतीय राजदूत श्री श्याम शरण जी से टेलीफोन पर मेरी बात हुई। हमने कहा कि लेटर ऑफ एक्सचेंज जरूर होना चाहिये ताकि सौहार्दपूर्ण ढ़ंग से नेपाल में हाईडैम बने। इस पर उन्होंने कहा कि यह आपने बहुत अच्छी शुरूआत की है। उस समय यहां नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री आए थे। उनसे इस विषय पर बात हुई तो उन्होंने कहा कि जब बाढ़ आती है, तो हाईडैम की चर्चा होती है, इस काम को आगे बढ़ाओ, उन्होंने इस पर खुशी जाहिर की और फरवरी में लेटर ऑफ एक्सचेंज हुआ। उसके बाद वहां कार्यालय खोलने पर सहमति हुई। 32 करोड़ रूपए देकर यूपीए सरकार ने कहा कि नेपाल में हाईडैम बने। जिसके लिए D.R.P. बनाइये वहां भारी वर्षा होने से उत्तरी बिहार में जो तबाही होती है और कोसी नदी, जिसके लिए कहा जाता है कि जब वह हंसती है तो बिहार रोता है, उससे आने वाली बाढ़ की तबाही से बिहार को बचाने के लिए वहां हाईडैम जरूरी है। इसके लिए वर्ष 1984 में बिहार के सदन में भी हमने बाढ़ पर बहस कराई थी। उस समय मैं वहां एमएलए था। मैंने बहस कराई थी, मेरे पास इसके डाक्युमेंट्स हैं। लेकिन जब सौहार्दपूर्ण वातावरण में नेपाल से वार्ता हो गयी, तो उन्होंने कहा कि हम वहां कार्यालय खोल सकते हैं। 32 करोड़ रूपए वित्त विभाग से होते हुए दिए गए। उसके बाद नेपाल में कुछ राजनीतिक गतिविधियां ऐसी हो गयीं, जिनमें लगभग डेढ़ साल का समय बर्बाद हुआ। इस बीच बहुत सी मीटिंग्स होती रहीं। श्री सोज़ साहब यहां बैठे हुए हैं, करीब 7 माह पूर्व नेपाल के सिंचाई मंत्री आए थे, उन्होंने इसमें पूरा सहयोग करने की बात कही है। अभी नेपाल में सात जगहों पर हमारे कार्यालय चल रहे हैं। विराटनगर में मुख्य कार्यालय, जनकपुर में डिवीजन कार्यालय, भरान में डिवीजन कार्यालय, कटनी में सब-डिवीजन कार्यालय, लहान में सब-डिवीजन कार्यालय, चतरा में सब-डिवीजन कार्यालय और चतरा में दूसरा सब डिवीजन कार्यालय चल रहे हैं। इस बारे में कुछ दिन पहले हमने अधिकारियों की बैठक बुलाई। जब उन्होंने कहा कि यह वर्ष 2009 तक बनेगा, तो मैंने कहा कि पहले ही इसमें डेढ़-दो साल का समय नष्ट हो गया है, इसलिए हमें दिसंबर, 2008 तक नेपाल में हाईडैम बनाने के लिए D.P.R. तैयार कर लेना है। यह यूपीए सरकार की जीत है। इसमें कहां से दूसरी बात और तीसरी बात आ गयी और कहां से एनडीए हुकूमत की बात आ गयी? आप बोलिए, आप बोल सकते हैं, लेकिन जो सच्चाई है, वही तथ्य है। इसलिए मैं अपनी बातों को आपके सामने रखना चाहता हूँ। इसके साथ-साथ जब माननीय रेलमंत्री जी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का एरियल सर्वे करके कहा कि बिहार की हालत बहुत खराब है, वहां बाढ़ से बहुत तबाही हो रही है, लाखों-करोड़ों लोग वहां फंसे हुए हैं, उनकी हालत बहुत खराब है। उनकी स्थिति बहुत बदतर है। वहां हेलीकॉप्टर उतरा। …(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing would go on record except the speech of the hon. Minister.

*(Interruptions) â€¦**

श्री जय प्रकाश नारायण यादव : उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री से, मुलाकात कर स्वंय माननीय रेलमंत्री श्री लालू प्रसाद जी का एवं संयुक्त हस्ताक्षर श्री राम विलास पासवान जी का और अन्य सांसदगण मिलने गए, तो उन्होंने स्वयं कहा कि आज 21 दिन हो गए, भारत सरकार से राज्य (बिहार) सरकार ने सहायता का मांग नहीं की है, लेकिन CRF का 550 करोड़ रूपया बिहार को दिया गया है, उस पैसे का अभी तक उपयोगिता प्रमाणपत्र नहीं आया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने माननीय रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद जी के साथ उपस्थित सदस्यों के सामने सम्मानपूर्वक कहा। यह सत्य बात है। प्रमाणपत्र नहीं मिलने के बावजूद पुन: प्रधान मंत्री जी की तरफ से कहा गया कि हम 174 करोड़ रुपए भेज रहे हैं और पड़ोसी राज्यों से पोलीथीन मंगाकर देने को कहा गया है। इसके अलावा वहां सेना को भी सतर्क कर दिया गया और उनकी नावों की व्यवस्था की गई, ताकि लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा सके। बाढ़ पाडितों के लिए जानमाल की हानि, बर्बादी न हो, यह सब भारत सरकार ने बिना मांगे दिया, क्योंकि यह हमारी ड्यूटी है। राज्य सरकार ने कुछ नहीं मांगा और बाढ़ से बचाव के लिए कुछ नहीं किया।…(व्यवधान) यह बडा ही दुखद है। ऐसे वक्त में सभी मतभेद भूल बाढ़ पाडितों को बचाना ही एक मात्र धर्म है।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : यह सेंटर के मंत्री हैं और कह रहे हैं कि राज्य सरकार ने नहीं मांगा। यहां गृह मंत्री जी बैठे हैं, जब प्रभुनाथ सिंह जी बोल रहे थे, तब पाटील जी ने कहा था कि आपको जो चाहिए वह प्रोजेक्ट बनाकर भेजें। इस तरह से इनके और गृह मंत्री जी के बयान में डिफरेंस आ रहा है।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव: जितना डिफरेंस आएगा, आप उसे सुधारते रहें, लेकिन मैं जो कह रहा हूं उसे आप सुनें और अंत में आप भी कहेंगे कि आप ठीक कह रहे थे।

*** Not recorded**

श्री बृज किशोर त्रिपाठी : यह बिहार के मंत्री हैं या सेंटर के मंत्री हैं, क्योंकि सिर्फ बिहार की बात कर रहे हैं, जबकि बाढ़ उड़ीसा में भी आई है, उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं।…(व्यवधान)

श्री जय प्रकाश नारायण यादव: अगर आप मेरी पूरी बात सुनेंगे तो मैं उड़ीसा, असम आदि राज्यों के बारे में भी कहूंगा। सबसे ज्यादा तबाही बाढ़ से असम और बिहार में हुई है। बिहार में तो अरबों रुपए की तबाही हुई है, जहां हाई डैम बनाने की बात हो रही है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए बिहार में यूपीए की चेयरमैन सोनिया गांधी जी, गृह मंत्री श्री शिवराज पाटील जी और रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद जी साथ गए थे। उन्होंने वहां बिहार का एरियल सर्वे किया और कहा कि बिहार में भारी बर्बादी हुई है, लेकिन रिलीफ का काम नहीं हो रहा है। इसलिए बिहार की स्थिति बद से बदतर है। मेरे पास आंकड़े हैं, मैं आपको बताऊंगा कि रिलीफ का काम करने के लिए आदेश 13 तारीख को निकले हैं।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : मेरे पास भी बिहार सरकार का कागज है।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव: यदि हम बाढ़ का स्थाई निदान चाहते हैं तो हमें हाई डैम बनाने होंगे। पुनपुन में एक महीने पहले 199 करोड़ रुपए बेहतर प्रबंधन के लिए दिए गए हैं ताकि बाढ़ से बचा जा सके। बराज बन सके। बाढ़ नियंत्रण आयोग का होना भी जरूरी है। माननीय U.PA. की चेयर परसन सोनिया जी और पाटिल जी को विपक्ष का नेता राबडी देवी ने बाढ़ से स्थाई समाधान के लिए ज्ञापन भी पटना में दिये हैं कि बाढ़ से प्रत्येक वर्ष होने वाली तबाही को रोक.ने. के लिए इस तरह के आयोग की जरूरत है। आजकल तो राजस्थान में भी बाढ़ आ रही है। असम, उड़ीसा, बिहार आदि प्रदेशों में तो हर साल बाढ़ आती है। असम में ब्रह्मपुत्र बोर्ड बना है, गंगा बेसिन है, वे काम कर रहे हैं। इसी तरह अन्य राज्यों में भी ऐसा करने की आवश्यकता है। राज्य सरकारों की जो जिम्मेदारी है, उसके तहत उन्हें भी काम करना चाहिए। हमें मालूम है कि कहां-कहां बाढ़ से कटाव हुआ है। किस-किसने भारी बारिश की फोरकास्ट की थी, यह सब जानकारी मेरे पास है। राज्य सरकार को तैयार हो जाना चाहिये था। मगर लापरवाही बरती गई।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : नेपाल ने क्या फोरकास्ट की थी?

श्री जय प्रकाश नारायण यादव: मेरे पास सारी जानकारी है। इस बार फोरकास्ट हुआ था कि भारी बारिश होगी और कई जिलों में तबाही हो सकती है। यह भी कहा गया था कि 5 जुलाई से ही भारी बारिश हो सकती है और नेपाल तथा बंगाल की खाड़ी से बादल आने के कारण काफी बारिश होगी। इस सबकी तैयारी 15 जून से ही बिहार सरकार को करनी थी, लेकिन वह नहीं की गई। वहां के मुख्य मंत्री तो उस समय मारीशस की यात्रा पर थे। प्रदेश सरकार के इरीगेशन कमिश्नर मई से जून तक नहीं थे। इसलिए बाढ़ से निपटने की तैयारी जो तैयारी विभाग ने की थी, नहीं हो पाई। असम में 26 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। उड़ीसा में 6 जून से 8 जून तक भारी बारिश हुई। उत्तर प्रदेश में 3 अगस्त से 7 अगस्त के बीच तीन स्थानों पर भारी बारिश हुई। [R61]पश्चिम बंगाल में 28 तारीख को भारी बारिश हुई। मेरे सामने सारे आंकड़े हैं कि किन-किन प्रदेशों में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। तबाही और हानि हो रही है। बिहार की तो भारी बाढ़ से बर्बादी हुई है। रिलीफ नहीं मिल रहा है। नौका दुर्घटना हो रही है, डूब कर लोग मर रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है।

अंत में मैं कहना चाहूंगा कि यहां पर गंभीर चर्चा हो रही है और केन्द्र सरकार हमेशा राज्य सरकारों को पूरा सहयोग करने के लिए तत्पर रही है। बिहार सरकार ने केन्द्र से जितना भी सहयोग मांगा है हम उसे पूरा करेंगे और जो सहयोग पहले दिया गया है उस खर्चे के लिए भी हम तैयार हैं। नेपाल में हाई कैपेसिटी डैम बने। इसके लिए विभाग UPA सरकार बेहतर पहल कर रही है। हम लगातार लगे हैं। एक फिजिकल रिपोर्ट हम कमला और बागमती नदी पर बना रहे हैं। इतना ही नहीं, इसी संबद्ध मंत्रालय अभी माननीय शाहनवाज जी बोल रहे थे। हमने भागलपुर में कटाव निरोधी कार्य के लिए यहां 17 करोड़ रुपये का काम कराया है। मुंगेर में कार्य करना है। केन्द्र सरकार की तरफ से धन की कमी नहीं होने दी जाएगी विश्वास दिलाता हूं और ऐसी विपत्ति के समय, लोगों को बाढ़ से बचाने के लिए, केन्द्र सरकार युद्धस्तर पर सहायता के लिए तैयार है और सहायता में जरा भी कमी नहीं आने देगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): Mr. Deputy-Speaker Sir, at the end of the day, I stand here to speak about the situation arising out of floods in various parts of the country.

There was a time in the Puranic age when people of Gop faced the wrath of Indra. Today, different parts of the country are facing the wrath of monsoon, be it Brahmaputra or Ganges or Mahanadi or Subarnarekha. The deserts of Rajasthan are getting flood too. Scores of people are dying because of floods and many more have fallen ill. When rains have brought relief from heat and cheer to the people, it has led to flood in many States.

The recurring menace of flood and erosion constitutes one of the biggest challenges before the nation. Over decades, this has proved to be a perennial bane for the country inflicting extensive damages on agriculture and infrastructure in particular. The permanent solution to the problem eluded so far is dearth of funds which has been cited as the major reason. The constraints of funds seems to be easing of late with assistance coming from various quarters including ADB and the NABARD and other channels. But the problem lies in implementation in a time-bound manner.

In recent times, erosion has assumed more serious dimensions than floods. Today, there is a need to identify the selected areas and take up long-term anti-erosion projects. For minimizing the impact of floods, the Government should consider more viable options other than embankments because, as scientific studies have shown, embankments often cause abnormal rise in the river bed and add to the severity of the flood once the embankment is breached or overtopped. The possibility of dredging various major rivers which have become shallower than it was 50 years ago also demands serious attent[MSOffice62]ion of the Government.

Therefore, there is a need to re-consider "embankment protected area" concept and look for resettlement of habitations in safe places which are perennially getting flooded. Secondly, dams and reservoirs have proved that they are not remedial measures to curb flood. Whether allowing free flow will help is a big question, as we see maintenance of embankments is a big drain into the exchequer. There is a need to revisit this issue and the whole gamut of flood control. It is proved that floods cannot be controlled, rather they should be regulated.

I come to the problem which our State is facing. Orissa was ravaged by floods in five phases from July to September, 2006. Massive damage occurred due to these calamities of severe nature. The Government of India was requested for Central assistance out of the NCCF for providing relief to the affected people and for immediate repair and restoration of relief lines. In response, the Government of India had sent an Inter-Ministerial Team to assess the damage caused by floods. They visited 12 districts, when the State was combating with the 4th phase of flood. I must remind this House that last year Orissa faced five-phased floods.

A final memorandum was submitted to the Government of India on 18th September, 2006, requesting an assistance of Rs. 2,382.43 crore out of the NCCF and one lakh MT of food grain to meet the expenditure. At the midst of monsoon, the hon. Prime Minister visited the State and realising the severity of floods, announced an assistance of Rs. 200 crore out of the NCCF. But subsequently only Rs. 25 crore was provided. I repeat, out of the NCCF Rs. 200 crore was announced by the Prime Minister before the media. But subsequently only Rs. 25 crore was provided. Why is this disparity? Why do you neglect Orissa? After a lapse of seven months from the occurrence of floods in the State, after the lapse of five months from the visit of Central Team on 17th January, 2007, High Level Committee approved Rs. 115.24 crore from the NCCF subject to the adjustment of 75 per cent of the balance available in the CRF account of the State. This is nothing but arithmetic jugglery. This is my charge. Practically, no amount has been released despite Prime Minister's declaration. If this is not Centre's apathy, what else is it?

The hon. Minister gave account of the rainfall June. The depression in the Bay of Bengal in the first week of July caused widespread rainfall in different parts of the State in upper and lower catchment areas of different river basins in Subarnarekha, Jalaka, Baitarani, Buddhabadanka. The districts of Baleswar, Bhadrak, Jajpur, Keonjhar and Mayurbganj were affected and storm surge and saline inundation affected parts of Kendrapada during the first week of July. During the last part of June, Koraput, Kandhamal, Nayagarh, Ganjam, Sundargarh and Augul experienced flood of severe nature. Altogether 12 districts, 46 blocks, around 15 lakh people were affected. The loss assessed is around Rs. 306 crore. A Central Team has visited in the last week of July. Result is awaited. In August first week, Orissa experienced 26 per cent excess rainfall than the State average in a spell of 72 hours leading to serious flood situation in Baleswar, Bhadrak, Jajpur, Rayagada, Gajapati, Ganjam, Kalahandi, Kendrapada and Jagatsinghpur.[MSOffice63]

In Cuttack city, my native place, there was 330.25 mm of rainfall within ten hours which surpassed a record rainfall of 320 mm of 1934 and 330 mm means approximately 13 inches of rainfall or more within ten hours. During the super cyclone, the city received 205 mm of rainfall in two days. Major parts of the city were submerged and 48 wards of that Municipal Corporation and more than 3.5 lakh of people were affected. Fifty thousand people were marooned and more than 3,146 people were evacuated to safer places. The storm water deposited is around 34,16,801 cubic metre. The discharge capacity of that Main Storm Water Channel is only 21 cubic metre per second. The normal time required for discharge of this volume of water is 76 hours. I should thank the State Government and the municipal corporation authorities that within 48 hours, by utilising the modern machineries, we could lift the water from that city.

Sir, to meet the relief expenditure on account of floods, I have three suggestions to make before this Government. Firstly, Orissa Government has asked for financial assistance of Rs. 506.70 crore out of NCCF. Secondly, there is a need to restore CRF allocation for 2007-08 to Rs. 319.38 crore after adjusting the Central share of Rs. 58.66 crore advanced during 2006-07 as a Grant. Thirdly, there is a requirement to specially allocate at least 50,000 Indira Awas Yojana houses for flood victims of BPL category whose houses have been damaged due to floods.

Sir, this House has deliberated again and again about Kalahandi during the eighties and nineties. Those were the days of drought, plight of population, sale of children and today the situation has changed. Kalahandi today is a rice surplus district. Indrabati project has made the turnaround. Today Hati, another river, is inundating large tracts of Kalahandi District.

Sir, recently news has come that Raipur, Bhawanipatna National Highway link also was inundated which had four feet of water. A truck was washed away and a person lost his life. There is a need to strengthen the embankments of the Hari river.

Sir, I draw the attention of this House towards an important matter. Assam Government suspects -- this has come about in the media and we would like to get an answer from this Government -- that a substantial amount of water was released from a dam upstream or a natural dam has burst in Arunachal Pradesh. Assam Water Resources Minister – I need not name him – has said, though North-Eastern Electric Power Corporation has denied media reports that it had released water from its Ranganadi project in the neighbouring State, the Assam Government is not satisfied. We would like to know what are the facts. â€¦ (*Interruptions*)

Sir, I need another two minutes. As communities around the world today are battling floods which are not only recurring very often, but is very abnormal, experts warn such events may become more frequent due to climate change and that lessons still need to be learnt to limit losses Floods may result in lower death tolls than earthquakes, wars or tsunami and, therefore, gain less international attention, but they have caused devastations of high intensity. Worldwide, major countries are facing flood fury. Urban areas are turning into hell. The primary reason behind susceptibility to flooding is its unplanned, large-scale urbanisation, poor drainage maintenance and lack of public concern about the use of non-biodegradable plastic products which are secondary reasons....(*Interruptions*)

Before I conclude, I would like to remind this House what has come to light by an Audit Report where it is stated:

> "Preparedness for floods was inadequate; relief assistance was extended without proper identification of affected persons; financial management was deficient and monitoring of relief and rehabilitation activities was unsatisfactory."

This is not the case of one State, but of all.

Flood control projects will continue to fail to insure people against flood disaster unless our planners integrate thinking on drainage and upstream and downstream linkages. Therefore, repeatedly, the Meteorological Department is receiving flak from all quarters for their ineptitude in predictions. The Meteorological Department needs to be upgraded. Why can't the weather forecast not be nearer to truth?

Lastly, I would urge upon the Government to ensure that farmers get adequate support through crop insurance. Accordingly, steps should be taken for the benefit of the farmers. The State Governments should be provided full support to replenish seeds also and saplings too. There is a lot to be done. Let us not play politics in this situation of calamity.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Before I adjourn the House, I have only two speakers. They are not able to be present on 16th. दो-दो मिनट ये बोलेंगे।

First of all, I would like to request Shri Ram Chandra Paswan. You have got only two to three minutes.

श्री रामचन्द्र पासवान (रोसड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूरे बिहार में बाढ़ की विभीषिका के बारे में इस संसद में ही नहीं, पूरे देश में यह मैसेज जा रहा है कि हमारे बारे में हमारे प्रतिनिधि वहां आवाज बुलंद कर रहे हैं। संयोग से हम भी जिस क्षेत्र से आते हैं, उस क्षेत्र मे काफी बाढ़ आई हुई है। वहां कोई प्रखंड ऐसा नहीं है, जिस प्रखंड में हम या अन्य कोई लोग आसानी से जा सकते हों। सबसे पहली बात यह है कि अभी तक राज्य सरकार के द्वारा वहां लोगों को न तो किसी तरह की सुरक्षा मुहैया कराई गई है और न बाढ़ राहत कार्य चलाये गये हैं। वहां सबसे अधिक जरूरत आज नावों की है। आज वहां कोई ऐसी जगह नहीं है, जिस जगह राज्य सरकार के द्वारा नाव चलाई गई हो। आज सैकड़ों लोग मर रहे हैं। वहां रिलीफ के नाम पर लोगों के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है, गोलियां चलाई जा रही हैं। हम और हमारे साथ में लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष श्री रामविलास पासवान जी गये हुए थे। पूरे बिहार में जहां भी बाढ़ आई, हर बाढ़ग्रस्त एरिया का हम लोगों ने दौरा किया। वहां लाखों लोग पानी में खड़े थे और उनके लिए कहीं किसी प्रकार की सुरक्षा का इंतजाम नहीं था। आज हम कहना चाहते हैं कि जो लाखों लोग बाढ़ पीड़ित हो गये हैं, जिनके घर डूब गये हैं, मकान गिर गये हैं, आज उनके लिए राज्य सरकार क्या कर रही है। हम आशा ही नहीं, इस पर विश्वास भी करते हैं कि केन्द्र सरकार इस पर पहल करे। हम लोग जाकर माननीय प्रधान मंत्री जी से मिले, गृह मंत्री गये हुए थे, श्रीमती सोनिया गांधी गई हुई थीं और सारे इलाकों का उन्होंने दौरा किया। माननीय प्रधान मंत्री जी के यहां पंजियार साहब थे. वह भी हम लोगों से मिलने के लिए आये थे और उन्होंने बताया कि 550 करोड़ रुपये बिहार सरकार के पास है। यदि दूसरी किस्त की डिमांड करेंगे तो हम दे सकते हैं। लेकिन अभी तक हमारे पास डिमांड नहीं आई है । लेकिन उसके वाबजूद भी केन्द्र सरकार ने 150 करोड़ रुपया दे दिया है लेकिन उस पैसे का क्या हुआ? क्या योजना राशि खर्च करने के लिए है या रखने के लिए है? यह अभी तक हमें पता नहीं चला है। इसलिए हम मांग करते हैं कि आज जो बिहार में बाढ़ आई है और जो बाड़ पीड़ित लोग हैं, अधिकांश किसानों का ऋण केन्द्र सरकार अपने स्तर से कार्रवाई करके माफ कराए। राज्य सरकार को जो पैसा दिया गया है, केन्द्र सरकार से मोनीटरिंग कराई जाए कि वह पैसा कहां लगाया गया है। जिन लोगों के मकान गिर गये हैं, इंदिरा आवास योजना के तहत उनके लिए मकान बनाए जाएं, विशेष लाभकारी योजना चलाई जाए और नेपाल जो हमारी बगल में है और नेपाल का पानी हर साल तकरीबन पूरे बिहार में आ जाता है, जब फसल का समय आता है, उस समय यहां बाढ़ पर बहस होती है, हम चिल्लाते रहते हैं, एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाते हैं, बाढ़ खत्म हो जाती है और इसके ऊपर फिर कोई चर्चा नहीं चलती है। राज्य सरकार केन्द्र सरकार पर अपनी जिम्मेदारी थोपती है और केन्द्र सरकार राज्य सरकार पर आरोप थोपती है जिसका नतीजा यह है कि बिहार की जनता त्राहि-त्राहि करती है। एक तरफ वहां बाढ़ से लोग प्रभावित हो रहे हैं और दूसरी तरफ सुखाड़ से भी लोग ग्रस्त हैं। बाढ़ के इलाके में नाव की व्यवस्था नहीं की गई है। नाव की व्यवस्था इसलिए नहीं हुई है कि वहां नाव का जो मालिक है, उसे पैसे का पेमेंट नहीं मिल रहा है। नाव तो वह चलवाता है लेकिन उसे पैसा नहीं मिलता है। नेपाल सरकार का जिस समय बाढ़ प्रोटैक्शन बांध 1960 में बना था, उस समय उस बांध के बनाने का मकसद यह था कि एक तरफ पानी को स्टोर किया जाए और दूसरी तरफ नहर के माध्यम से उस क्षेत्र में सिंचाई में उस पानी को काम में लाया जाए लेकिन फ्लड प्रोटैक्शन बांध बन गया लेकिन सिंचाई के लिए नहर का जो साधन था, नहर नहीं बनवाई गई जिसके चलते एक तरफ बाढ़ से लोग ग्रसित रहते हैं और दूसरी तरफ सुखाड़ से ग्रस्त रहते हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि यह बहुत ही गंभीर मामला है और यह मामला एक साल का नहीं है, हर साल का है और केन्द्र सरकार को हस्तक्षेप करके राज्य सरकार के माध्यम से हो या नेपाल सरकार के माध्यम से हो, इसका स्थायी समाधान निकाला जाना चाहिए।

फूज़ा दरजिया बांद जो वहां बना हुआ है, उसका 14 कि.मी. का एरिया बनना शेष है। वह बांध राज्य सरकार ने कभी बनाया होगा, अपने पैसे से बनाया होगा लेकिन राज्य सरकार के पास अब कौड़ी भी नहीं है। इसलिए फूज़ा दरजिया बांध नहीं बनाने के चलते 50 कि.मी. का इलाका जलमग्न हो जाता है। इसलिए हम मांग करते हैं कि शेष 14 कि.मी. का बांध बनवाया जाए और बिहार जो जलमग्न है, लोग मर रहे हैं, किसान मर रहे हैं, उन लोगों की जमीन बर्बाद हो रही है, उनके घर बर्बाद हो रहे हैं, हमने सारा आंकड़ा देखा है, 1,25,000 मकान दिये गये हैं लेकिन 1,25,000 ही मकान नहीं हैं। यहां कम से कम 5 लाख मकान ध्वस्त हो गये हैं। यहा जो सर्वेक्षण किया गया या हो रहा है, वह कतई संभव नहीं है। उसके लिये व्यापक पैमाने पर योजना बनाई जाये। यह अच्छी बात है कि बाढ़ पर डिबेट हो रही है जो 16 और 17 तारीख तक जायेगी। लेकिन इस डिबेट से यह सुनिश्चित हो जाये कि जिन बाढ़ प्रभावित लोगों की जान-माल की क्षति हुई है, उनकी क्षतिपूर्ति की जाये। इन्दिरा आवास योजना में उन लोगों को मकान दिये जाये, किसानों को ऋण की माफी दी जाये। भविष्य में खेती-बाड़ी करने के लिये उन्हें सब्सिडी दर पर ऋण मुहैया कराया जाये।

श्री कीरेन रिजीजू (अरुणाचल पश्चिम): उपाध्यक्ष महोदय, प्राकृतिक आपदा दो तरह की होती हैं - एक, जो हमें मालूम है, और दो- जो हमें मालूम नहीं है कि कब आयेगी, कैसे आयेगी? यह बात हमें समझ में नहीं आ रही है कि जो चीज हमें मालूम है या जो आने वाली है, उसके लिये सरकार की तरफ से पूरी तैयारी होनी चाहिये, वह क्यों नहीं होती है? उसके लिये मन में गुस्सा आता है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में सब से ज्यादा बरसात होती है। हमें मालूम है कि ब्रह्मपुत्र नदी डैंजरमार्क पार कर जाती है, कितने गांव डूबेंगे, अरुणाचल में कितनी बरसात आयेगी, कितना नुकसान होने वाला है, रास्ते बह जाने वाले हैं, इस बात का पता रहता है, फिर भी तैयारी नहीं होती है। यह बहुत ही अफसोस की बात है। तीन साल हो गये हैं, माननीय प्रधान मंत्री जी ने अरुणाचल प्रदेश को नजरअंदाज किया हुआ है। न जाने क्यों वहां अपने को रोकते हैं? इससे देश के लोगों को क्या मैसेज जायेगा?

उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय गृह मंत्री जी को बताना चाहता था कि अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कई अच्छे काम किये हैं, इस बात को बताने में मुझे कोई संकोच नहीं क्योंकि जो कांम अच्छा करता है,उसे बताना चाहिये। जब पिछली बार उनके अपने गांव में लोग दबकर मर गये और मेरे गांव का आधा भाग कट गया तो मुख्यमंत्री जी ने मेरी मदद की जिसके लिये मैं उनका शुक्रगुजार हूं. लेकिन केन्द्र सरकार की ओर से कोई मदद नहीं मिल रही है। यह दुख की बात है। अगर आप अरुणाचल प्रदेश को देखेंगे तो पायेंगे कि सारे हिन्दुस्तान के आधे से अधिक हाईडल पावर प्रोजैक्ट्स वहां हैं। इकौनिमी के लिये कितना बड़ा राज्य है? ऑयल, गैस, हिन्दुस्तान के सब से ज्यादा जंगल वहां हैं। सब लोग मानते हैं कि अरुणाचल एक महत्वपूर्ण राज्य है लेकिन केवल कहने से काम नहीं चलने वाला है, आपको एक्शन करके दिखाना पड़ेगा। वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर यहां बैठे हुये हैं। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि अगर अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ की स्थिति को नियंत्रण नहीं करेंगे तो असम की समस्या हल नहीं हो सकती है क्योंकि असम की नदियों का कम से कम 98 प्रतिशत पानी अरुणाचल से आता है । उसका रेगुलेशन कैसे किया जाये? अरुणाचल में ब्रह्मपुत्र नदी को सियन कहते हैं, और तिब्बत में हम्फको कहते हैं,उसे कैसे रेगुलेट किया जाये। यहां की नदियों में ऐसी बात नहीं जो वहां की नदियों में है क्योंकि ह्यूज वाटर रहता है। सरकार ने उसे रेगुलेट करने के लिये आज तक कोई नीति नहीं बनाई है। हमारे प्रधामंत्री जीअसम से एम.पी. हैं और रेलवे मिनिस्ट्री ने घोषित किया है कि बोगीबील प्रोजैक्ट बना रहे हैं। उसके बनाने के लिये जितने पत्थर की जरूरत होगी, वह सारा अरुणाचल प्रदेश से लाया जायेगा लेकिन बाढ़ को रोकने के लिये पत्थर रहता है, सारा पत्थर उठाने के बाद पूरा का पूरा फ्लडिंग हो जायेगा।[s64]

19.00 hrs.

उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। व्यापक दृष्टि से वह नीति तय करनी पड़ेगी। 500 करोड़ रुपये देने से समस्या का समाधान नहीं होगा। अगर ऐसी ही नीति रहेगी और सरकार का रवैया यही रहेगा तो मुझे कोई सुधार होना संभव नहीं लगता। इसका स्थायी समाधान क्या हो सकता है उसके लिए हमें कोई नीति बनानी चाहिए, एक पत्र निकालना चाहिए। हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। यह बहुत गलत बात है।

हमारे प्रदेश में 16 जिलों में रास्ते टूट गए हैं। किसी भी जिले का संपर्क देश के किसी कोने से नहीं है। वहां हैलीपैड भी नहीं हैं कि कोई जाकर हालात का जायज़ा ले, सड़कें पहले ही टूट गई हैं। वहां एक अननोन बीमारी से कई लोगों की मौत भी हो गई है। उसका जायज़ा लेने के लिए मैडिकल टीम भेजने का भी कोई ज़रिया नहीं है। बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में देखें तो बाढ़ आने के दो-तीन दिन बाद हैलीकॉप्टर से सर्वे करेंगे तो घर पानी में डूबे हुए नज़र आएंगे। हमारे वहां पानी एक बार घर ले गया तो ले गया। आपको प्रमाण के रूप में दिखाने के लिए कुछ नहीं होता कि मकान है। फोटोग्राफर जाता है तो उसके लिए कुछ नहीं बचता। इस प्रकार की काफी बातें हैं जिनको समझना पड़ेगा। मंत्रालय में जो लोग हैं, जब तक इस चीज़ को नहीं सोचेंगे तब तक सुधार नहीं होगा। यदि आप बिहार को, अरुणाचल को एक नज़र से देखेंगे, जम्मू-कश्मीर और राजस्थान को एक नज़र से देखेंगे तो वह नीति सक्सैस नहीं होगी। हिन्दुस्तान में अलग अलग प्रांतों की एक विशेष समस्या है। उस हिसाब से नीति भी तय करनी पड़ेगी। मुझे सिर्फ आपके माध्यम से सरकार को यह कहना है कि आज तक जो कहा गया वह अलग बात है लेकिन आईन्दा जो आपका रवैया है, उसमें बदलाव आना चाहिए और जो आप भीख के तौर पर एक-दो करोड़ रुपये देकर लोगों को खुश करने वाली बात करते हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। व्यापक दृष्टि से मोटे तौर पर एक ऐसा पैकेज बनाएं जिससे हमेशा के लिए इस समस्या का समाधान हो सके।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, the House shall take up Matters of Urgent Public Importance. Chaudhary Lal Singh.